राजस्थान

सुजस

(मासिक) 20 दिसम्बर, 2011
वर्ष-20, अंक-9

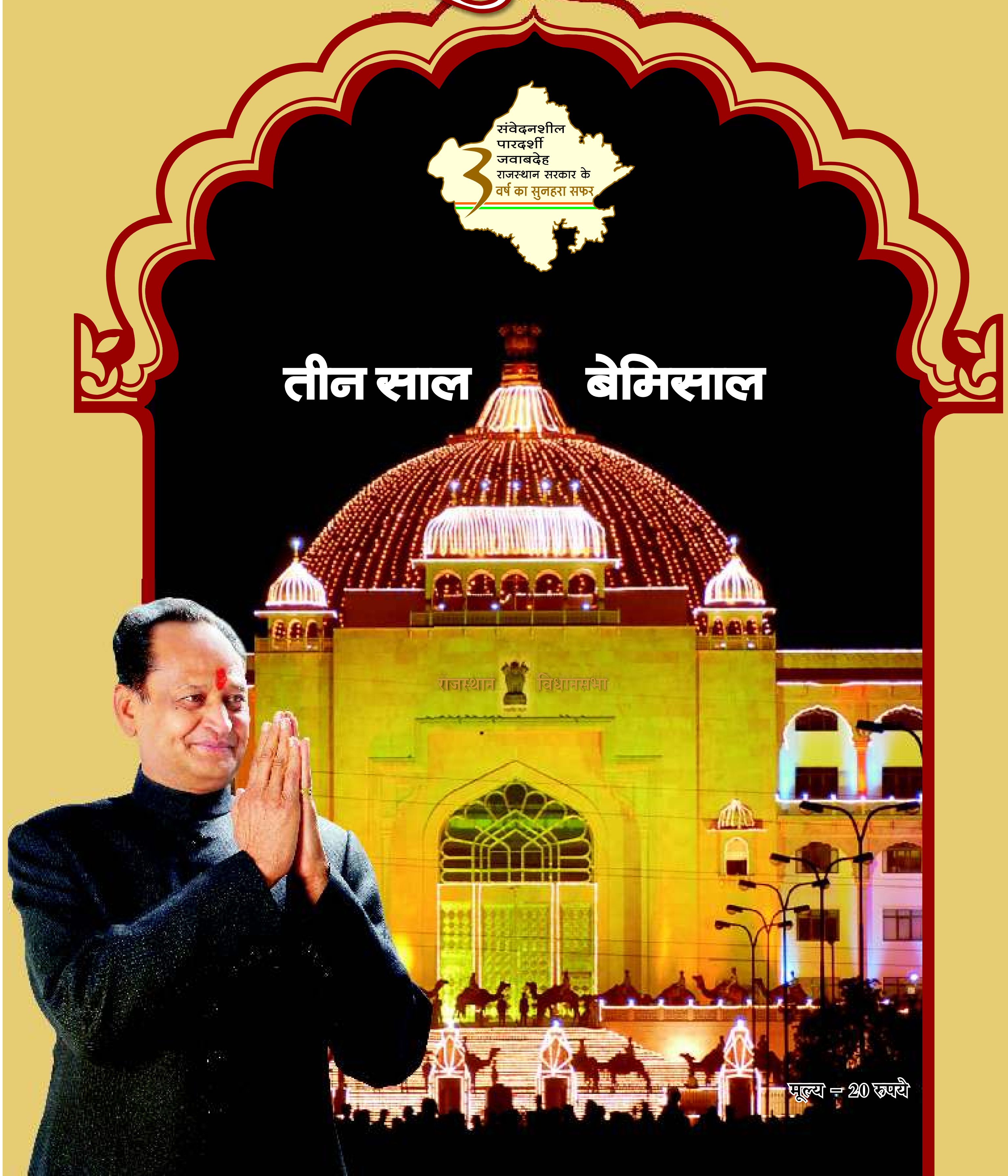

गाड़िया लौहार

गाड़िया लौहारों का प्रण था कि महाराणा प्रताप का जब तक चित्तौड़गढ़ किले पर वापस अधिकार नहीं हो जाएगा तब तक हम स्थायी रूप से एक स्थान पर निवास नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप का यह प्रण जब पूरा नहीं हुआ तो गाड़िया लौहारों ने भी एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं किया। ये लोग अपनी गृहस्थी बैलगाड़ियों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लुहारी कार्य से जीविकोपार्जन करने लगे।

स्वतंत्रता के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस जाति को स्थायी निवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 1959 में चित्तौड़गढ़ में गाड़िया लौहारों के सम्मेलन को सम्बोधित किया और समझाया कि वे स्थायी रूप से एक स्थान पर रहें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें।

इसके बाद राजस्थान सरकार ने इनके लिए स्थायी आवास की शहरों, कस्बों एवं गांवों में व्यवस्था की। वर्तमान में इनके बच्चों के लिए विद्यालयों की भी व्यवस्था की गई है। ये लोग अब शहरीकरण से जुड़ कर अपना जीवनयापन करने लगे हैं।

आलेख व छाया : तेजेन्द्र मेघवाल

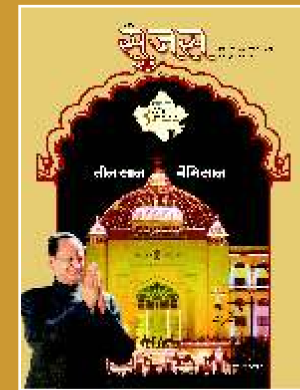

प्रधान सम्पादक
कुंजीलाल मीना

●

सम्पादक
पुष्पा गोस्वामी

●

उप सम्पादक
गणपत सिंह नारोलिया
आलोक आनन्द

●

कला
विनोद कुमार शर्मा

●

आवरण छाया
सुजस

●

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

●

फोटोटाइप सेटिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, **जयपुर**

सम्पर्क
सम्पादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय परिसर
जयपुर-302 005
फोन : 0141-2227057
0141-2227314
E-mail : pushpagoswami@gmail.com
website : www.dipronline.org

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष 20 : अंक 9 दिसम्बर, 2011

इस अंक में

स्थायी स्तम्भ

लोक जीवन	2
सुजस बोध	4
दिल्ली डायरी	57
अनमोल	64

दूसरे पन्नों पर

बढ़ रहा है भूजल स्तर	6
विकास के लिए आधार	10
बिजली में आत्मनिर्भरता से बदलेगा आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य	14
सेवा में संवेदना	18
भटकों को राह दिखाती नवजीवन योजना	22
राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन	24
महिला सशक्तीकरण नीतियां	28
एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन	31
लोक सेवाओं की गारण्टी	38
लेब-टू-लैण्ड योजना	40
फसलों को दीमक से बचाने का अचूक नुस्खा	42
खुशहाली की 'सड़क' पर प्रदेश	44
कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह ऊर्जा उत्पादन का सशक्त स्रोत	46
अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी	48
जोधपुर विद्युत वितरण निगम के बढ़ते चरण	50
विद्युत क्षेत्र में नई राह	52
पर्यावरण संरक्षण के कारगर प्रयास	54
धौलपुर-भरतपुर चम्बल पेयजल परियोजना	56
खजूर से पाई ऊंचाई	58
साहस व जज्बे की अनूठी छाप	59
वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में अग्रणी हुआ प्रदेश	60

सामयिकी

5

साक्षात्कार

20

फोटो-फीचर

32

लोकोत्सव

34

खेल-खिलाड़ी

36

व्यापार मेला

62

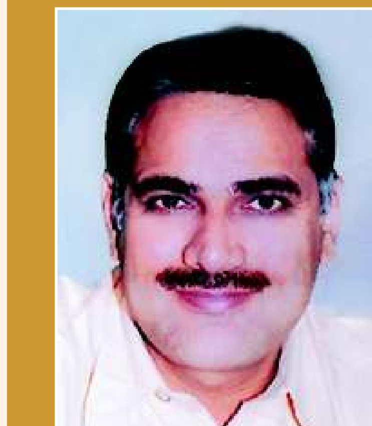

सकंल्प से रूपायित विकास

राजस्थान में विकास की अन्तःसलिला सरस्वती निरन्तर प्रवाहमान है। राजशाही की अवधारणा के परिणामस्वरूप जो शून्य मरुधरा में व्याप्त था उसे गणतन्त्र और जनकल्याण की विशिष्ट सोच से बदलकर विकास की गंगा में बदल दिया गया है। यह राज्य के जनकल्याणकारी, लोकहितकारी एवं संवेदनशील मुख्य नेतृत्व की सोच से ही सम्भव हो पाया है।

जब हमारी सोच अन्तिम पंक्ति में बैठे उस अन्तिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने की हो तभी हम यह विलक्षण कार्य कर सकते हैं इसलिए महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को जीवन के रणक्षेत्र में लेकर उतरने वाले मुख्यमंत्री, श्री अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की उस सोच को क्रियान्वित किया जिसमें यह कहा गया था कि जब भी आप दुविधा में हों तो अपने मन में ऐसे व्यक्ति का चेहरा लाएं जो गरीब और असहाय हो फिर सोचें कि आपके निर्णय से उस व्यक्ति को क्या लाभ होगा।

वस्तुतः देखा जाए तो मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल और प्रशासनिक तबके की सोच यही रही है कि समाज के वंचित वर्ग, असहाय और गरीब लोगों को विभिन्न योजनाओं से कैसे लाभान्वित किया जाए । चाहे मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना हो या वृद्धावस्था पेंशन, विकलांगों की सहायता हो या जननी सुरक्षा सभी मामलों में वंचितों और पिछड़ों को लाभान्वित करने की सोच सामने आती है। नवाचार, नई नीतियां और नए कार्यक्रम लागू करने के पीछे श्री गहलोत की यही सोच अग्रणी है।

आज प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा का नया वातावरण सृजित हुआ है। पंचायतें सशक्त होकर राष्ट्रपिता के ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर रही हैं। बालिकाओं के लिए शिक्षा और समानता के अवसर बढ़े हैं। विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं और परित्यक्ताओं को पेंशन, रोजगार, चिकित्सा और अन्य अनेक सुविधाओं का लाभ मिला है। किसानों, अल्पसंख्यकों और कर्मचारियों आदि के कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आधारभूत संरचनाओं, बिजली, सड़क, जल और उद्योग आदि की योजनाएं तेजी से क्रियान्वित कर आम नागरिकों का जीवन स्तर उठाया जा रहा है। भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची और अनियमितताओं के खिलाफ वातावरण बना है। सूचना के अधिकार और लोक सेवा गारण्टी अधिनियम जैसे उपायों से जन अधिकारों की रक्षा की जा रही है।

गांवों की तस्वीर अब महानरेगा से बदलने लगी है। शहरों में भी बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। शिक्षा, आवास, रोजगार, स्वास्थ्य आदि सभी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से आम जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा है।

जनता द्वारा इन सभी प्रयासों की सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री की स्वच्छ और निर्मल छवि से आमजन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि उनके राज्य में विकास को तो गति मिलेगी ही साथ ही भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज के निर्माण को भी सम्बल मिलेगा।

वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का तीसरा वर्ष समाप्ति की ओर है। अतः इस अंक में समग्र विकास को रेखांकित किया गया है।

प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा में ।

(कुंजीलाल मीना)

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत 14 नवम्बर को जयपुर में राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम-2011 का शुभारम्भ करते हुए।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत 28 नवम्बर को जयपुर के सहकार सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत जवाहर कला केन्द्र जयपुर में 21 नवम्बर को आयोजित समारोह में लिटिल चैम्प प्रतियोगिता के विजेता बाल कलाकार अजमत हुसैन को सम्मानित करते हुए।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत 1 दिसम्बर को बासनी, जिला नागौर में राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय भवन का लोकार्पण करते हुए।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, डॉ. बी.एल. जोशी व मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत 14 नवम्बर को जयपुर में जम्बू रेट का शुभारम्भ करने के पश्चात मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए।

बढ़ रहा है भूजल स्तर

लोकपाल सेठी

राजस्थान में लोगों को पानी के किफायती उपयोग की आदत परम्परा से मिली है। तेजी से होते विकास तथा बदलती हुई जीवन शैली के कारण पानी विशेषकर पेयजल की खपत लगातार बढ़ रही है। पानी एक ऐसी वस्तु है जिसका अलग से उत्पादन नहीं किया जा सकता है तथा उपलब्ध स्रोतों के अनुसार ही इसका उपयोग किया जाना जरूरी है।

राजस्थान देश के उन राज्यों में आता है जहां भौगोलिक दृष्टि से पानी की कमी है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का लगभग 10.4 प्रतिशत है। देश की कुल आबादी के 5.5 प्रतिशत लोग राजस्थान में रहते हैं। देश के कुल पशुधन में राजस्थान का हिस्सा 18.70 है जबकि राजस्थान के हिस्से में भूजल का मात्र 1.16 प्रतिशत हिस्सा ही आता है।

चूंकि इस मरु प्रदेश में पानी की कमी सदा ही रही है इसलिए राजस्थान में लोगों को पानी के किफायती उपयोग की आदत परम्परा से मिली है। तेजी से होते विकास तथा बदलती हुई जीवन शैली के कारण पानी विशेषकर पेयजल की खपत लगातार बढ़ रही है। पानी एक ऐसी वस्तु है जिसका अलग से उत्पादन नहीं किया जा सकता है तथा उपलब्ध स्रोतों के अनुसार ही इसका उपयोग किया जाना जरूरी है। इसके लिए लगातार भूजल का दोहन हो रहा है जिसकी वजह से देश के पानी की कमी वाले 142 ब्लॉक्स में से राजस्थान में 85 ब्लॉक्स हैं।

पिछली बार जब मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने शासन की कमान सम्भाली थी तो उन्होंने यह नारा दिया था 'बिजली बचाओ, पानी बचाओ तथा सबको पढ़ाओ' इस नारे के पीछे कारण यह था कि राजस्थान में पानी और बिजली की अत्यधिक कमी थी तथा शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में कहीं कम था।

वैसे तो केवल कुछ हिस्सों को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में पानी की कमी है लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यह समस्या बहुत गम्भीर है। इंदिरा गांधी नहर योजना से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर जिलों में पानी की उपलब्धता बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद गर्मी के महीनों में पेयजल का संकट गम्भीर हो जाता है। इसलिए सरकार जनवरी, फरवरी महीने में ही इन इलाकों में पेयजल संकट को कम करने के लिए कदम उठाना आरम्भ कर देती है। पेयजल को विशेष रेलगाड़ियों के टैंकरों से लाकर लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है। यही कारण है कि सरकार अपने कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलदाय विभाग को आवंटित करती है ताकि जल संकट को कम किया जा सके।

अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए लेकिन राजस्थान में यह 780 क्यूबिक मीटर है। जिस तेजी से राज्य की आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए सन् 2050 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घटकर 450 क्यूबिक मीटर ही रह जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पानी को पारम्परिक रूप से किफायती ढंग से उपयोग किया जा रहा है लेकिन शहरों में पानी का उपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। कुछ वर्ष पूर्व राज्यसभा में राजस्थान के पेयजल संकट पर चर्चा के दौरान एक सदस्य ने जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के थे, कहा था कि गांव का एक आदमी एक दिन में जितना पानी पीता है, उतना पानी शहर में एक व्यक्ति अपने घर के शौचालय का फ्लश चलाकर बर्बाद कर देता है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में पानी की खपत लगातार बढ़ती जा रही है तथा इसका सीधा असर पानी की कुल उपलब्धता पर पड़ रहा है।

हालांकि कृषि के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया जाना जरूरी है लेकिन सरकार पेयजल उपलब्ध करवाने को वरीयता देती रही है। अगर पिछली सरकार तथा इस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के पहले तीन वर्षों में पेयजल के लिए उपलब्ध करवाए गए धन की तुलना की जाए तो वर्तमान सरकार इस मामले में ज्यादा सजग नजर आती है। पिछली सरकार के तीन वर्षों में पेयजल के मद पर लगभग 2220 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि इस सरकार ने इसी अवधि के दौरान लगभग 6000 करोड़ रुपये पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए आरम्भ की गई योजनाओं पर खर्च किया गया। पिछली सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए 1626 करोड़ रुपये खर्च किए जबकि यह सरकार अक्टूबर माह तक पेयजल की शहरी योजनाओं के लिए 4683 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है।

सभी छाया : सुजस

वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह कही जाएगी कि उसने पिछले साल पहली बार प्रदेश के लिए जल नीति तैयार की तथा उसी के आधार पर योजनाएं बनाकर उन पर क्रियान्वयन प्रारम्भ किया। नीति बन जाने के कारण योजनाकर्ताओं के सामने यह बात स्पष्ट थी कि किस तरह से इन नीतियों के आधार पर योजनाएं तैयार कर राज्य के जल संकट पर काबू पाया जा सके।

मुख्यमंत्री गहलोत उस क्षेत्र से आते हैं जहां पानी की कमी रहती रही है। यद्यपि आज जोधपुर में पेयजल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है

सरकार ने एक नीति निर्धारण समिति गठित की है जो लगातार जल नीति की समीक्षा करती रहती है तथा जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार करके इसे और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है।

लेकिन ऐसी स्थिति आसपास के इलाकों में नहीं है। गहलोत इस स्थिति को समझते हैं तथा इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाए जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम है।

चूंकि अत्यधिक दोहन के कारण राज्य में भूजल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है इसलिए सरकार ने जल नीति के आधार पर यह तय किया है कि इस तरह के अनियंत्रित जल दोहन को रोका जाए। इसलिए अब प्रदेश के कई हिस्सों में नलकूप बिना सरकार की अनुमति के नहीं खोदे जा सकते हैं। इसी के चलते कई इलाकों में भूजल का स्तर गिरना कम हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प पेयजल का एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। अक्सर हैण्डपम्प लग तो जाते हैं लेकिन रखरखाव के अभाव में वे कुछ काल के बाद ही काम करना बंद कर देते हैं इसी धारणा के चलते सरकार ने वर्ष के आरम्भ में ही हैण्डपम्पों की मरम्मत का अभियान चलाने की नीति आरम्भ की है। इस वर्ष यह अभियान फरवरी के तीसरे हफ्ते में ही आरम्भ कर दिया गया था तथा अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 1,31,901 हैण्डपम्पों तथा शहरी क्षेत्रों में 23,223 हैण्डपम्पों की मरम्मत की गई।

इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जिला कलक्टर को आपातकालीन फण्ड के रूप में लगभग 30 लाख रुपये आवंटित किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई जा सके तथा इसके साथ ही पेयजल की अन्य योजना को पूरा किया जा सके ।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल तथा सिंचाई के लिए लगाए जाने वाले सबमर्सिबल पम्प सैटों पर 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता देने की नीति पर चल रही है। यह नीति उन सबमर्सिबल पम्प सैटों पर लागू होगी जो फाइव स्टार श्रेणी के हैं यानी जो बिजली की कम खपत

करते हैं। इससे बिजली का दुरुपयोग भी रुकता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता भी बढ़ती है।

कुछ वर्ष पूर्व हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों की कई स्कूलों में पेयजल उपलब्ध नहीं है तथा गर्मियों में छात्रों को पानी पीने के लिए अपने घरों में जाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 5 हजार स्कूलों में पेयजल उपलब्ध करवाने की योजना आरम्भ की थी। धीरे-धीरे सभी ग्रामीण स्कूलों में पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस सरकार ने शासन सम्भालते ही जयपुर को विश्व स्तर का शहर बनाने की घोषणा की थी। शहर में जो मूलभूत सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए उन पर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया गया। रामगढ़ बांध सूख जाने के बाद शहर के लिए पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था। पिछले शासन काल में सरकार ने बीसलपुर से पानी लाने की योजना बनाई थी तथा मार्च, 2009 में राजधानी को बीसलपुर का पानी मिलना आरम्भ हो गया। चूंकि राजधानी की आबादी तेजी से बढ़ रही है इसलिए सरकार अभी से चम्बल का पानी यहां लाने की योजना तैयार कर रही है। चम्बल के इस जल का उपयोग भीलवाड़ा, नसीराबाद तथा अजमेर के लिए भी हो सकेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई जल नीति की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अब धीरे-धीरे राज्य के सभी बड़े शहरों में पेयजल संकट अपेक्षाकृत कम होता जा रहा है। सरकार जहां पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है वहीं पेयजल के दुरुपयोग को रोकने तथा इसे रीसाइकिल करने पर भी जोर दे रही है। बड़े शहरों में वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करना जरूरी कर दिया गया है। इससे वर्षा का जल संगृहीत होकर सीधा भूमि के नीचे चला जाता है तथा इलाके का भूजल स्तर कम नहीं होता। सरकार ने यह कानून फिलहाल जयपुर तथा अन्य बड़े शहरों के लिए लागू किया है तथा धीरे-धीरे इसे छोटे शहरों में भी सख्ती से लागू किया जाएगा।

सरकार ने एक नीति निर्धारण समिति का गठन किया है जो लगातार जल नीति को लागू किए जाने की समीक्षा करती रहती है तथा जरूरत पड़ने पर इसमें सुधार करके इसे और प्रभावी बनाने की कोशिश की जाती है। ●

विकास के लिए आधार

राजेंद्र बोड़ा

> निश्चित तौर पर शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए ये कार्य भावी पीढ़ी के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विकास की दौड़ में नई मंजिलें तेजी से पाने के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। शिक्षा व्यक्ति को सक्षम बनाती है। वह उसे चीजों को जानने और उन्हें समझने का कौशल देती है। शिक्षा उसे जानी-समझी चीजों का विश्लेषण करने और विश्लेषण के बाद प्राप्त नतीजे के अनुरूप अपने जीवन का निर्णय लेने में सक्षम बनाती है । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति का ऐसा सशक्तीकरण सजग, उत्साही और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण की राह प्रशस्त करता है।

इसलिए विकास हेतु कृतसंकल्प राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक होता है कि वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में शिक्षा को प्रमुख घटक बनाए । मौजूदा सरकार ने पिछले तीन वर्षों में ऐसे कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं जिनसे राज्य में शिक्षा को गति मिले और जिसके फलस्वरूप विकास को नए आयाम मिलें ।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की मंशा बजट में उस पर किए गए खर्च से झलकती है। वर्ष 2008-09 के वित्तीय वर्ष की योजना में शिक्षा पर 66,711 लाख से अधिक राशि खर्च की गई। वहीं वर्ष 2009-10 में इस मद में 76,813 लाख रुपये से अधिक खर्च किए गए। वर्ष 2010-11 में यह खर्च को बढ़ाकर 1,20,703 लाख रुपये कर दिया गया।

राज्य सरकार का सबसे महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायतीराज के अधीन करने का रहा ताकि गांवों में शुरुआती स्कूली शिक्षा पर स्थानीय नियंत्रण रह सके।

पंचायतीराज को अब संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है जिसके तहत वह शासन का तीसरा स्तर बन गया है। इस स्तर पर उसे संवैधानिक स्थिति के अनुरूप शासन-प्रशासन के काम सौंपे जाएं इसकी लम्बे समय से मांग चली आ रही थी जिसे सरकार ने जून, 2003 की 19 तारीख को आदेश जारी कर अमली जामा पहना दिया।

राजस्थान के स्कूली बच्चों को देश की अन्य जगहों पर मिल रही गुणवत्ता वाली शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के समान पाठ्यक्रम को लागू कर चालू वर्ष में कक्षा 8वीं में एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अगले वर्ष 2012-13 में चरणबद्ध रूप से कक्षा 6 और 7 में भी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाएगा।

राज्य में सभी जगहों पर स्कूलों में निर्धारित संख्या में शिक्षक नियुक्त रहें ताकि बच्चों को पढ़ाई का नुकसान नहीं हो इसके लिए समानीकरण योजना लागू की गई। इसके तहत शिक्षकों के अभाव वाली स्कूलों में शिक्षकों का स्थानान्तरण किया गया है ।

वर्ष 2009 का निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून देश भर में पिछले साल एक अप्रैल, 2010 से लागू हो गया। राज्य सरकार ने तत्परता बरतते हुए इस केंद्रीय कानून को राजस्थान में लागू करने के लिए इस वर्ष 29 मार्च, 2011 को जरूरी नियम अधिसूचित कर दिए।

इन नियमों के अनुरूप राज्य में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक के लिए निशुल्क शिक्षा का कानूनी प्रावधान लागू कर दिया गया। शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों के अन्तर्गत सभी गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को अब मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को आनंददायी गतिविधि आधारित एवं स्वयं करके सीखने की प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से सत्र 2008-09 में राज्य के 4,735 विद्यालयों में 'लहर' कार्यक्रम शुरू किया गया जो अब 12 हजार विद्यालयों में चलाया जा रहा है। यह नवाचार राज्य में पहली बार लागू किया गया है।

एक और नवाचार राज्य में पहली बार लागू किया गया है जिसमें कक्षा पांचवीं उत्तीर्ण लेकिन छठी से आठवीं के बीच स्कूल छोड़ देने वाली बालिकाओं को स्वयंपाठी के रूप में कक्षा आठ की परीक्षा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) के माध्यम से दिलवाई जाती है। वर्ष 2009-10 में इसमें 4,940 बालिकाएं शामिल हुई जिनमें से 3,735 उत्तीर्ण रहीं इनमें 25 बालिकाओं ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की। यह निश्चित तौर पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

सभी छाया : सुजस

बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा देने के लिए एक अन्य नवाचार के तहत राज्य में प्रयोग के तौर पर जयपुर, अलवर, अजमेर, चूरू और बीकानेर जिलों में 2010-11 में 145 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कटिंग, टेलरिंग तथा ड्रेस मेकिंग के छह माह के मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स चलाए गए जिनमें 4,350 छात्राओं ने यह हुनर सीखा। चालू सत्र में इन विद्यालयों में कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस मेकिंग के अलावा ब्यूटी कल्चर के व्यवसायिक प्रशिक्षण भी चलाए जा रहे हैं जिनमें लगभग 9 हजार बालिकाएं प्रशिक्षण ले रही हैं।

इसके अलावा राज्य में पहली बार आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह आयुवर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए 25 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर मार्च, 2009 तक 1,400 रुपये प्रत्येक केंद्र की दर से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2110-11 में नवाचारी मद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में 27 जिलों के 490 आंगनबाड़ी केंद्रों को 25 हजार रुपये प्रति केंद्र की दर से फिसलपट्टी और झूला उपलब्ध कराने के लिए दिए गए। वर्ष 2011-12 में विद्यालय परिसर में चल रहे 1387 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए इसी काम के लिए इतनी ही राशि प्रति केंद्र देने के आदेश हो चुके हैं।

जन कल्याणकारी राज्य अपने पिछड़े तबके के लोगों का विशेष ध्यान रखता है। अपनी इसी भूमिका को निभाते हुए राज्य सरकार ने कुछ प्रमुख निर्णय लिए जिससे उनके बच्चों को

शिक्षित करने में मदद मिली। राज्य में छठी से आठवीं कक्षा तक में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को वर्ष 1989 से क्रमश: 15 और 20 रुपये प्रति माह हरेक शैक्षणिक वर्ष में 10 माह तक मिलते रहे हैं। करीब बीस सालों बाद वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप इसे बढ़ा कर 75 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। इसी प्रकार विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बीमा राशि 20 हजार रुपये से बढ़ा कर एक लाख रुपये कर दी गई है।

अल्पसंख्यक समुदाय के 47 हजार विद्यार्थियों को वर्ष 2010-11 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई।

स्कूली शिक्षा को नए समय की जरूरतों के अनुरूप बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतिगत निर्णय लिए जिनकी क्रियान्विति प्रशासनिक स्तर पर हो रही है जैसे अंग्रेजी विषय के अध्यापकों के कौशल को बढ़ाना और अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सुधार लाना। इसके लिए अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के प्रशिक्षण पूरे हो गए हैं। अंग्रेजी भाषा की पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिए राज्य स्तर पर एक कमेटी बना दी गई है।

राज्य सरकार ने अल्प भाषाई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को फिर से शुरू किया है। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति इस वर्ष 10 जून को जारी हो चुकी है। आगामी सत्र 2012-13 में इस संस्थान में पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकेगा।

नए समय की मांग के अनुरूप स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सर्व शिक्षा अभियान के तहत कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम जिसे 'कल्प' कह कर पुकारते हैं, में अब तक कुल 6,650 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं काम करने लगी हैं।

कम्प्यूटर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए दो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां माइक्रोसॉफ्ट व इंटेल मदद कर रही हैं। शैक्षणिक वर्ष 2004-05 से 31 मार्च, 2010 तक इन दोनों कम्पनियों ने कम से कम 35,2561 शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जिससे वे स्कूलों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर सिखा सकें। वर्ष 2010-11 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुल 5,349 शिक्षकों और 380 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया जबकि इंटेल की तरफ से 202 संस्था प्रधानों तथा 465 एमटी एवं 607 एमटीपीटी को प्रशिक्षण दिया गया। चालू सत्र में भी ये दोनों कम्पनियां स्कूली शिक्षकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दे रही हैं।

चालू सत्र में राज्य के 660 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'कल्प' के विस्तार के लिए पांच साल का बूट मॉडल तैयार किया गया है जिसे लगाने का काम बेंगलोर की एक निजी संस्था को सौंपा गया है।

गांवों में छात्रों को जीवनोपयोगी शिक्षा देने के लिए वहां के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तथा रोजगारोन्मुखी तथा व्यवसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई है। इसके तहत वर्ष 2009-10 के बजट में 500 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं

अन्य संकाय खोलने की घोषणा की गई थी जिसके तहत राज्य में दिसम्बर 2010 तक 280 विद्यालयों में विज्ञान, 187 में वाणिज्य तथा 34 में कृषि संकाय शुरू करने की मंजूरी जारी हो चुकी है। चालू सत्र से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कृषि संकाय को समाप्त कर उसकी जगह कृषि को विषय के रूप में लागू किया है।

अच्छी शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए समुचित पदों का सृजन और शिक्षकों की नियुक्तियां भी बहुत मायने रखती हैं। दिसम्बर, 2008 से अक्टूबर, 2011 तक द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के 7,800 नए पद और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के 15,600 नए पद सृजित किए गए हैं।

स्कूलों में पढ़ाई निर्बाध होती रहे इसके लिए जरूरी है कि रिक्त पदों की पूर्ति होती रहे। दिसम्बर, 2008 से अक्टूबर, 2011 तक कुल 3671 रिक्त पद भरे गए जिनमें से 3207 सीधी भर्ती या आश्रित नियुक्ति से भरे गए तथा 464 पद पदोन्नति से भरे गए।

अच्छी शिक्षा देने में स्कूलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करते हुए उन्हें बेहतर परीक्षा परिणाम देने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों को पुरस्कृत करने की परिपाटी सरकार ने शुरू की है। वर्ष 2009 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ रही सरकारी स्कूलों को इनाम देने की योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय को 25 हजार रुपये, मण्डल स्तर पर 40 हजार रुपये और राज्य स्तर पर 50 हजार रुपये के पुरस्कार 26 जनवरी, 2009 को दिए गए। ये पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देता है।

देश में सबको साक्षर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा लागू की गई 'साक्षर भारत' योजना को राज्य में लागू करने के लिए सक्रिय कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्य के 25 प्रतिशत वित्तीय अंश की सैद्धांतिक स्वीकृति सरकार ने 10 अक्टूबर, 2010 को ही भिजवा कर अपना सरोकार जता दिया। इस योजना की क्रियान्विति के लिए जिला स्तर पर 31, ब्लॉक स्तर पर 229 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 7,803 लोक शिक्षा समितियां गठित कर दी गई हैं। राज्य में इसके लिए सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है।

तकनीकी शिक्षा

अपने खुद के रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करने के वास्ते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की बड़ी भूमिका होती है। इसीलिए इन संस्थानों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। इस काम को और गति देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् बनाई जा चुकी है। इससे राज्य के निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबन्धन, परीक्षाओं का आयोजन, लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रमाणीकरण का काम किया जाएगा।

राज्य में निजी भागीदारी की योजनाओं के तहत कोटा में केंद्र सरकार की सहायता से एक ट्रिपल आई.टी. संस्थान बनाए जाने का फैसला सरकार ने किया है। इसके लिए राज्य सरकार ने निशुल्क भूमि और 45 करोड़ रुपये का अंशदान देने का निर्णय लिया है।

तकनीकी दृष्टि से पिछड़े बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के सहयोग से एक राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी कॉलेज खोला जा रहा है।

केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत राज्य में कुल 15 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा रहे हैं जिनमें से पांच सहशिक्षा के होंगे जो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, धौलपुर और बारां में पिछले सत्र में खुल चुके हैं तथा पांच में इस वर्ष प्रवेश दिए जा चुके हैं। सभी कॉलेजों के लिए भवन निर्माण का काम चल रहा है।

उच्च शिक्षा

राज्य में निजी क्षेत्र में 19 विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं और 25 अन्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा 29 ऐसे और विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है। पिछले विधानसभा अधिवेशन के दौरान दो निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के अधिनियम पास किए गए।

राज्य सरकार ने वर्ष 2009 में महाविद्यालयों में कॅरियर काउन्सलिंग तथा युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के वास्ते युवा विकास केन्द्रों की स्थापना का नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य के 125 सरकारी कॉलेजों के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 63 लाख रुपये दिए गए हैं और सभी कॉलेजों में ये केंद्र खुल चुके हैं।

निश्चित तौर पर शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए ये कार्य भावी पीढ़ी के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ●

सभी छाया : सुजस

बिजली में आत्मनिर्भरता से बदलेगा आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य

गुलाब बत्रा

भारत में जन्मी नरगिस, फिलीपींस में कमाचो तथा रूस में एलेक्जेंडर के जन्म को लेकर इस समय दुनिया में अनुमानित सातवें अरब बच्चे के दावे पर बहस छिड़ी हुई है लेकिन तेजी से बढ़ती जनसंख्या से मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पानी, बिजली और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों से जुड़ी जनसमस्याएं मुंह बाएं खड़ी हैं। इसलिए मानव समुदाय को अपने अस्तित्व के लिए इनके समाधान की दिशा में ठोस पहल करनी होगी।

ऊर्जा यानी बिजली संकट की बात करें । एक अनुमान के अनुसार ऊर्जा की लगभग 40 प्रतिशत जरूरत पेट्रोलियम पदार्थों से पूरी होती है। वर्ष 2040 तक गैस पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता में 5 प्रतिशत की वार्षिक दर से कमी अनुमानित है। कोयला सहित गैस एवं पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की सीमा को ध्यान में रखते हुए इन पर निर्भरता कम करनी होगी, वहीं बड़े पैमाने पर सौर एवं पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों को विकसित करने की नीति अपनानी होगी। प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ हर स्तर पर जनजागृति जरूरी है। केन्द्र सरकार का वर्ष 2012 तक देश के सभी घरों को रोशन करने का संकल्प है लेकिन ग्रामीण इलाकों में केवल 53 प्रतिशत घरों तक बिजली सुलभ है।

बिजली उत्पादन और खपत के मामले में भारत पांचवें पायदान पर है। भारत में अभी विद्युत उत्पादन की क्षमता लगभग 1 लाख 68 हजार मेगावाट है और यह प्रयास है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के आखिर तक इसमें करीब 78 हजार मेगावाट क्षमता की अभिवृद्धि की जा सके। यह लक्ष्य हासिल होने में तो संदेह है ही बल्कि अनुमान यह भी है कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो लाख मेगावाट विद्युत उत्पादन की जरूरत होगी और अगले दशक 2020 तक इसके चार लाख मेगावाट के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है। इस हिसाब से मांग और आपूर्ति में अन्तर बने रहने की सम्भावना अधिक है।

इधर भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रांत राजस्थान को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने की प्रक्रिया में यह अनुमान लगाया गया है कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त 2017 तक राज्य, विद्युत उपलब्धता में आत्मनिर्भर होने के साथ कम खपत वाले अन्य प्रांतों को भी बिजली सुलभ कराने में सक्षम होगा। राज्य के उद्योगमंत्री, राजेन्द्र पारीक ने हाल ही में जयपुर में आयोजित सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी उद्योग (एम.एस.एम.ई.) मीट, 2011 के उद्घाटन समारोह में यह आशा जताई थी कि 2013 तक लगभग चार हजार मेगावाट विद्युत

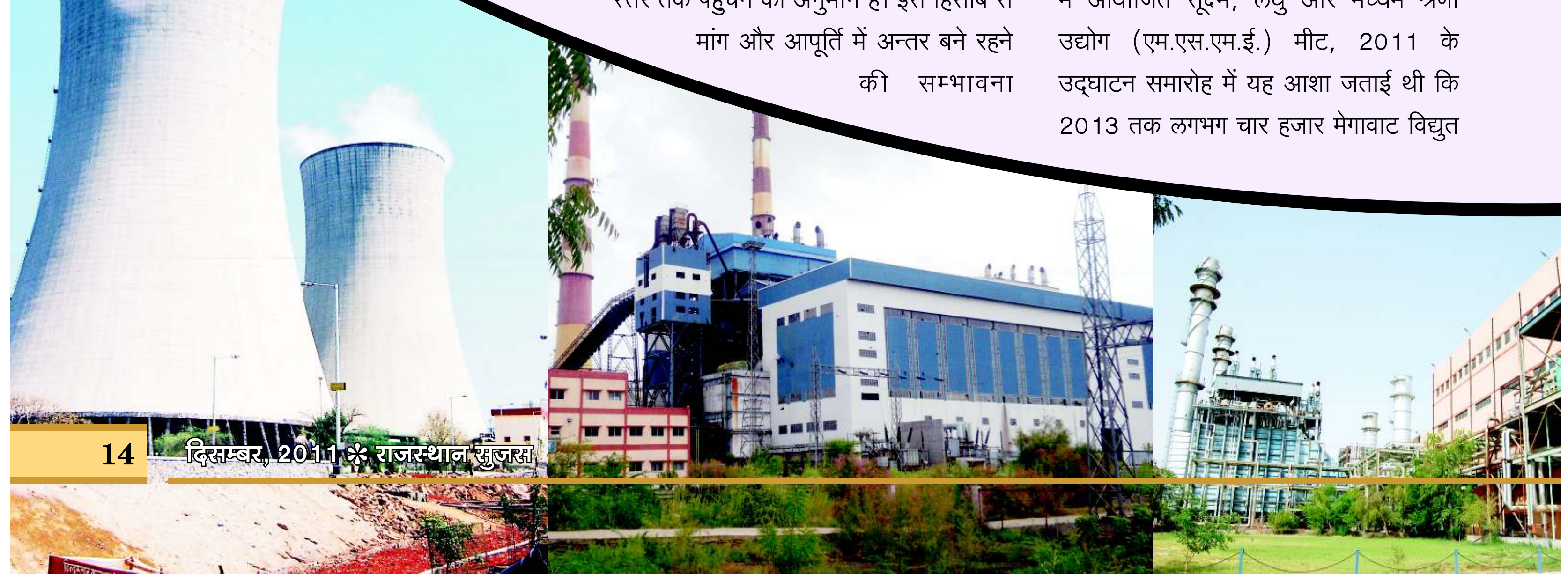

क्षमता की परियोजनाएं शुरू होने पर राजस्थान 'पावर सरप्लस' की स्थिति में आ जाएगा। इसी सम्मेलन में विशेषज्ञों का यह आकलन भी था कि औद्योगिक विकास में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में उत्तर भारत की स्थिति मजबूत नहीं है।

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में खेती योग्य जमीन बहुत कम होने तथा नाम मात्र के औद्योगिक विकास को देखते हुए वर्ष 2012 तक इनमें बिजली की उपलब्धता में 'सरप्लस' होने की स्थिति मानी जा सकती है लेकिन उत्तरी भारत के प्रांत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास का दारोमदार तो खेती एवं उद्योगों पर ही निर्भर है। इनमें पंजाब तथा उत्तरप्रदेश के गंगा, यमुना और तराई के सरसब्ज इलाकों को छोड़ दें तो राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कमोबेश खेती का सहारा मानसून ही है। मरुस्थलीय प्रदेश होने के नाते तो राजस्थान की हालत विकट हो जाती है जहां वर्षा के अभाव में भूमिगत जलदोहन भी बिजली से ही सम्भव है। उत्तरी ग्रिड अंतिम छोर पर होने के कारण राजस्थान को सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ता है जब भरी सर्दी में घना कोहरा होने से विद्युत प्रसारण लाइनें अक्सर ठप होती रहती हैं। उत्तरी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी में सुधार की स्थिति में ही राजस्थान को विद्युत उपलब्धता में तनिक राहत मिल पाती है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने विशेषकर खेती के लिए पिछले तीन सालों में करीब 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त बिजली खरीद की व्यवस्था करवाई है ताकि कृषि उत्पादन वृद्धि में मदद मिल सके।

मानसून की सुखद वर्षा के कारण

अपेक्षाकृत अधिक बुवाई से रबी फसल के लिए किसानों को छह से आठ घंटे विद्युत आपूर्ति की जरूरत होती है। इस सीजन के लिए मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, सुशील कुमार शिंदे से बातचीत कर केन्द्र के अनावंटित विद्युत कोटे से लगभग 200 मेगावाट विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करवाई है। यद्यपि रबी फसल की सिंचाई हेतु 8,927 मेगावाट की तुलना में राज्य में 6,998 मेगावाट की कमी रहेगी लेकिन 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली से काम चल जाएगा यदि समय पर मावठ हो गई तो किसानों की बल्ले-बल्ले हो जाएगी।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में ही विद्युत उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान को स्वावलम्बी बनाने की दिशा में अपना ध्यान केन्द्रित किया और इसके लिए वार्षिक बजट में भी प्राथमिकता दी। बीच में भाजपा के शासन काल के बाद पुनः शासन सम्भालने पर ही गहलोत ने इस मुहिम को गति दी। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में विद्युत उत्पादन, वितरण तथा प्रसारण तंत्र की मजबूती के लिए करीब 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया। वर्ष 2011-12 यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि का अंतिम वर्ष है।

दिसम्बर, 2008 में सत्तारूढ़ हुई गहलोत सरकार ने जनवरी, 2009 में निजी क्षेत्र में बांसवाड़ा तथा विद्युत उत्पादन निगम द्वारा सूरतगढ़ एवं छबड़ा में सुपर क्रिटिकल ताप बिजलीघर लगाने की मंजूरी दी। करीब 24 हजार करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इन ताप बिजलीघरों की उत्पादन क्षमता 3920 मेगावाट होगी। इसी तरह बांसवाड़ा में अणु बिजलीघर, कोटा, केशोरायपाटन, धौलपुर गिरल तथा रामगढ़ में भी विद्युत उत्पादन की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। करीब दस हजार मेगावाट क्षमता की इन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वयं मुख्यमंत्री सतत निगरानी करने के साथ प्रधानमंत्री एवं केन्द्र सरकार से नियमित सम्पर्क में लगे हुए हैं ताकि समय रहते परियोजनाओं पर काम शुरू हो सके। अब केन्द्र सरकार को भी इस दिशा में तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए ताकि विद्युत उत्पादन के राष्ट्रीय महत्त्व के काम को गति मिल सके। आंकड़ों के विश्लेषण देखें तो राजस्थान में दिसम्बर, 1998 से पहले के 50 वर्षों में जितनी विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित हुई, उसकी लगभग 50 फीसदी

अभिवृद्धि गहलोत के पिछले शासनकाल के दौरान दर्ज की गई। इसी तरह वितरण तंत्र की कुल क्षमता में विगत वर्षों की क्षमता से तीन गुना वृद्धि हुई। कई गांवों में शत-प्रतिशत बिजली का लक्ष्य पूरा किया गया।

प्रदेश में जनवरी, 2000 से राजस्थान राज्य विद्युत नियामक आयोग कार्यरत है। गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य ऊर्जा विकास अभिकरण (रेडा) तथा राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लि. (आर.एस.पी.सी.सी.) को मिलाकर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम (आर.ई.सी.) की अगस्त, 2002 में स्थापना की गई। इसके साथ ही बिजली बचत के तरीकों को प्रचारित किया गया। गहलोत ने पिछले शासन में 'बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ' का उद्घोष किया था। वर्तमान शासनकाल में इस नारे की राष्ट्रीय स्तर पर गूंज हुई और स्वयं प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने बिजली बचत के महत्त्व पर ध्यान केन्द्रित किया। स्वयं गहलोत ने इस नारे के साथ वृक्षारोपण अभियान के लिए 'हरित राजस्थान' का आह्वान किया।

राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में औसतन डेढ़ लाख रुपये लागत दर से दो लाख 11 हजार से अधिक कृषि कनेक्शन के साथ ही ग्रामीण अंचल में तेरह लाख घरों में बिजली सुलभ करवाई है। विद्युत वितरण निगमों के प्रतिवेदन के अनुसार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मार्च, 2010 तक 93.45 प्रतिशत गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है। अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झुन्झुनूं, सीकर, जालोर, सिरोही जिलों में शत-प्रतिशत तथा छह अन्य जिलों में ग्राम विद्युतीकरण का लक्ष्य अंतिम चरण में है। इसी तरह सिंचाई के लिए कुओं पर बिजली सुलभ कराई जा रही है।

गुणवत्तापूर्ण बिजली सुलभ कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी तकनीकी उपाय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2012 तक बिजली छीजत को 20 प्रतिशत के स्तर पर लाने का लक्ष्य है। इसके तहत फीडर सुधार योजना से भी काफी लाभ मिला है। आधुनिक तकनीक से विकसित विद्युत उपकरणों के उपयोग पर बल देने के साथ बिजली बचत एवं संरक्षण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। एक अध्ययन के अनुसार जयपुर डिस्कॉम में सी. एफ. एल. बल्ब बदलने से ही सालाना 80 मिलियन यूनिट बिजली की बचत सम्भव है। सौर ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के सुखद नतीजे सामने आने लगे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में घोषित 'त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम' को प्रभावी ढंग से लागू करने में राजस्थान ने पहल की है। विद्युत वितरण कम्पनियों में सूचना प्रौद्योगिकी के समावेश वाली इस योजना में कुल 529 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस योजना को तीस हजार से अधिक आबादी वाले 87 कस्बों और नगरों में लागू करने का प्रावधान है लेकिन राजस्थान में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसे समान रूप से लागू किया जाएगा जिस पर 233 करोड़ रुपये सरकार खुद वहन करेगी। इस योजना से ऊर्जा के सही स्वचालित अंकेक्षण के साथ अच्छी वोल्टेज एवं कृषि क्षेत्र को आठ घंटे बिजली आपूर्ति की प्रत्येक स्तर पर स्वत: निगरानी हो सकेगी। इस योजना के पूरी होने पर ग्राम पंचायत स्तर पर विद्युत व्यवस्था की पूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी तथा विद्युत वितरण तंत्र के प्रबन्धन में उनकी सहभागिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

मुख्यमंत्री, गहलोत ने शासन सम्भालने के बाद किसानों के लिए बिजली दरों में पांच साल तक कोई वृद्धि नहीं करने की साहसिक घोषणा की थी। स्वभाविक तौर पर इससे तथा कृषि विद्युत कनेक्शनों से बिजली कम्पनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसानों तथा अन्य विद्युत उपभोक्ताओं के हित में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण अंचल में विद्युत सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही नई जनगणना 2011 तथा विद्युतीकरण की नई परिभाषा के अनुसार

अविद्युतीकृत गांवों की संख्या में स्वाभाविक वृद्धि के तहत नई योजनाएं स्वीकृत की जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम पंचायत विद्युत वितरण योजना 'मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना' भी लागू की गई है।

राज्य में शहरों और कस्बों के साथ आज गांव भी जगमग होने लगे हैं। एकीकृत राजस्थान के गठन से पूर्व 22 देशी रियासतों में स्थापित 15 छोटे बिजलीघरों में कुल 13.27 मेगावाट बिजली का उत्पादन था। बिजली के नाम पर अंधेरे का साम्राज्य था, सांझ होते ही चिमनी या दीया जलाना पड़ता था। आंकड़ों में जाएं तो वर्ष 1949 के आसपास महज साढ़े तीन दर्जन शहरों, कस्बों और गांवों में ही बिजली सुलभ थी और विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या 34 हजार के लगभग थी। विद्युत विस्तार के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1957 में राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना की गई। जुलाई, 2000 में मंडल को भंग कर विद्युत वितरण की जयपुर, अजमेर, जोधपुर स्थित कम्पनी और विद्युत उत्पादन एवं प्रसारण तंत्र से जुड़ी कम्पनी गठित की गई। वर्ष 1951 में एक भी कुएं पर बिजली कनेक्शन नहीं था। आज कृषि कनेक्शनों की संख्या 10 लाख के पार हो गई है। गांवों-ढाणियों, हरिजन बस्तियों, आदिवासी रेगिस्तानी इलाकों तक में विद्युत सुविधा का विस्तार किया गया है। इसके लिए अलग-अलग क्षमता के ग्रिड स्टेशन स्थापित करने का अभियान जारी है। एक तरफ राज्य सरकार विद्युत उत्पादन वृद्धि के प्रयासों में जुटी है। वहीं बिजली की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है। एक अध्ययन के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8927 मेगावाट की तुलना में 2013-14 में 10447 मेगावाट तथा 2012-17 बारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिजली की मांग 14936 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन में यह आशा जताई गई है कि 2013-14 से बिजली के मामले में राजस्थान की सुखद तस्वीर बनेगी।।

राजस्थान में कोयला आधारित ताप बिजलीघरों में विद्युत उत्पादन की नई योजनाओं की केन्द्र से मंजूरी तथा वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ अधिक रेल परिवहन भाड़ा देकर सुदूर पूर्वी राज्यों से समय पर कोयले की उपलब्धता किसी चुनौती से कम नहीं है। कोटा, छबड़ा, सूरतगढ़ में ताप बिजलीघरों की 3240 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता के लिए रोजाना कोयला खपत 48 हजार टन है जिसके परिवहन भाड़े पर हर माह औसतन 415 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए पवन बिजली के साथ गैर परम्परागत पवन बायोमास तथा सौर ऊर्जा क्षेत्र में बिजली उत्पादन के कदम तेजी से बढ़ाएं जा रहे हैं। बिजली में आत्मनिर्भरता से प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिदृश्य बदलने में भी सहायता मिलेगी।

राजस्थान में पहली बार 765 के.वी. क्षमता की लाइन

विद्युत प्रसारण तंत्र में सुधार एवं छीजत में कमी के लिए राजस्थान में पहली बार 765 के. वी. क्षमता की विद्युत लाइन डाली जा रही है। बारां जिले के अन्ता से जयपुर जिले के फागी तक करीब 212 सर्किट कि.मी. लम्बाई में बिछाई जाने वाली दो तरफा लाइन तथा दोनों छोर पर ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण पर लगभग 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे जयपुर के हीरापुरा में बने राजस्थान के सबसे पुराने 400 के.वी. क्षमता के ग्रिड सब स्टेशन का लोड भी कम होगा तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली व्यवस्था में और सुधार आएगा।

राज्य में विद्युत उत्पादन के साथ प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में 400-220-132 के.वी. क्षमता की विद्युत लाइनों एवं ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 33 व 11 के. वी. क्षमता की वितरण लाइनों का जाल बिछाया गया है। एल.टी. एवं 11 के.वी. लाइनों की लम्बाई का कुल जोड़ किया जाए तो उन्हें पृथ्वी पर दस बार तक लपेटा जा सकता है।

सेवा में संवेदना

सत्य नारायण सिंह

महात्मा गांधी अक्सर कहा करते थे कि अंत में बैठे गरीब गणेश की सेवा करते समय उसकी संवेदनाओं को उचित आदर मिलेगा तो ही सेवा का सम्मान होगा। अगर सेवा से संवेदना गायब होती है तो उसका फल वैसा नहीं होगा जिस भावना से हम सेवा के काम में लगते हैं। हमारे गांवों के लिए सरकारों ने कितनी ही योजनाएं बनाई और चलाई । कितनी ही आज भी चलती हैं लेकिन अधिकांश का हश्र ग्रहणकर्ता के संतुष्ट न होने के कारण आशानुरूप नहीं हो पाता है।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में गांधीजी की इस बात को और गम्भीरता से समझा और समाज के पिछड़े तबके के लिए सरकार की ओर से जारी योजनाओं और कार्यक्रमों में संवेदना के उस तत्व को समाहित करने का अभियान छेड़ा जो अक्सर सरकारी योजनाओं से लापता होता रहा है। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में गरीबों की इस पीड़ा को दूर करने पर जोर दिया और कोशिश की कि जो भी मदद गांव-ढाणी के अभावग्रस्तों तक पहुंचे उसमें पाने वाले की संवेदनाओं को उचित सम्मान मिले। यही दृष्टिकोण उनका समाज के उस तबके के लिए भी रहा जिसे दुर्भाग्य से मदद लेने की मजबूरी हो गई है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पिछले तीन सालों के काम का मुख्य लक्ष्य भी सेवा में संवेदना का सत्कार रखा गया है। इसी भावना से सरकार ने वंचितों की पीड़ा को समझा और उन्हें दी जाने वाली मदद का आकार आज की जरूरत के हिसाब से बिना शिरकत किए ही बढ़ाया। चाहे पेंशन नियमों की बात हो या विकलांगों को मदद की बात, सबका उद्देश्य आज की पीड़ा की भरपाई करना ही रखा गया।

वृद्धों, विधवाओं और निशक्तजनों के पेंशन के मामले में नियमों में संशोधन कर पेंशन स्वीकृति के लिए परिवार के कमाने योग्य सदस्य की आयु सीमा को 20 से बढ़ाकर अब 25 वर्ष किया गया है। अब ऐसे वृद्धों, विधवाओं और निशक्तजनों जिनके परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कमाने योग्य सदस्य नहीं है, को पेंशन स्वीकृत की जाती है। इसका क्रियान्वयन फरवरी, 2009 से ही शुरू कर दिया गया है। इसी तरह राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे लोगों के लिए पेंशन नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि संवेदना के साथ सेवा का तत्व शामिल रहे। इसी तरह 75 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनर्स को 750 रुपये प्रतिमाह, 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को 500 रुपये प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशन के अन्तर्गत पति-पत्नी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने पर 1500 रुपये प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से कम होने पर 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन देने के नियमों को भी सुधारा गया और यह आदेश अप्रैल, 2010 से लागू हो गए।

आज के महंगाई के जमाने में हम घर के खर्च चलाने की संवेदना को वृद्धाश्रम संचालन में भी अपना कर देखें तो पाएंगे कि उसके नियम भी संशोधन चाहते हैं। इसीलिए वृद्धाश्रमों के लिए आवासीय भोजन, प्रति आवासी मासिक 725

सभी छाया : सुजस

रुपये को बढ़ाकर 1250 रुपये निर्धारित किया गया।

इस सरकार ने विकलांगता को अभिशाप नहीं माना और विशेष वर्ग के इन लोगों को समाज की मुख्यधारा में बनाए रखने के सभी प्रयासों को जारी रखा। विकलांग युवक, युवतियों को सुखद दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करने में सहयोग देने के लिए देय अनुदान राशि 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये एवं पात्रता के तहत आवेदक, उसके माता-पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय सीमा 12 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है।

विस्वास योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को स्वाभिमान से जीवनयापन के लिए स्वरोजगार गतिविधि प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित पात्रता के तहत वार्षिक आय सीमा 24 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये एवं ऋण सीमा 50 हजार रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये की गई है। यह नियम तो फरवरी, 2009 में ही लागू कर दिए गए। विकलांगों को स्वरोजगार या कृत्रिम अंग एवं उपकरण लगवाने के लिए सहायता योजना की पात्रता के तहत स्वयं आवेदक, माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय सीमा 9 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये तथा सहायता राशि 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये की गई है। विधवा एवं विकलांग पेंशन की दरें भी 400 से बढ़ाकर 500 रुपये एवं 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 750 रुपये प्रतिमाह किए जाने के लिए नियमों में संशोधन कर दिए गए हैं।

पिछड़े तबकों की मदद के बारे में तो सरकार ने खास खयाल रखा है। समस्त राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्र, छात्राओं एवं मूक-बधिर, नेत्रहीन एवं विमन्दितों के लिए संचालित विशेष विद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए मैस भत्ते 725 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह किए गए थे लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला तो भत्ता बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह किया गया हैं।

अनुसूचित जाति के बी.पी.एल परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय राज्य सरकार द्वारा कन्यादान की सहयोग योजना के अन्तर्गत अब बी.पी.एल परिवार के सभी वर्गों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर 10 हजार रुपये की सहायता राशि देय थी लेकिन शिक्षा को प्रोत्साहन देने की गरज से इसके नियमों को और उदार बनाया गया। अब 10वीं (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 5 हजार रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी कुल 15 हजार रुपये एवं स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर 10 हजार की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि यानी कुल 20 हजार रुपये देय होगी। परित्यक्ताओं को पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में भी राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन नियम, 1974 को संशोधित किया गया है।

पिछले तीन साल में सरकार ने मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की अगुवाई में और भी अनेक ऐसे कामों को आगे बढ़ाया गया है जो गांधी जी की सोच को सम्मान देते हैं । मसलन, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड के गठन के पश्चात गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन पिछले साल ही कर दिया गया। एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत एचआईवी, एड्स पीड़ित किसी भी आयु की विधवा महिला को 400 रुपये पेंशन देना शुरू किया गया है। पालनहार योजनान्तर्गत कुष्ठ रोग अथवा एड्स पीडित माता-पिता के बच्चों को भी 675 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पालनहार योजनान्तर्गत सक्षम अधिकारी की ओर से जारी पुनर्विवाह पंजीयन के आधार पर पुनर्विवाहित माता के बच्चों को भी इस योजना में शामिल करने का निर्णय किया गया है।

गाड़िया लुहार परिवारों को आवास निर्माण के लिए देय सहायता 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये किए गए हैं। आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की दरों में वृद्धि कर 7340 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र से बढ़ाकर 10,600 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत हैल्पलाइन के लिए पुलिस मुख्यालय, जयपुर पर टोल फ्री टेलीफोन 1800 180 6025 स्थापित किया गया है। इस टेलीफोन से किसी भी प्रकार की अनहोनी पर मदद मिलेगी। सामान्य श्रेणी के निशक्त विद्यार्थियों को भी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में फीस का पुनर्भरण किया जाता है। •

लोकहित की योजनाएं जन-जन तक पहुंचे

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री, डॉ. जितेन्द्र सिंह, जनसम्पर्क विभाग को सशक्त बनाने के साथ-साथ देश में राजस्थान की विकसित छवि प्रस्तुत करना चाहते हैं। यहां प्रस्तुत है उनका साक्षात्कार :

प्रश्न - राजस्थान की पारम्परिक छवि है। आज हालात बदल गए हैं। बदलते हुए परिदृश्य में राज्य की छवि बदलने के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?

उत्तर - राज्य सरकार राजस्थान की छवि को नए जमाने के अनुसार ढालने के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ठोस कार्यक्रमों और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ विकास कार्यक्रमों और नवाचारों को लागू करने के लिए कृतसंकल्प हैं। चाहे वह लोक सेवा गारण्टी अधिनियम हो या फ्लैगशिप कार्यक्रम, चाहे जननी शिशु सुरक्षा का मसला हो या बी.पी.एल. आवास सुविधा उपलब्ध कराने का मामला, मुख्यमंत्री सभी योजनाओं को सम्पूर्ण संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने पंचायतीराज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर 'ग्रास रूट लेवल' तक प्रशासनिक और संवैधानिक व्यवस्थाएं लागू करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं जिनके परिणाम आज हमारे सामने हैं। हम कह सकते हैं कि आज का राजस्थान ऊंटों और धोरों का राजस्थान नहीं है। आज का राजस्थान सक्षम, सशक्त और विकसित राजस्थान है और हमें इसी राजस्थान की छवि को देश और दुनियां को दिखानी है। मीडिया और जनसम्पर्क के माध्यम से हम इस छवि को और निखारेंगे। इसके लिए हम सूचना के अधिकार, संचार माध्यमों के उपयोग, सूचना क्रांति के संसाधनों का प्रयोग और दक्षतावर्धन पर जोर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त सूचना केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से जोड़ा गया है। जनसम्पर्क कर्मियों को संचार उपकरणों से लैस किया गया है। विभागीय समाचार सम्प्रेषण प्रणाली को सुधारा गया है। दक्षता विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि लगभग सभी कमियां पूरी करके एक नए जनसम्पर्क युग का सूत्रपात किया जाएगा। इससे विभागीय कार्य प्रणाली तो विकसित होगी ही राज्य की छवि भी परम्परागत छवि से मुक्त होकर नए स्वरूप में देश और दुनिया के सामने आएगी।

प्रश्न - इस समय ज्ञान और सूचना का विस्फोट हो रहा है। सूचना क्रांति के इस दौर में जब सारे संचार माध्यम हाईटेक हो गए हैं विभाग की दशा और दिशा बदलने की दृष्टि से क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर - विभाग के आधुनिकीकरण और सशक्तीकरण को अति आवश्यक मानते हुए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में सूचना तन्त्र का सशक्त होना नितांत आवश्यक है। यदि हम बेहतरीन काम करें और उनका प्रचार-प्रसार समय पर और सही ढंग से नहीं हो पाए तो परिणाम उतने सार्थक नहीं मिल पाएंगे जितने होने चाहिए। समय के मुताबिक जनसम्पर्क अधिकारियों को लेपटॉप, कैमरे, वाहन सुविधा और अन्य संसाधन देकर कार्य प्रणाली में गतिशीलता लाई गई है। साथ ही सूचना केन्द्रों को वाई -फाई, टी.वी., फर्नीचर, प्रचार सामग्री और पुस्तकालय आदि की सुविधाओं से जोड़ा गया है। विभागीय वेबसाइट पर सामयिक सामग्री प्रसारित की जाती है। सभी कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डिजिटल कैमरे, फैक्स, फोन, मोबाइल आदि की सुविधाएं दी गई हैं । कुल मिलाकर विभाग को हाईटेक करके वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कार्यकुशलता में वृद्धि की गई है।

प्रश्न- विभाग को दिशा-निर्देश प्रदान कर आप नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सशक्त बनाने के इच्छुक हैं। ऐसे में विभाग से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?

उत्तर - सभी अधिकारियों को यह समझना होगा की सूचना तन्त्र को सशक्त करना समय की मांग है। इससे समाचार सम्प्रेषण में तेजी लाना जरूरी है, यह तभी सम्भव है जब हम ज्ञान, अनुभव और संसाधनों की त्रिवेणी का लाभ उठाएंगे। अब प्रत्येक सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी को आधुनिक संचार साधनों का ज्ञान होना आवश्यक होगा। साथ ही बढ़ते हुए

इलैक्ट्रोनिक मीडिया, तेजी से ग्लोबल होती हुई दुनिया और संचार माध्यमों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उन्हें अपनी कार्य प्रणाली भी बदलनी होगी। समय आ गया है कि प्रचार–प्रसार के लिए परम्परागत साधनों के साथ–साथ आधुनिक प्रक्रिया को भी अपनाया जाए।

विशेष बात यह है कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी जरूरी हैं। आज राज्य सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा जैसा महत्त्वपूर्ण अभियान चलाया है। इसके तहत ही राज्य में सात करोड़ लोगों को जैनरिक मेडिसिन देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। साढ़े दस लाख लोगों को बी.पी.एल. आवास उपलब्ध कराने की योजना है। पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने और राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के माध्यम से गांव –गांव में आई.टी. केन्द्रों का जाल बिछाने जैसे अभूतपूर्व काम किए गए हैं। यदि इन सब बातों का प्रचार–प्रसार नहीं किया जाएगा तो इन कामों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए विभाग से मेरी यह अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार अन्तिम पंक्ति में बैठे अन्तिम व्यक्ति तक लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए।

प्रश्न – मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भी पत्रकारों के कल्याण के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए थे। उनके कार्यकाल में इस बार भी पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार आवास योजना, पत्रकार कल्याण कोष से सहायता देने, मेडिकल डायरी आदि की सुविधा जैसे और महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। भविष्य में पत्रकारों के कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं?

उत्तर – आज के समाज में मीडिया बहुत सशक्त हो गया है। पहले भी यह इतना सशक्त था कि नेपोलियन जैसा योद्धा भी मीडिया से घबराता था। आज भी मीडिया के सहयोग के अभाव में कई अच्छी–अच्छी योजनाएं प्रचार–प्रसार के बिना अप्रभावी रह जाती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ पत्रकारिता के विकास के लिए पत्रकारों को सुविधाएं प्रदान की जाएं। यह आवश्यक है क्योंकि पत्रकार सारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोकतंत्र के चौथे खम्भे के रूप में लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं । इस दृष्टि से पत्रकारों की समस्याओं, मुख्य रूप से आवास समस्या का समाधान करने की चेष्टा की गई है। पत्रकारों को जिला स्तर पर ही नहीं पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी आवास सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके लिए गम्भीर बीमारियों में इलाज की व्यवस्था का प्रावधान भी किया जा रहा है। उन्हें पत्रकार कल्याण कोष से दुर्घटना और बीमारी अथवा मृत्यु जैसी त्रासदियों पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। साहित्यकारों को भी इसका लाभ दिया जा रहा है। इसके अलावा पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी मुख्यमंत्री निरन्तर चिन्तित रहते हैं और उनको निरन्तर सहायता एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है।

प्रश्न – अगले दो वर्ष में राज्य सरकार के लोककल्याणकारी निर्णयों एवं कार्यक्रमों को जन–जन तक पहुंचाने की दृष्टि से आपकी क्या कुछ विशेष योजनाएं हैं?

उत्तर – समस्याओं के समाधान और समन्वय के प्रति खुली चर्चा का निमंत्रण देते हुए जनसम्पर्क मंत्री कार्यशैली में बदलाव और आधुनिक सोच अपनाने का आग्रह करते हैं। उनका लक्ष्य सूचना तकनीक के आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल कर जनसम्पर्क को ठोस धरातल प्रदान करना है ताकि आने वाले समय की आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में सूचना एवं जनसम्पर्क की अवधारणा को निश्चित और सशक्त दिशा दी जा सके।

प्रश्न – आप ऊर्जा मंत्री का दायित्व भी निभा रहे हैं ऐसे में राजस्थान में शासन के 3 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रहीं । आगामी दो वर्षों के लिए ऊर्जा क्षेत्र में क्या प्रयास होंगे ?

उत्तर – माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। पहली बार राज्य में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत क्षेत्र में नई सौर ऊर्जा नीति–2011, बायोमास ऊर्जा नीति–2010 जारी की गई। अब पवन ऊर्जा नीति भी जारी की जाएगी। सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता दिसम्बर, 2011 तक 200 मेगावाट बढ़ जाएगी। इसमें अगले वर्ष 2012–13 में 350 मेगावाट क्षमता और जुड़ेगी। शासन के 5 वर्षों में सौर ऊर्जा के उत्पादन में नए आयाम स्थापित होंगे। राज्य सरकार सौर ऊर्जा उत्पादन में 1150 मेगावाट बिजली उत्पादन कर लेगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। जवाहर लाल नेशनल सोलर मिशन के तहत 873 मेगावाट की परियोजना का आवंटन हुआ है।

राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता 3 वर्षों में 1100 मेगावाट हो गई है। वहीं 5 वर्षों में बढ़कर 2200 मेगावाट हो जाएगी। बायोमास ऊर्जा के क्षेत्र में तीन वर्षों में 60 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता प्राप्त की वहीं 5 वर्षों में यह बढ़कर 90 मेगावाट हो जाएगी। परम्परागत ऊर्जा स्रोत में बिजली उत्पादन तीन वर्षों में 1070 मेगावाट की वृद्धि हुई है। परम्परागत ऊर्जा की भावी योजनाओं में सरकार ने 5 नए सुपर क्रिटीकल पावर योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें छाबड़ा में दो योजनाएं 2 × 660 मेगावाट, सूरतगढ़ में 4 × 660 मेगावाट, बांसवाड़ा 2 × 660 मेगावाट तथा काली सिंध में 2 × 600 मेगावाट शामिल हैं। राज्य सरकार ने धौलपुर, कोटा, छाबड़ा, रामगढ़ एक्टेंशन में चार गैर आधारित योजनाएं भी स्वीकृत की हैं ये 9 परियोजनाएं 12वीं. पंचवर्षीय योजना में शुरू हो जाएंगी इन योजनाओं पर 44200 करोड़ की लागत आएगी।

राज्य सरकार ने मई, 2011 में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी पॉलिसी लागू कर दी है। इसके तहत जिन लोगों की भूमि विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए ली जाएगी उनको उचित मुआवजे सहित अन्य लाभ देने का प्रावधान किया है। पारम्परिक ऊर्जा क्षेत्र में गत 3 वर्षों में ऊर्जा उत्पादन में 3105 मेगावाट की वृद्धि की गई। राज्य के किसानों, उद्योगों एवं घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2009–10 में 16885 करोड़ की बिजली क्रय कर उपलब्ध कराई गई वहीं वर्ष 2010–11 में 14268 करोड़ की बिजली उत्पादन और उपभोग के संतुलन को बनाने के लिए खरीदी गई।

अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध कराने, बिजली छीजत को कम करने, बिजली तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 3 वर्षों में प्रदेश भर में 400 केवी के 5 व 220 केवी के 15 तथा 33/11 केवी के कुल 1047 जीएसएस स्थापित किए हैं। दिसम्बर,2008 से नवम्बर, 2011 तक 2026 गांवों को बिजली से जोड़ा गया। हरिजन बस्तियों को बिजली से जोड़ने के उद्देश्य से 3 वर्षों में 240 हरिजन बस्तियों को बिजली से जोड़ा गया। प्रदेश में 1,97,698 कुओं का विद्युतिकरण हुआ वहीं अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित करने के लिए 37,234 कुओं पर बिजली कनेक्शन दिए। कुटीर ज्योति योजना में 6,17,899 लोगों को बिजली कनेक्शन दिए।

इस प्रकार शासन के तीन वर्षों में राजस्थान में अन्य राज्यों दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की अपेक्षाकृत बिजली की व्यवस्थाएं बेहतर हैं। मुख्यमंत्रीजी के जवाबदेह, संवेदनशील एवं पारदर्शी शासन देने के संकल्प पर चलते हुए जनहित में कार्य किए जा रहे हैं।

प्रशन – आप जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री भी हैं। विभाग की 3 वर्षों की उपलब्धियां क्या हैं?

उत्तर – राज्य में पेयजल की आपूर्ति व मांग में बढ़ता अंतर चिंता का विषय है। प्रदेश में लगभग 91 प्रतिशत पेयजल परियोजनाएं भूजल पर आधारित हैं। अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। यह भी चिंता का विषय है। सरकार इन समस्याओं को देखते हुए आमजन की समस्याओं के निदान, व्यवस्थाओं तथा प्रबन्धन के प्रति गम्भीरता से पुरजोर प्रयास कर रही है। प्रदेश में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की 76 वृहद जल परियोजनाओं द्वारा 35 शहर–कस्बे, 3427 गांव तथा 684 ढ़ाणियों को पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। इस व्यवस्था पर 10720.49 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

विभाग को दिसम्बर, 2008 से वर्ष 2011–12 तक राज्य सरकार से 7697.76 करोड़ की राशि मिली। आवंटन राशि में से विभाग ने 77 प्रतिशत राशि खर्च की। पी.एच.ई.डी. की प्रमुख उपलब्धियों में नवम्बर, 2011 तक 20984 गांव तथा ढ़ाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य 3906 बस्तियों, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य की 2302 बस्तियों व अल्पसंख्यक बाहुल्य 811 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार विभाग ने आमजन की समस्याओं और शिकायतों के लिए आम नागरिक टोल फ्री शिकायत केन्द्र की स्थापना की है। ये केन्द्र सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक काम कर रहे हैं। प्रदेश में भू–जल विभाग में कई जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही है। वर्षा जल संग्रहण के कार्य भी किए जा रहे हैं। ●

प्रस्तुति – पुष्पा गोस्वामी

भटकों को राह दिखाती नवजीवन योजना

विश्वास कुमार

देश में आजादी के समय से ही कई समुदाय और जातियां शिक्षा और रोजगार के अभाव में समाज की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाए और अपने जीवन यापन के लिए उन्हें अवैध मदिरा के निर्माण और विक्रय का रास्ता चुनने को मजबूर होना पड़ा। समाज के समृद्ध तबकों ने भी इन्हें उपेक्षित मानकर सही राह पर लाने का प्रयास नहीं किया जिससे ये लोग परम्परागत रूप से अवैध मदिरा के व्यवसाय को ही अपनी आजीविका के तौर पर अपनाने लग गए। हालांकि ये जानते थे कि ऐसा करना गैरकानूनी है लेकिन ऐसे परिवारों की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ ही साक्षरता की कमी, जागृति का अभाव तथा वैकल्पिक रोजगार की कमी ने इन्हें गलत रास्ता अपनाने को बाध्य कर दिया। सरकार और समाज की उपेक्षा से ये जातियां मुख्यधारा से विलग रही और कालांतर में इनकी छवि भी ऐसी बन गई कि इन्हें और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया जिससे न चाहते हुए भी ये ऐसे व्यवसाय से जुड़ गए जो समाज से इन्हें अलग-थलग ही रखता रहा।

राजस्थान में 1950 में बने आबकारी अधिनियम के प्रावधान लागू हैं और सालों तक सरकार अवैध मदिरा के निर्माण और विक्रय से जुड़ी विभिन्न जातियों के खिलाफ इसी कानून के तहत कार्रवाई करती रही और इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किसी ने नहीं किया और ना ही जरूरत समझी। बार-बार कानूनी कार्रवाई होने के बाद भी वैकल्पिक रोजगार के अभाव में ये समुदाय अवैध शराब के व्यवसाय को छोड़ नहीं पाए। कहने को सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रारम्भ में कुछ प्रयास इन्हें सुधारने के लिए किए लेकिन इनके पुनर्वास की ठोस योजना के अभाव में ज्यादा कुछ नहीं हो सका।

तीन साल पहले सत्ता में आई वर्तमान सरकार ने पहली बार ऐसे लोगों को समाज से जोड़ने के लिए नवजीवन योजना प्रारम्भ की तो इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को आशा की एक किरण नजर आई कि बहुसंख्यक समाज में उनका भी कोई स्थान हो सकता है। नवजीवन योजना का मुख्य लक्ष्य बनाया गया अवैध शराब के निर्माण और विक्रय से जुड़े लोगों, परिवारों और समुदायों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना, अशिक्षा दूर करना और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके लिए आबकारी से होने वाली आय की एक प्रतिशत राशि का प्रावधान

इनके पुनर्वास के लिए निर्धारित कर कार्य योजना बनाई गई।

सितम्बर, 2009 से प्रारम्भ की गई इस योजना के पहले चरण में अवैध मदिरा के व्यवसाय में लिप्त परिवारों, समुदायों और लोगों को चिन्हित करने के लिए व्यापक सर्वे स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से करवाया गया। सर्वे का काम पूरा होने के बाद नुक्कड़ नाटक व सभाएं आदि आयोजित कर के इन लोगों में जागृति लाने के प्रयास प्रारम्भ किए गए जिससे इन्हें अवैध शराब के व्यवसाय से विमुख कर वैकल्पिक रोजगार अपनाने को प्रेरित किया जा सके। जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर के इस कार्य को गति देने का प्रयास किया गया और कालांतर में इसके परिणाम भी मिलने लगे।

नवजीवन योजना की क्रियान्विति के पहले साल में इस व्यवसाय से जुड़े 5097 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित कर के उनके पुनर्वास के लिए पांच करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया। पहले साल में ही इस कार्य के उत्साहजनक परिणाम सामने आए जब 1741 परिवारों के 3033 लोगों को योजना के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण देकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिली। इन लोगों पर पहले साल में 282 लाख की राशि खर्च की गई।

सभी छाया : सुजस

इस योजना को मिली प्रारम्भिक सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने अगले साल 2010-11 में योजना का और विस्तार किया और इन परिवारों के सदस्यों को प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार प्रारम्भ कराने के लिए बैंकों से कर्ज के साथ ही अनुदान दिलाकर इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में कदम उठाए गए । इनकी बस्तियों में आवश्यकता अनुसार बिजली, सड़क, पीने के पानी की आधारभूत सुविधाएं विकसित करने को योजना राशि 25 करोड़ रुपये में से 25 प्रतिशत राशि खर्च करने का निर्णय किया गया।

इस योजना की क्रियान्विति की सफलता इसी से आंकी जा सकती है कि वर्ष 2010-11 में अवैध शराब के व्यवसाय से जुड़े 34 सौ व्यक्तियों को किराणा, मणिहारी, बकरी पालन, भैंस पालन, नरेगा मेट, मोटर ड्राइविंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोटर वाइंडिंग, सिलाई, हैण्डीक्राफ्ट, प्लम्बर, टू-व्हीलर रिपेयरिंग आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर उन्हें बैंकों और सरकार की विभिन्न योजनाओं से कर्ज व अनुदान देकर सक्षम बनाया गया। नवजीवन योजना को और अधिक प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में इस काम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय किया गया।

समाज से सदियों से अलग-थलग पड़े लोगों और परिवारों को मुख्यधारा में लाने के भगीरथी प्रयास को सफल बनाने की दिशा में पहल की जा चुकी है। ये एक गुरुतर कार्य है लेकिन आगाज अच्छा हुआ है तो आने वाले कुछ ही सालों में इस काम से हजारों लोगों के जीवन में नवजीवन का संचार होगा वहीं राज्य को एक सामाजिक बुराई से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। ●

राजस्थान में फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन

प्रज्ञा पालीवाल गौड़

मेरे लिए आदर्श गांव वह है जो अपनी सभी आवश्यक जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है लेकिन साथ ही दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सक्षम है। ऐसे गांव में होशियार व शिक्षित लोग होने चाहिए। प्रत्येक गांव की पहली प्राथमिकता अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए। तभी सभी समुदाय एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रह पाएंगे।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यह कथन आज के भारत के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना पूर्व में था। महात्मा गांधी ने कई बार यह कहा था कि भारत गांवों में बसता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांवों का विकास करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी वही गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं दी जानी चाहिए जो शहरी व अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के निवासियों को मिलती रही हैं । यह मूल अवधारणा ही राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं का आधार रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य गांवों में कृषि, आर्थिक, सामाजिक व आधारभूत संरचना का विकास करना है जिससे लोगों को सभी सुविधाएं गांव में ही मुहैया कराई जा सकें और गांववासियों को अपनी आजीविका के लिए शहरी क्षेत्रों में पलायन न करना पड़े। ग्रामीण विकास के प्रति संकल्पबद्ध सरकार की इन योजनाओं के माध्यम से गांवों में ही रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जनकल्याणकारी सुविधाएं दी जा रही हैं। भारत निर्माण फ्लैगशिप योजनाओं में न केवल गांव बल्कि शहरों में भी समावेशी विकास की बात कही गई है। प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह के शब्दों में ''समावेशी विकास हमारी विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु है। तीव्र आर्थिक विकास से यदि गरीब और वंचित लोगों, हमारे किसानों, कामगारों, हमारे बच्चों, विद्यार्थियों का कल्याण नहीं होता तो इसका कोई अर्थ नहीं है।''

> ''मेरे लिए आदर्श गांव वह है जो अपनी सभी आवश्यक जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर है लेकिन साथ ही दूसरे क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी सक्षम है। ऐसे गांव में होशियार व शिक्षित लोग होने चाहिए। प्रत्येक गांव की पहली प्राथमिकता अपनी खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना चाहिए। तभी सभी समुदाय एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से रह पाएंगे।''

इसी दृष्टिकोण से भारत निर्माण फ्लैगशिप कार्यक्रम और अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से एक सुविकसित, सम्पन्न और समान नागरिकों वाले समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार रूप देने का प्रयास किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के नेतृत्व में भारत निर्माण की इन योजनाओं का पूरी तत्परता से क्रियान्वित किया गया है।

राज्य में ग्रामीण जनता को गांव में ही सुनिश्चित रोजगार मुहैया कराने और गांवों में ढांचागत विकास को गति प्रदान करने का कार्य किया गया है । महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के तहत अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को एक वर्ष में सौ दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इस महत्त्वाकांक्षी योजना के कुशल क्रियान्वयन से प्रदेश के 4,97,594 परिवारों को वर्ष 2010-2011

तक रोजगार दिया गया। इस वर्ष अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार 68,691 परिवारों को सौ दिन का रोजगार प्रदान किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम के लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत काफी अधिक है। क्रियान्वयन की प्रगति को देखने पर ज्ञात होता है कि वर्ष 2010-2011 में लाभान्वितों में 68 प्रतिशत महिलाओं, 26 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 23 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। इसी वर्ष कुल 30.27 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया और इस योजना के क्रियान्वयन पर 3300.33 करोड़ रुपये व्यय किए गए। अक्टूबर, 2011 तक 1841.24 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 6802.17 करोड़ रुपये भारत सरकार और 350 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार के मद में रखा गया है। योजना के कुशल क्रियान्वयन से रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर हो रहा पलायन रुका है, वहीं गांवों में ही अचल परिसम्पत्तियों का निर्माण हुआ हैं।

योजना के तहत भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों के निर्माण की सघन मॉनिटरिंग कर पंचायत समिति स्तर के 235 केन्द्रों और ग्राम पंचायत स्तर के 5921 केन्द्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष कार्य इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार के प्रयासों से केन्द्र सरकार द्वारा आबादी क्षेत्र में व्यक्तिगत लाभ के कार्यों में पीने के पानी हेतु टांका निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

सभी छाया : सुजस

राज्य में क्रियान्वित होने वाली फ्लैगशिप योजनाओं में गांवों में आधारभूत संरचना के विकास, शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता लाना है।

राज्य में शिक्षा का अधिकार लागू हो जाने के बाद से शिक्षा का सार्वजनीकरण हो रहा है। प्रदेश में तत्परता से लागू किए जा रहे सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों की विद्यालय में पहुंच, नामांकन, विद्यालयों में ठहराव, ड्रॉप आउट्स को रोकना, शिक्षा में गुणवत्ता, अनिवार्य और निशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना प्रमुख है। वर्ष 2011-12 में सर्वशिक्षा अभियान के लिए कुल 3592.29 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। इसके तहत वंचित वर्ग के छात्र-छात्राओं, अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं विशेष रूप से दी गई हैं। नवाचार गतिविधियों के तहत विद्यालय भवन में शौचालयों का निर्माण, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए विद्यालयों को आकर्षक शैक्षिक किट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब भी बनाए गए हैं। स्कूलों में ठहराव सुनिश्चित करने और ड्रॉप आउट्स रोकने के उद्देश्य में राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम राज्य के 79 हजार 845 राजकीय और राजकीय अनुदानित विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत कक्षा एक से पांच के 52.81 लाख विद्यार्थी और कक्षा 6 से 8 के 20.60 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष

2010-11 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 676.04 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

गांवों में आधारभूत संरचना का प्रमुख भाग हैं ग्रामीण आवास। इसका लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण लोगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाइयों के निर्माण अथवा क्रमोन्नयन में मदद करना है। महिला अधिकारिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मकानों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाता है। वर्ष 2011-12 में इन्दिरा आवास योजना के लिए भारत सरकार द्वारा 208.89 करोड़ रुपये केन्द्रीय आवंटन और 69.63 करोड़ रुपये के राज्य की अनुपातिक राशि समेत कुल 278.52 करोड़ रुपये की वित्तीय राशि से 61,894 नवीन आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

गांवों और शहरों को जोड़ने का अहम कार्य किया है, प्रदेश में संचालित की जा रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रारम्भ से सितम्बर, 2011 तक 34,788 किलोमीटर डामर सड़कों का निर्माण कुल 4959 करोड़ रुपये व्यय करके किया जा चुका है। प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन के बाद सड़क सम्पर्क 50 प्रतिशत से बढ़कर 77 प्रतिशत हो गया है। नई सड़कों के निर्माण के अलावा लगभग 2869 करोड़ रुपये व्यय कर 13 हजार 632 किलोमीटर लम्बी सड़कों का उन्नयन भी किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन से आम जनता की राह सुगम हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाने, जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जनसांख्यिकीय सन्तुलन सुनिश्चित करने, चिकित्सा की अन्य पद्धतियों को मुख्यधारा का अंग बनाने, महामारियों सहित संचार और गैर सरकारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया गया है। इस मिशन के क्रियान्वयन के बाद से संस्थागत प्रसव का आंकड़ा वर्ष 2005 में 28 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2010-11 में 74.04 प्रतिशत हो गया है। राज्य में स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा विकसित और सुदृढ़ करने के लिए 5 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए 334 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण एवं नवीनीकरण अथवा मरम्मत के कार्य करवाए गए। राज्य के सुदूर रेगिस्तानी एवं आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण मेडिकल इकाई द्वारा अब 12 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं से वंचित 12.50 लाख से अधिक रोगियों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ पहुंचाया गया है। गांवों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने के लिए राज्य के सभी गांवों में 43 हजार 440 ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया। राज्य में मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना के तहत एक जनवरी, 2009 से 30 सितम्बर, 2011 तक लगभग 96 लाख 48 हजार रोगियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

फ्लैगशिप योजना में शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सैनीटेशन, सीवरेज, कचरा प्रबन्धन, शहरी परिवहन और शहरों के पुराने हिस्सों में पुनरुद्धार के कार्यों के लिए जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना का क्रियान्वयन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन से शहरी क्षेत्रों में परिवहन व अन्य सुविधाओं में सुधार स्पष्ट देखा जा सकता है।

एक विकसित और आत्मनिर्भर गांव के लिए आवश्यक है संचार की आधारभूत व्यवस्था का होना। इसी को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण जन दूरभाष सुविधा का क्रियान्वयन भी प्रदेश में प्राथमिकता से किया जा रहा है। भारत निर्माण के अन्तर्गत राजस्थान के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड ने 31 अक्टूबर, 2010

तक 11 हजार 921 गांवों में दूरभाष सुविधा उपलब्ध करा दी है। साथ ही पूरे प्रदेश में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थानीय निवासियों को बड़ी सुविधा दी गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित उपरोक्त फ्लैगशिप कार्यक्रमों के अलावा राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जा रहे हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य प्रदेशवासियों का सर्वांगीण विकास करना है। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना के तहत राज्य के बीपीएल और स्टेट बीपीएल वर्ग के परिवारों को अन्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 25 किलोग्राम अन्न प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 38.83 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना की शुरुआत यूपीए अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा 3 जून, 2011 को बांसवाड़ा में की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत आगामी 3 वर्षों में इन्दिरा आवास योजना को शामिल करते हुए 10 लाख बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्यों, अल्पसंख्यकों और गैर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे के ग्रामीण परिवारों को इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर वित्तीय सहायता देकर नई आवासीय इकाइयों के निर्माण में मदद करना है।

राज्य सरकार द्वारा आवासीय सुविधाओं के विस्तार के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी वर्ष 2009 से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक दृष्टि से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लोगों के आवासों की कमी को दूर करना और गरीबों के कम लागत पर आवासों का निर्माण करना है। इस योजना के तहत वर्ष 2013-14 तक कुल 5 लाख आवास बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आमजन में स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयां निशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना से गरीबों को जीवनरक्षक सर्वाधिक आवश्यक दवाइयां निशुल्क मिलने से लोगों को राहत मिली है। इस योजना के लिए पूरे प्रदेश में 15 हजार दवा वितरण केन्द्र बनाए गए हैं। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान शिशु जननी सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिनों तक सरकारी चिकित्सा संस्थानों में सभी प्रकार की निशुल्क सेवाएं जैसे दवाइयां, जांच, भोजन और परिवहन आदि उपलब्ध करवाई जा रही है । लोगों को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए एक निश्चित समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने के गारण्टी अधिनियम को लागू किया गया है। इस योजना में जनता से जुड़े 15 विभाग – ऊर्जा, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व, स्थानीय निकाय, नगरीय विकास, आवासन, खाद्य, वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन और जिला प्रशासन को सम्मिलित किया गया है।

व्यापक रूप से क्रियान्वित की जा रही इन सभी योजनाओं के माध्यम से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक विभागों की सुविधाएं अब वहीं मुहैया की जा रही हैं। भारत निर्माण की इस रणनीति से सभी को विश्वास है कि भारत में सुविधाओं से वंचित और सम्पन्न लोगों के बीच की खाई को समाप्त कर दिया जाएगा। ●

महिला सशक्तीकरण नीतियां

सार्थक और सकारात्मक होंगे परिणाम

राधेश्याम तिवाड़ी

पिछले तीन वर्ष की उपलब्धियों पर विचार करें तो प्रदेश में महिलाओं के लिए समानता, सामाजिक न्याय और बिना भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जितनी विधिक सुविधाएं प्रदान की गईं हैं, उनसे पता चलता है कि सरकार कितनी तत्परता के साथ महिलाओं की सशक्तीकरण के प्रयास कर रही है। यह सही भी है कि जब तक महिलाओं को किसी राष्ट्र या प्रदेश के विकास में पूरी समानता के साथ भागीदारी नहीं दी जाती तब तक सम्पूर्ण विकास की कल्पना पूरी नहीं हो सकती। खास कर उनके समानता के अधिकार की रक्षा के लिए तथा उनको विकास की मुख्य धारा में खुल कर आने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने की नीति तय कर दी है। सरकार की इस नीति का परिणाम है कि महिलाओं को उत्पीड़न एवं शोषण से बचाने के लिए राज्य के सभी 38 पुलिस जिलों में एक सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र का प्रभावशाली और व्यवहारिक संचालन किया जाए इसके लिए गैर सरकारी संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है जिससे पूरी प्रक्रिया गतिशील रहे। ऐसे केन्द्रों को अर्थाभाव के कारण चलाने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए सरकार ने 3 लाख

रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार जिन परिवारों में स्त्रियों को पतियों द्वारा पीटे जाने की घटनाएं होती रहती हैं उन घरों की बच्चियों में खास कर 5 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों के मरने की संख्या 21 प्रतिशत है। जिन घरों में बच्चियां अपनी मां को पिटते देखती हैं उनको स्वयं के प्रति निरर्थकता का बोध होने लगता है और वे जीने की उम्मीद छोड़ने लगती हैं। दूसरी और माताएं भी चाहती हैं कि उनकी बेटियां उन्हीं की तरह किसी और के जुल्म बर्दाश्त न करें इसलिए वे उनके प्रति उदासीन हो जाती हैं। ऐसी लड़कियां डायरिया या हलकी फुलकी बीमारियों के कारण अनदेखी से मर जाती हैं । उसी घर में लड़कों को मिलने वाली सुविधाएं उनमें हीन भावनाएं भरने लगती हैं । सबसे चिंता की बात यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जिस घर में माताओं के साथ दुर्व्यवहार होता है या जिस घर में स्त्रियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं वहां 4 वर्ष तक के बच्चों में 30 प्रतिशत से लेकर 37 प्रतिशत तक अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाने का खतरा बढ़ जाता है जिससे बड़े होने पर उसका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है। आज भी भारत में करीब 2.1 मिलियन बच्चे प्रति वर्ष मर जाते हैं जो अपनी पांचवीं साल गिरह भी नहीं मना पाते।

एक और तो आर्थिक विशेषज्ञ आने वाले समय में भारत को विश्व के दूसरे शक्तिशाली देश के रूप में देखने की भविष्यवाणी करने लगे हैं दूसरी ओर स्त्रियों की इतनी दुर्दशा को देखते हुए ऐसी भविष्यवाणी मात्र कोरी कल्पना लगती है। लेकिन इस कल्पना को सच करने के लिए ही राज्य सरकार अपनी नीतियों के अनुसार ऐसी महिलाओं और किशोरियों को शोषण और उत्पीड़न से बचाने तथा उनके संरक्षण के लिए काफी संवेदनशील है और राजस्थान महिला अत्याचार निवारण एवं संरक्षण कानून बना कर उन्हें हर तरह से सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है।

इसके अतिरिक्त ऐसी पीड़ित एवं पारिवारिक कारणों से व्यथित महिलाओं को शीघ्र मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए जिला स्तर पर गठित जिला महिला सहायता समितियों का गठन कर दिया गया है। इसके साथ ही एक प्रयास यह भी किया जा रहा है कि इसका लाभ वैसी महिलाओं को जरूर मिले जिनको किसी कारण से परेशान या निराश होना पड़ रहा है। ऐसी संस्थाएं महज कागजी बन कर न रह जाएं इसलिए उन्हें प्रभावी बनाने की दिशा में नीतिगत तथा व्यवहारिक कदम उठाए जा रहे हैं।

दहेज के दानवों ने पूरी सामाजिक व्यवस्था बिगाड़ दी है। इसकी वजह से गरीब

सभी छाया : सुजस

परिवारों की लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है और उन्हें कई वर्षों तक सामाजिक विसंगतियों को बर्दाश्त करना पड़ता है जिसका उनके जीवन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से उनका आगे आने वाला जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे परिवारों के लिए सामूहिक विवाह की शुरूआत की गई है जिससे परिवार को अपनी पुत्री के लिए अनावश्यक खर्चों से बचाया जा सके। प्रदेश में राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009 से लागू किए गए हैं। इसके अनुसार सरकार ने सामूहिक विवाह में शामिल हरेक जोड़े के लिए छह हजार रुपये प्रति जोड़े के हिसाब से अनुदान देने का नियम बनाया है जिसमें 75 प्रतिशत की सावधि राशि वधू के नाम से जमा की जाएगी। इस नियम के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को 2 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

इतना ही नहीं महिलाओं को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सभी वर्ग की महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण दे कर उनको कम्प्यूटर की आधारभूत जानकारी दी जा रही है जो जरूरत पर उनके काम आ सके। इस प्रशिक्षण के दौरान निर्धारित फीस को भी सरकार वहन कर रही है। इससे इस प्रदेश की सभी स्त्रियों को लाभ होगा और वे प्रशिक्षण प्राप्त कर इस दिशा में आगे आ सकती हैं। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी लाभ हो सकता है। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को और भी कई जरूरी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है जिसका संचालन स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण संस्थान के तहत किया जा रहा है।

उल्लेखनीय यह है कि उदयपुर सम्भाग के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और राजसंमद जैसे जिलों के चयनित चार-चार ब्लॉक्स में किशोरी बालिका मंडल परियोजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को प्रारम्भ करने का उद्देश्य विद्यालय नहीं जाने वाली या विद्यालयों को छोड़ने वाली किशोरियों के जीवन में कौशल का विकास करना, प्रजनन स्वास्थ्य उन्नत करना तथा उन्हें औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना है। महिला विकास कार्यक्रम के तहत साथिनों एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि भी कर दी गई है।

इस प्रकार देखें तो राजस्थान में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनेक निर्णय लिए हैं और नीतियां बनाई गई हैं जिससे आने वाले दिनों में सार्थक और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकेंगे इसमें संदेह नहीं। ●

छाया : देवीसिंह नरूका

एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन

देवीसिंह नरूका

राज्य के शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बड़ी समस्या है। अतः इन्टीग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट अथवा एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार द्वारा निजी फर्मों से करवाने का निर्णय लिया गया है। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस कार्य के लिए देश की जानी-मानी फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए तथा अधिकारियों ने स्वयं अहमदाबाद व सूरत आदि बड़े नगरों में जाकर इस व्यवस्था के संचालन का अध्ययन किया है। गत दिनों देश की करीब 30 फर्मों द्वारा विभिन्न शहरों में किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में प्रदर्शन (डिमोस्ट्रेशन) व जानकारी दी गई । इनमें से 11 फर्मों का चयन कर डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए हैं।

प्रथम चरण में यह कार्य जयपुर और जोधपुर में शुरू किया जाएगा। इसके बाद अजमेर (पुष्कर-किशनगढ़), कोटा, बीकानेर और उदयपुर आदि बड़े शहरों में यह कार्य शुरू किया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए अहमदाबाद के अरबन मैनेजमेन्ट कंसल्टेंट पी.यू. असनानी की सेवा ली जा रही है तथा कानूनी पहलुओं की जांच तथा अनुबन्ध दस्तावेज तैयार करने के लिए जयपुर की एक फर्म को विधि विशेषज्ञ नियुक्त किया गया है। इन्टीग्रेटेड सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के तहत इन शहरों में घर-घर से कचरा एकत्रित करने, सड़कों व नालियों की सफाई, चुनिंदा सड़कों की रात्रि में सफाई करने, कचरा संग्रहण, परिवहन और प्रोसेसिंग आदि कार्य किए जाएंगे। इस योजना को लागू करने के पीछे राज्य सरकार एवं नगर निकायों की मंशा है कि नगर निवासियों को सफाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यदि एक ही फर्म डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और प्रोसेसिंग का कार्य नहीं कर सके तो दो फर्मों को भी कार्य देने पर विचार किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस योजना के लागू होने से स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। फर्म द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की नियमित रूप से जांच होगी तथा निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य नहीं करने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। फर्म को वर्ष के 365 दिन कार्य करना होगा। इसमें साप्ताहिक, राजकीय, राष्ट्रीय अवकाश के दिनों की भी छूट नहीं होगी। ●

फोटो-फीचर

पत्थरों में गूंजता सूर्य नगरी का स्थापत्य सौन्दर्य

सभी छाया : सुजस

वागड़ महोत्सव में थिरकी लोककलाएं

छाया चौबीसा

आदिम संस्कृति, शिल्प और स्थापत्य की धरा डूंगरपुर के 730वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित दो दिवसीय लोक सांस्कृतिक महाकुम्भ वागड़ महोत्सव, 2011 रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव का भव्य आगाज स्थानीय लक्ष्मण मैदान में वागड़ के पारम्परिक खेल तीरंदाजी से किया गया। दो दिवसीय वागड़ महोत्सव के पहले दिन जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग तथा खेल विभाग के तत्वावधान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजित इन प्रतियोगिताओं में तीरंदाजी, रंगोली, मेहंदी, रस्साकसी, मटका दौड़, कुर्सी दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें शहरवासियों ने गजब का उत्साह दिखाते हुए बड़ी संख्या में भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिताओं में किशोरियों व युवतियों ने उत्साह से भाग लिया और विभिन्न रंगों के माध्यम से अपनी सृजनशीलता का परिचय दिया। किसी ने विघ्नहर्ता गणेश तो किसी ने स्वास्तिक और किसी ने मानचित्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं की मनमोहक अभिव्यक्ति दी। रंग संयोजन और सौन्दर्य अभिव्यक्ति के संगम को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी उमड़े। इस मौके के विदेशी पर्यटक भी साक्षी रहे जिन्होंने उत्साह से प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया।

वागड़ की संस्कृति देख अभिभूत हुए विदेशी सैलानी

वागड़ महोत्सव के तहत आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के बीच फ्रांस से पहुंचे विदेशी सैलानियों का दल यहां की संस्कृति व कला को देखकर अभिभूत हो उठा। महोत्सव के दौरान फ्रांस से आए विदेशी सैलानियों ने भी हिस्सा लिया और जोर आजमाइश की। विदेशियों व स्थानीय लोगों के दलों के बीच हुई रोचक रस्साकस्सी प्रतियोगिता में स्थानीय दल विजयी रहा। इसी प्रकार महिला समूह में हुई प्रतियोगिताओं में आंगनबाड़ी दल ने साक्षरता दल को पछाड़ कर विजय हासिल की। सैलानियों ने महिलाओं तथा बच्चों द्वारा बनाई रंगोली तथा कलात्मक मेहंदी को देखकर इसके बारे में पूरी जानकारी ली। वागड़ की संस्कृति से आकर्षित इस दल के साथ आई महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों ने भी अपने हाथों पर बालिकाओं से मेहंदी लगवाई। जिला कलक्टर, श्रीमती पूनम ने पर्यटकों के दल का माला पहनाकर स्वागत किया।

शोभा यात्रा व गैर नृत्य की रही धूम

महोत्सव के दूसरे दिन डूंगरपुर नगर स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केन्द्र रही और शहरवासी इस शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़ पड़े। शोभा यात्रा को लक्ष्मण मैदान से जिला कलक्टर, श्रीमती पूनम एवं डूंगरपुर विधायक, लालशंकर घाटिया ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। हरी झण्डी दिखाने के बाद कलक्टर, श्रीमती पूनम और विधायक, घाटिया खुद शोभा यात्रा के आगे हो लिए और शहरभर में शोभा यात्रा का नेतृत्व कर स्थापना दिवस की महत्ता को बढ़ाया । पुलिस बैण्ड की अगवानी में निकली इस शोभा यात्रा में दस अश्व और दस ऊंटों पर आकर्षक वेशभूषा में बैठे सवार जनाकर्षण का केन्द्र रहे। शोभा यात्रा के साथ चल रहे विद्या निकेतन एवं एक अन्य बैण्ड समूह की समवेत स्वर लहरियों के साथ लोक

सभी छाया : छाया चौबीसा

कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों को जमकर आकर्षित किया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों व प्रबुद्धजनों के साथ इस शोभा यात्रा में जिला मुख्यालय के विभिन्न विद्यालयों की 300 से अधिक विद्यार्थी, तीनों गैर नर्तक दल और लोक कलाकार शहरभर में घूमे। शोभा यात्रा से पूर्व लक्ष्मण मैदान में सामूहिक गैर-नृत्य का आयोजन किया जिसमें जिले की सीमलवाड़ा, सागवाड़ा व आसपुर पंचायत समितियों से लोक कलाकारों के तीन विभिन्न समूहों द्वारा वागड़ में होली के पारम्परिक गैर नृत्य की प्रस्तुतियां देकर धूम मचा दी। इस सामूहिक नृत्य प्रस्तुतियों में ढोल-ढमाकों के साथ गैर नतृक दलों ने लक्ष्मण मैदान में फागुन की मस्ती का नजारा पेश किया।

जल में दीप, नभ में आतिशी नजारे

स्थापना दिवस के मौके पर शहर की ऐतिहासिक गेपसागर झील में दीपदान किया गया। सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने झील में प्रज्ज्वलित दीप प्रवाहित कर नगर स्थापना दिवस के गौरव को मुखरित किया। दीपदान की शुरुआत जिला कलक्टर, श्रीमती पूनम, विधायक, लालशंकर घाटिया ने दीप प्रवाहित कर की। इस दौरान नावों के माध्यम से भी दीपदान किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर गेपसागर जलाशय के तट पर स्थित ऐतिहासिक बादल महल पर की गई विद्युत साज-सज्जा के साथ जल तरंगों पर तैरते दीपों ने झील की सुन्दरता को द्विगुणित कर दिया। दीपदान के बाद शोरगर के दल द्वारा मनोहारी आतिशबाजी की गई। शोरगर दल ने एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के आतिशी नजारों को पेश कर लोगों की दीपावली की यादें पुनः ताजा कर दीं । इधर गेपसागर में तैरते झिलमिल दीपों ने धरा को और बेहतरीन आतिशबाजी ने नभ का शृंगार कर ऐसा नजारा प्रस्तुत किया कि लोग निहारते ही रहे।

दो दिवसीय लोक सांस्कृतिक महाकुम्भ वागड़ महोत्सव का समापन रंगारंग सांस्कृतिक निशा के आयोजन के साथ हुआ। महोत्सव के समापन समारोह में आदिवासी अंचल के डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी सभागार देशभर की लोक कलाओं की एक मंच पर हुई मनोहारी प्रस्तुतियों ने ऐसा आकर्षण बिखेरा कि आधी रात तक मौजूद दर्शक लोक कलाकारों के साथ थिरकते रहे। एक मंच पर देशभर के कलाकारों को थिरकते देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ प्रारम्भ हुई इस सांस्कृतिक संध्या में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर से आए 65 लोक कलाकारों के दल ने अपनी विविध रंगी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने कला-कौशल को मुखरित किया। शिव शक्ति युवा मण्डल डांग के कलाकारों ने प्रसिद्ध डांगी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। कलाकारों ने गजब के संतुलन के साथ विभिन्न मानवीय पिरामिड और रथ पर सवार देवी दुर्गा का प्रतिरूप बनाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस दौरान गोवा के महेन्द्र गोलकर एवं दल द्वारा गोवा के लोकनृत्य प्रस्तुत किए तो गुजरात के भड़ूच क्षेत्र के दल द्वारा सिद्धी धमाल नृत्य में आदिम वेशभूषा धारण कर कई प्रकार की प्रस्तुतियां दी। कलाकारों ने अपनी इस आकर्षक वेशभूषा के साथ दर्शकों के बीच जाकर भी रोमांच का अहसास कराया। सर्वाधिक आकर्षण का केन्द्र रहा डीग के अशोक शर्मा का मयूर नृत्य जिसमें कलाकारों ने ब्रज के फूलों की होली का आकर्षक नजारा पेश किया। कलाकारों की इस मनभावन प्रस्तुति को अतिथियों के साथ मौजूद दर्शकों ने जबरदस्त करतल ध्वनि से सराहा। इस मौके पर नितिन दवे एवं दल द्वारा गरबा, रास एवं टीपणी नृत्य, कालूदास एवं दल द्वारा तेरहताली नृत्य की प्रस्तुति भी जनाकर्षण का केन्द्र रही। सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय प्रतिभाओं ने भी प्रस्तुतियां दी। ●

शायराना अंदाज में आंखों देखा हाल

एन. के. मिश्रा

सभी छाया : एन. के. मिश्रा

प्रख्यात निशानेबाज पिता पुत्री की जोड़ी डॉ. करणी सिंह एवं राजश्री, फुटबालर मगनसिंह और चैम्पियन साइकिलिस्टों के रणबाकुरों के शहर बीकानेर में 5 मार्च, 58 को प्रतिष्ठित गोस्वामी परिवार में जन्मे प्रभात गोस्वामी ने गत करीब तीन दशक से कामयाब कमेन्ट्रेटर और प्रभावी उद्घोषक के रूप में सराहनीय सेवाएं देकर खूब नाम कमाया है। विशेषकर रेडियो और टीवी पर उन्होंने क्रिकेट के अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय मैचों के साथ यदा-कदा हॉकी, फुटबाल, कबड्डी आदि के मुकाबलों का भी श्रोताओं को सशक्त व सारगर्भित आंखों देखा हाल सुनाया है।

हिन्दी भाषा और पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त इस राजकीय जनसम्पर्क अधिकारी ने गत एक दशक में एक दर्जन से अधिक अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कमेन्ट्री की जिसमें भारत, श्रीलंका व वेस्टइंडीज पूरी त्रिकोणीय श्रृंखला भी सम्मिलित है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के साथ न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैण्ड, दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट मैचों का भी आंखों देखा हाल सुनाया है। राष्ट्रीय स्तर की ईरानी रणजी, दलीप, देवधर और बिल्स ट्रॉफी के साथ वे अनेकानेक महिला-पुरुष अखिल भारतीय स्पर्धाओं के कमेन्ट्रेटर रहे हैं।

सीधी, सरल, सुबोध व ओजपूर्ण वाणी के धनी प्रभात राष्ट्रीय पर्वों, अन्तरराष्ट्रीय आयोजनों, महत्त्वपूर्ण बैठकों के अवसर पर भी प्रवीण उद्घोषक का दायित्व कई बार निभा चुके हैं। वर्ष 1975 से शौकिया रूप से उद्घोषणा, लेखन व सम्पादन से जुड़े गोस्वामी ने कई दूरदर्शन कार्यक्रमों में अपनी आवाज के चार चांद लगाए हैं। अपनी सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यशैली के परिणामस्वरूप उन्हें कई बार पुरस्कृत एवं सम्मानित भी किया गया है। साधारण कद काठी और मित, मृदुभाषी प्रभात गोस्वामी यूं तो प्रायः सभी प्रमुख खेलों के जानकार, शौकीन और खेलप्रेमी हैं । क्रिकेट के

रोमांचक क्षण, पल-पल पलटा खाता जीत-हार का पैमाना, खिलाड़ियों के हैरतअंगेज करिश्मे और महान सफलतम क्रिकेटरों का कुशल लोकव्यवहार, विनम्रता, तत्कालिक बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण फैसले और उनके खट्टे-मीठे इन्द्रधनुषी स्मृतियों के भरे-पूरे खजाने हैं उनके पास जिनका रस वे लेते रहते हैं।

सामाजिक, सामयिक परिप्रेक्ष्य में, शासन-प्रशासन के उच्चतम स्तर पर जनसम्पर्क का गहन दायित्व सम्भालने के साथ हरफनमौला पी.आर.ओ. प्रभात गोस्वामी देश-दुनिया के जनप्रिय, पसंदीदा खेल क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनाने के कठिन, दुरूह और रोचक कार्य को भी समय पर सटीक अंजाम देते हैं, पर ये दो परस्पर अलग किस्म के उत्तरदायित्व उस जीवन्त तथ्य के जीते जागते प्रमाण हैं कि वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी और भाव-भाषा, अभिव्यक्ति, शब्द चयन और व्याकरण के ज्ञाता होने के साथ मन्द, मध्यम, तीव्र ध्वनि प्रभावों के माध्यम से खेल का रोमांच श्रोताओं को इस शैली में पहुंचाने में पारंगत हैं कि रेडियो ट्रांजिस्टर पर कान लगाए खेल प्रेमी को आभास होता है कि वह खुद पवेलियन अथवा दर्शक दीर्घा में बैठा मैच का पूरा आनंद ले रहा है। प्रमुख रूप से बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण की त्रिवेणी की छोटी सी गेंद के बड़े से मैदान के करतबों, होनी-अनहोनी, जय-पराजय के सुख-दुख में श्रोताओं को साथ ले लगातार, अविराम बोलते ही रहना, यूं लगता तो सहज काम है, पर इस धाराप्रवाह ओजस्वी वाणी सरिता की मन्दर गति बनाये रखने में शतक अर्द्धशतक लगाने, विकेट चटखाने और बोल्ड करने तथा कैच लपकने जैसा ही जोर आता है और कवायद होती है। सजे-धजे भव्य आकर्षक लम्बे चौड़े स्टेडियम के एक कोने में बने अस्थाई आकाशवाणी के टेस्ट से अम्पयारों सहित करीब दो दर्जन एक-सी पोशाक पहने लोगों की हर छोटी-बड़ी गतिविधि को गांव-ढाणी खेत-खलिहानों, थड़ी-दुकानों में बैठे खेल प्रेमियों तक हर क्षण पहुंचाना वैसे ही टेढ़ी खीर है। फिर साथी दूसरी भाषा के उद्घोषक और एक तरफ आंकड़ेबाज और दूसरी तरफ गणक की छोटी-छोटी कागज की पर्चियों से इतिहास और कीर्तिमानों की तुलनात्मक व्याख्या में दिल-दिमाग और जुबान तक को चपल, चंचल, चलायमान और हरदम जागरूक बनाए रखना पड़ता है। और तो और कम रोशनी, रिमझिम बरसात, निर्णयों में विरोध से अवरोध और दर्शकों अथवा पशुओं के मैदानी अतिक्रमण पर खेल तो रूक जाता है पर जुबान नहीं रोकी जा सकती, चलती ही रहती है। गोस्वामी आवाज की जादूगरी से समां बांधने के हुनर को अक्षरों में पिरोकर क्रिकेट के करिश्मों की मौखिक किताब गढ़ते हैं । पेशेवर उद्घोषकों के मुकाबले ये शौकिया कमेन्ट्रेटर कहीं भी उन्नीस दिखाई नहीं देते।

क्रिकेट के हर दिल-दिमाग में राज करने का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि क्रिकेट प्रबन्धकों का वित्तीय आकलन, खेल के नियम उपनियमों में समयानुकूल जनमानस की भावनाओं के अनुसरण में संशोधन, परिवर्तन तथा मीडिया के प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यमों ने अब क्रिकेट को खेल और मनोरंजन का बेताज बादशाह बना दिया है। जब पांचदिनी टेस्ट भी बेनतीजा साबित होने लगे तो एक दिनी मैचों ने धूम मचा दी और अब टी-20 के चट मंगनी और पट ब्याह के अबूझ फैसलों ने दुनिया को इस खेल का दीवाना बना दिया। यही कारण है कि क्रिकेट के धुरंधर, फिल्मी हीरो के समकक्ष शोहरत व दौलत कमा रहे हैं उस पर भी आई.पी.एल. के मुकाबलों से चमके नए उदीयमान प्रतिभाशाली दिलेर और जांबाज खिलाड़ियों की फौज मैदान पर आ डटी है। भारत ने विश्व कप मेजबान अथवा मेहमान बन एक दिवसीय शृंखला और टी-20 में भी फतह हासिल कर दिखाई है। गावस्कर, सचिन यदि क्रिकेट पितामह ब्रेडमेन से ज्यादा नहीं, तो कम भी नहीं है। प्रभात गोस्वामी का मानना है कि राज्य में बेशुमार क्रिकेट प्रतिभाएं थीं और हैं। पहले राजा-महाराजाओं ने इस खेल को प्रोत्साहन दिया। कई खिलाड़ी देश के लिए खेले, राष्ट्रीय रणजी ट्राफी में हमारी टीम आठ बार उपविजेता रहकर अंततः चैम्पियन भी बनी। सलीम दुर्रानी, हनुमन्त सिंह, पार्थसारथी शर्मा ने राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खूब नाम और यश-कीर्ति पाई। खेल प्रबन्धन के क्षेत्र में पी.एम. रूंगटा व राजसिंह डूंगरपुर ने तो सर्वोच पद से इस 'जेंटलमेन' खेल को खूब आगे बढ़ाया। राजसिंहजी ने विशेषज्ञ और कमेन्ट्रेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं पर राजस्थानी क्रिकेट को स्व. एन.डी. मार्शल जैसे प्रशिक्षकों ने बेहतर से बेहतर रूप में ढाला जो खुद 1932 में इंग्लैण्ड गई पहली भारतीय टीम के खिलाड़ी रहे थे। ऐसे ही प्रदेश के नामी-गिरामी दर्जनों उद्घोषकों कमेन्ट्रेटरों में सरदार जसदेवसिंह की सेवाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती है। प्रभात गोस्वामी के शायराना अन्दाज ने उन्हें भी राज्य में लोकप्रिय कमेन्ट्रेटरों की श्रेणी में ला खड़ा किया है।

छाया : सुजस

लोक सेवाओं की गारण्टी

यादवेन्द्र सेन

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत द्वारा पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह शासन देने की वचनबद्धता का ही परिणाम है कि राज्य सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए निश्चित समय में सेवा पाने के जनसाधारण के हक की रक्षा के लिए ''राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारण्टी अधिनियम-2011'' लागू किया है।

प्रदेश भर में 14 नवम्बर, 2011 से लागू यह अधिनियम निसन्देह आमजन के लिए एक वरदान साबित होगा। एक निश्चित समयावधि में अपने काम का निस्तारण आमजन को एक सुखद अहसास कराएगा ।

आमजन के हक की रक्षा के प्रति वचनबद्ध मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की जनकल्याणकारी नीतियों और रीतियों ने लोगों को सुशासन प्रदान किया है। इस अधिनियम के लागू होने से लोगों में यह विश्वास जगा है कि अपने वाजिब काम के लिए अब दर-दर गुहार नहीं करनी पड़ेगी और समयबद्ध तरीके से उनके काम निष्पादित हो जाएंगे।

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में ऐसे 15 विभागों के 53 विषयों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया है जो सीधे आम जनता से जुड़ी हैं।

इस अधिनियम में प्रावधान एवं प्रक्रिया के बिन्दु भी तय किए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा के भीतर सम्बन्धित अधिकारी आवेदक को सेवा मुहैया कराएंगे। सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की प्राप्ति स्वीकृति आवेदक को देनी होगी, जिस पर आवेदन संख्या, प्राप्ति की तारीख और समय दर्ज किया जाएगा। सम्बन्धित अधिकारी निर्धारित समय सीमा में आवेदक को या तो मांगी गई सेवा प्रदान करेगा या उपयुक्त कारण बताते हुए आवेदन खारिज करेगा और उसे सूचित भी करेगा।

अधिनियम के प्रावधान के तहत सम्बन्धित अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में प्रथम अपील हो सकेगी और अपील दायर होने के 21 दिन के भीतर उसका निपटारा करना होगा। प्रथम अपील के निपटारे के 60 दिन के भीतर दूसरी अपील दायर की जा सकेगी। प्रथम और द्वितीय अपील का कोई शुल्क नहीं होगा।

प्रावधानों के तहत सेवा प्रदान न करने या उसमें कोताही करने पर 500 रुपये से अधिक जुर्माना होगा लेकिन यह 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा। सेवा में निर्धारित अवधि से देरी होने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा जो कि 5 हजार रुपये से अधिक नहीं होगा। सम्बन्धित अधिकारी पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वह उसकी तनख्वाह से काटा जाएगा। अधिनियम के तहत सेवा प्रदान न करने, उसमें कोताही बरतने या देर करने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किए जाने का प्रावधान है।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारण्टी अधिनियम-2011 में राजस्व एवं उपनिवेशन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ऊर्जा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गृह (पुलिस), यातायात, वित्त, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास, राजस्थान आवासन मण्डल तथा स्वायत्त शासन व स्थानीय निकाय विभागों की 108 सेवाओं को सम्मिलित किया गया है।

1. **राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग**

   1. लैण्ड रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध करवाना, भू-प्रबन्ध रिकार्ड की प्रतियां (1 से 7 दिन) 2. समयबद्ध कृषि भूमि नामांतरण (47 दिन) 3. गैर खातेदारी से खातेदारी सेवाएं (15 से 22 दिन) 4. कनवरशन सेवाएं (30 दिन) 5. जाति प्रमाण पत्र (5 दिन) 6. मूल निवास प्रमाण पत्र (5 दिन) 7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (5 दिन) 8. हैसियत प्रमाण पत्र (5 दिन)

2. **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**

   9. हैण्डपम्प ठीक करवाना (3 दिन) 10. नए जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना (7 दिन) 11. जल कनेक्शनों में जल सप्लाई खराबी को ठीक करवाना (3 दिन) 12. पानी के बिल को ठीक करवाना (3 दिन) 13. पानी के मीटर बदलवाना (7 दिन) 14. अ) प्रतिभूति निक्षेप/सिक्योरिटी डिपॉजिट लौटाने के प्रकरण (90 दिन) ब) धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) लौटाने के प्रकरण (10 दिन) 15. कार्य पूर्ण होने पर अंतिम भुगतान (90 दिन)

3. **जल संसाधन विभाग**

   16. पेंशन सम्बन्धी प्रकरण (30 दिन) 17. अर्नेस्ट मनी (15 दिन) 18. कार्य पूर्ण होने पर अंतिम बिल का भुगतान (90 दिन) 19. धरोहर राशि (90 दिन)

4. **सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिविल, विद्युत, यांत्रिक, उद्यान इकाई)**

   20. आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी) (15 दिन) 21. आपूर्ति निविदाओं के मामले में प्रतिभूति निक्षेप (एस.डी.) राशि का प्रतिदाय (30 दिन) 22. परिवहन अनुबन्ध से सम्बन्धित

मामलों में पी.जी./प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय (अंतिम बिल के भुगतान के साथ) 23. साधारण मरम्मत कार्यों की प्रतिभूति निक्षेप राशि का प्रतिदाय (90 दिन) 24. नवीन कार्यों/विशेष मरम्मत कार्यों (लागत 10 लाख रुपये व कम) के मामलों में प्रतिभूति निक्षेप (एस.डी.) का प्रतिदाय (90 दिन) 25. नवीन कार्यों/विशेष मरम्मत कार्यों (लागत 10 लाख रुपये से अधिक) के मामलों में प्रतिभूति निक्षेप (एस.डी.) का प्रतिदाय (प्रति वर्ष की समाप्ति पर/90 दिन)

5. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग**

26. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (90 दिन) 27. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (90 दिन) 28. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना (90 दिन) 29. राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (90 दिन) 30. राज्य विधवा पेंशन योजना (90 दिन) 31. राज्य निशक्त पेंशन योजना (90 दिन)

6. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग**

32. जननी शिशु सुरक्षा योजना अन्तर्गत दी जाने वाली भुगतान राशि (डिस्चार्ज के समय) 33. विकलांगता प्रमाण पत्र (उसी दिन) 34. विकलांगता प्रमाण पत्र बोर्ड के द्वारा (21 दिन) 35. खाद्य अनुज्ञा पत्र (60 दिन) 36. निर्माण खाद्य अनुज्ञा पत्र (60 दिन) 37. अनुज्ञा पत्र औषधि (20 दिन) 38. अनुज्ञा पत्र औषधि निर्माण (90 दिन) 39. नसबंदी करवाने की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान (डिस्चार्ज के समय) 40. नसबंदी प्रमाण पत्र (महिला) (30 दिन) 41. नसबंदी प्रमाण पत्र (पुरुष) (90 दिन) 42. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (24 घंटे) 43. मेडिकोलीको रिपोर्ट (एम.एल.सी.) (24 घंटे)

7. **ऊर्जा विभाग**

44. (ख) नए घरेलू, व्यवसायिक कनेक्शन जारी करना (विद्युतीकृत क्षेत्रों में) (21 से 45 दिन) (II) विद्युतीकृत संस्थतियों में नए औद्योगिक कनेक्शन जारी करना (21 से 180 दिन) 45. विद्युत बिल को ठीक करवाना (7 से 60 दिन) 46. मीटर बदलवाना (15 से 60 दिन) 47. विद्युत सप्लाई को ठीक करवाना (1 से 7 दिन) 48. इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड सेवाओं से सम्बन्धित मामलों में शर्तों के साथ सेवा उपलब्ध कराने का प्रावधान (15 से 180 दिन एवं अति. 12 माह)

8. **खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग**

49. नए राशन कार्ड बनवाने हेतु (7 दिन)

9. **गृह (पुलिस) विभाग :**

50. सर्विस सत्यापन (30 दिन) 51. पासपोर्ट के लिए सत्यापन (30 दिन) 52. आर्म्स लाइसेन्स नवीनीकरण के लिए सत्यापन (30 दिन) 53. एफ.आई.आर. की प्रति/नकल उपलब्ध करवाना (1 दिन)

10. **यातायात विभाग**

54. लर्निंग लाइसेन्स जारी करना (2 दिन) 55. स्थायी ड्राइविंग लाइसेन्स (2 से 3 दिन) 56. डुप्लीकेट लाइसेन्स (3 दिन) 57. लाइसेन्स का नवीनीकरण (3 से 45 दिन)

11. **वित्त विभाग**

58. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण/समस्याओं का निवारण (सेवानिवृत्ति के 180 दिन पूर्व) 59. सेवा में रहते कर्मचारी की/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु (मृत्यु सूचना के 30 दिन में) 60. पेंशन एवं उपादान एवं रूपान्तरित पेंशन अधिकृत करना (30 दिन) 61. सेवा में रहते कर्मचारी/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु (15 दिन) 62. पेंशन का प्रथम भुगतान एवं उपादान (7 से 30 दिन) 63. कम्प्यूटेशन पेंशन का रेस्टोरेशन (30 दिन) 64. पेंशन के जीवनकालीन एरियर का भुगतान (30 दिन) 65. पीपीओ के पेंशनर हॉफ की डुप्लीकेट प्रति जारी करना (30 दिन)

12. **चिकित्सा विभाग**

66. विकलांगता प्रमाण पत्र (उसी दिन) 67. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (1 दिन)

13. **नगरीय विकास विभाग**

68. नाम हस्तान्तरण (30 दिन) 69. भूखण्ड का उप विभाजन/पुनर्गठन (45 दिन) 70. दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना (30 दिन) 71. लीज मुक्ति प्रमाण पत्र हेतु (30 दिन) 72. योजना का मानचित्र अनुमोदन (90 दिन) 73. भवन मानचित्र अनुमोदन (60 दिन) 74. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण (7 दिन) 75. अमानत राशि का भुगतान (15 दिन) 76. धरोहर राशि का भुगतान (30 दिन)

14. **राजस्थान आवासन मण्डल**

77. वरीयता क्रमांक कार्ड (60 दिन) 78. आरक्षण पत्र/पूर्व ग्रहण राशि मांग पत्र (60 दिन) 79. आवंटन पत्र (90 दिन) 80. मकान का कब्जा पत्र (30 दिन) 81. मकान का कब्जा (15 दिन) 82. आवंटी/आवेदकों को रिफण्ड करना (30 दिन) 83. पूर्ण राशि जमा होने पर अदेयता प्रमाण पत्र (15 दिन) 84. नीलामी बोली की स्वीकारोक्ति एवं मांग पत्र (60 दिन) 85. एक मुश्त लीज पत्र (15 दिन) 86. हस्तान्तरण विक्रय परस्पर/नाम दर्ज/मृत्यु प्रकरण (30 दिन) 87. नियमितीकरण प्रकरण (90 दिन) 88. आय वर्ग में परिवर्तन (15 दिन) 89. बकाया/शेष राशि की जानकारी हेतु/अन्य राशि मांग (30 दिन) 90. ऋणदायी संस्थाओं को ऋण प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (10 दिन) 91. पता परिवर्तन की सूचना (10 दिन) 92. अर्नेस्ट मनी रिफण्ड (30 दिन) 93. संवेदकों का पंजीकरण (30 दिन) 94. भूमि का मुआवजा नकद राशि में (60 दिन) 95. विकसित भूखण्ड (90 दिन) 96. आवास पंजीयन (30 दिन) 97. भवन निर्माण के नक्शों का अनुमोदन (60 दिन)

15. **स्वायत्त शासन विभाग/स्थानीय निकाय**

98. खाद्य के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाइसेन्सों का विवरण (15 से 30 दिन) 99. अग्नि शमन एवं अन्य सभी प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना (7 से 30 दिन) 100. भवनों के नक्शों की स्वीकृति के सम्बन्ध में (15 से 60 दिन) 101. जन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य (प्रति वर्ष वर्षा से पूर्व/7 से 15 दिन) 102. अमानत/धरोहर राशि का समय पर भुगतान (30 से 180 दिन) 103. जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करना (7 से 30 दिन) 104. विवाह पंजीयन एवं प्रमाण-पत्र जारी करना (7 दिन) 105. नाम हस्तान्तरण (15 दिन) 106. दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना (15 दिन) 107. लीज मुक्ति प्रमाण पत्र (7 दिन) 108. सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण (7 दिन)। ●

लेब-टू-लैण्ड योजना

श्याम सुंदर जोशी

सरकार व जनता के बीच सेतु बनेंगे भारत निर्माण सेवक

भारत सरकार की लेब-टू-लैण्ड परियोजनान्तर्गत भीलवाड़ा जिले की 33 ग्राम पंचायतों में पंजीकृत 1100 भारत निर्माण सेवकों ने ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक सहभागिता का बीड़ा उठाया है। ये भारत निर्माण सेवक गांवों में समग्र विकास के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का भी मार्ग प्रशस्त करेंगे । पिछले दिनों जिला प्रमुख, सुशीला सालवी एवं जिला कलक्टर, ओंकार सिंह की मौजूदगी में आयोजित जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला में इन भारत निर्माण सेवकों ने समवेत स्वरों में स्वैच्छिक भागीदारी के साथ ग्रामीण विकास को नए आयाम देने का संकल्प व्यक्त किया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व क्षमता का निर्माण, ज्ञान का प्रसार करने तथा नवाचारों को बढ़ावा देकर सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को बढ़ाने के लिए 'प्रयोगशाला से भूमि तक' नामक एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य सहयोगात्मक ज्ञान एवं नवाचारी समुदाय का निर्माण करना, व्यापक स्तर पर सूचना, शिक्षा एवं संचार की व्यवस्था करना, विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर प्रसार के लिए प्रशिक्षण रणनीति तैयार करना तथा अपने अधिकारों एवं हकों को जानने के लिए लोगों को समर्थ बनाना है जिससे अंततः ग्रामीण क्षेत्रों के सभी विकास कार्यक्रमों की सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

भीलवाड़ा के जिला कलक्टर, ओंकार सिंह कहते हैं कि ज्ञान एवं अधिकार से सम्पन्न समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास की कुंजी है। सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च करके विभिन्न विकास योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं लेकिन जानकारी के अभाव तथा प्रक्रिया की अनभिज्ञता के कारण जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति उनका समय पर लाभ नहीं उठा पाते हैं । 'लेब-टू-लैण्ड' योजना के तहत चयनित भारत निर्माण सेवक अब गांवों में विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विकास में भागीदारी के साथ गांवों में सामाजिक बुराइयों को दूर करने एवं जनजाग्रति लाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास करेंगे । इस प्रकार सही मायने में ये भारत निर्माण सेवक सरकार, प्रशासन एवं ग्रामीण समुदाय के बीच सेतु की भूमिका अदा करेंगे।

लेब-टू-लैण्ड परियोजना को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भीलवाड़ा जिले की 33 ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ किया गया है। इसके

लिए इन पंचायतों के प्रत्येक गांव में भारत निर्माण सेवकों का पंजीकरण किया गया है। अधिकतम 40 परिवारों पर एक भारत निर्माण सेवक होगा जो भारत सरकार के विकास कार्यक्रमों को समुदाय और समुदाय की आवश्यकताओं को पंचायतीराज संस्थाओं तक पहुंचाएगा। भारत निर्माण सेवक को कोई आर्थिक मानदेय नहीं दिया जाएगा और वे स्वैच्छिक सेवा की भावना से यह कार्य करेंगे। ये भारत निर्माण सेवक एक अभिप्रेरक एवं टीम लीडर के रूप में ग्रामीण समुदाय को साथ लेकर चल सकेंगे । आपसी समन्वय स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक व सामाजिक उत्थान कर सकेंगे तथा ग्रामीण विकास के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर सकेंगे ।

इस प्रकार जन सेवा को प्रभावी व गतिशील स्वरूप प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक एवं निशुल्क सेवा प्रदाताओं की भूमिका की दृष्टि से प्रशिक्षित तथा अनुभवी कार्यकर्ताओं की सेवाओं से त्वरित एवं ठोस नतीजे प्राप्त हो सकेंगे ।

परियोजना प्रभारी, अशोक शर्मा ने इस महती योजना के उद्देश्यों में शामिल अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और बताया कि ग्रामीण जनता में सरकारी कार्यक्रमों और उनका लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों में कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता लाना है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं विशेष रूप से ग्रामीण विकास, वाटरशेड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, स्वच्छता जैसी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा पर्यावरणीय सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के तहत अपने अधिकारों एवं दायित्वों के बारे में जान सकें ।

यही नहीं, सरकारी प्रशासनिक मशीनरी तथा पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा अपने दायित्वों, विशेष रूप से सिटीजन चार्टर के कार्यान्वयन सम्बन्धी दायित्वों में सहयोग करना, सरकारी कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा को सुगम बनाना । लोगों की समस्याओं को दूर करने में तेजी लाना और हेल्पलाइन कार्यक्रमों में सहायता करना भी उनके दायित्व होंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, नितिन चन्द्रा ने जिले की कांदा एवं चावण्डिया ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण सेवकों से रूबरू होकर उन्हें दायित्व बोध कराया। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी बताया ।

इस प्रकार लेब-टू-लैण्ड योजना के माध्यम से गांव का काम गांव में ही, गांव के ही लोगों द्वारा किया जाएगा। इस हेतु गांव के ही लोगों से चयनित सेवा कर्मियों को यह दायित्व दिया जाएगा। इससे कार्यक्रमों की समुचित अभिनव क्रियान्विति समुदाय की सकारात्मक एवं रचनात्मक भागीदारी और विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के कार्यक्रमों व गतिविधियों का सफल संचालन और समस्त जानकारियां देने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकेगा । ●

सभी छाया : श्याम सुन्दर जोशी

फसलों को दीमक से बचाने का अचूक नुस्खा

डॉ. महेन्द्र मधुप

फसलों को दीमक से बचाने की विधि इजाद कर सीकर जिले के दांता गांव की भगवती देवी की ख्याति विदेशों तक पहुंच चुकी है। कभी स्कूल नहीं गई महिला कृषक भगवती देवी को तीन माह पूर्व जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत और गोवा के मुख्यमंत्री, दिगम्बर कामत की मौजूदगी में केन्द्रीय कृषि मंत्री, शरद पवार ने सम्मानित किया तो करतल ध्वनि से सभागार गूंज उठा। हर कोई लहंगा चुनड़ी में खेतों की इस वैज्ञानिक को देख गौरवान्वित महसूस कर रहा था। सम्मान समारोह के बाद भगवती देवी 'सुजस' से यूं हुई रु-ब-रु।

जो थोड़ा बहुत किया उसका श्रेय पिताजी की जड़ी बूटियों में रुचि और खोजी प्रकृति के पति सुंडाराम जी के प्रोत्साहन को देती हूं। जन्म का साल भी पक्के से याद नहीं। शायद 1952 या 53 में सीकर जिले के पलसाना के पास गोवटी में जन्म हुआ। पिताजी पहाड़ियों में विचरण कर जड़ी बूटियां तलाशते। उन दिनों लड़कियों को स्कूल भेजने का रिवाज नहीं था इसलिए स्कूल का मुंह नहीं देखा, नाम की साक्षर हूं। भाग्य अच्छे हैं जो सुंडाराम जी जैसा किसान-वैज्ञानिक जीवन साथी मिला।

दीमक से बचाव की विधि

खेत में पेड़-पौधों की लकड़ियां सफाई के समय ऐसे ही चारों तरफ डाल दी जाती हैं । मैं जलाने के लिए लकड़ी लाती तो देखती कि अन्य लकड़ियों की तुलना में सफेदे की लकड़ी में कई

गुना ज्यादा दीमक लगती है। विचार आया कि फसलों के बीच सफेदे की लकड़ी के छोटे-छोटे डेढ़ से दो फीट लम्बे और दो से ढाई इंच मोटे टुकड़े बीच-बीच में रख दिए जाएं।

बाजरे में यह प्रयोग किया तो लकड़ी के नीचे कई हजार दीमकें आ गई । दीमकें लकड़ी को चट कर गई, पर उसके पास वाले बाजरे के पौधे सुरक्षित रहे।

मिर्च की फसल के बाद गेहूं की फसल बोई । इसमें कोई भी जैविक खाद और उर्वरक नहीं दिए । मिर्च की फसल दिसम्बर के अंत तक चली। गेहूं की फसल सामान्य समय से डेढ़ माह देरी से यानी 30 दिसम्बर, 2004 को बोई। देरी से बुवाई होने पर दीमक की मार बढ़ती है।

फसल अप्रैल के मध्य में पकती है तो अधिक तापक्रम से दीमक ज्यादा सक्रिय होती हैं। फव्वारा सिंचाई में एक एकड़ में 32 टोंटी थी। एक टोंटी के क्षेत्र में 12×12 वर्ग मीटर में डेढ़ से दो फीट लम्बा और 2 से ढाई इंच मोटा सफेदे की लकड़ी का एक टुकड़ा रखा। ये टुकड़े तीन फसलों तक चल सकते हैं। 6 से10 रुपये का एक टुकड़ा आता है। एक एकड़ में 320 रुपये का खर्चा। खर्चा एक बार और उपयोग तीन फसलों में । गेहूं की फसल आई तो देखा, किसी भी अवस्था में दीमक नुकसान नहीं पहुंचा सकी। हां लकड़ी के टुकड़े के नीचे कई हजार दीमकें थी। उससे चार इंच दूर गेहूं के पौधों पर उसको कोई प्रभाव नहीं था।

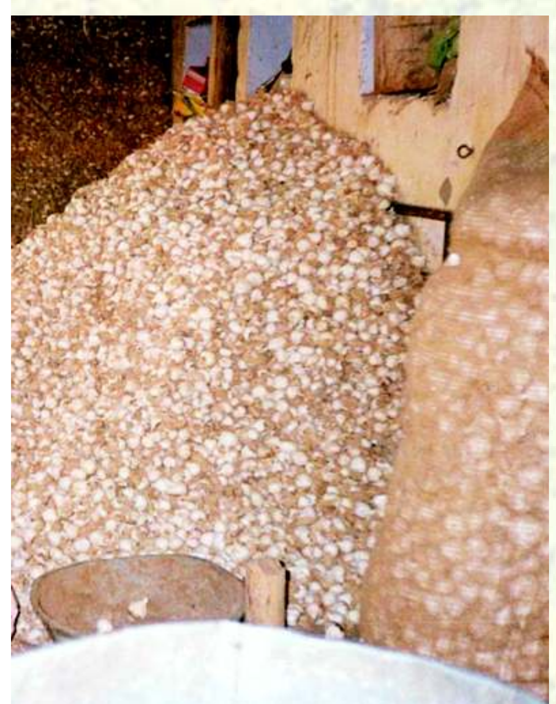

सभी छाया : डॉ. महेन्द्र मधुप

हमने भरतीय कृषि विज्ञान केन्द्र, फतेहपुर शेखावाटी और सीकर के उप निदेशक, कृषि (विस्तार) को इस सफलता की जानकारी दी। उन्होंने इस विधि को पूरी तरह परख कर, इसे दीमक से बचाव का रास्ता और प्रभावी उपाय माना।

विदेशों में चर्चा

स्थानीय अखबारों और राष्ट्रीय पत्रिका 'शरद कृषि' में मेरी यह खोज छपी। कुछ लोग मिलने भी आए, फिर सन्नाटा। वर्ष 2010 के मध्य में मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डाकिया 'सिटा' द्वारा प्रकाशित फ्रेंच और अंग्रेजी में छपी दो पुस्तकें लेकर आया जिनमें मेरी खोज को मय फोटो छापा गया। पतिदेव ने बताया कि जांबिया के लुसाका में 10 से 12 मई, 2010 तक यू.एन.ओ. के अंकटाड, जांबिया और भारत की सरकारों द्वारा आयोजित, अविकसित अफ्रीकी देशों के सम्मेलन में, अंकटाड इंडिया के लिए 'सिटा' द्वारा प्रकाशित 25 भारतीय किसानों की सफलता की कहानियों से मौजूद प्रतिनिधिगण स्तब्ध रह गए। पुस्तिकाओं में भारत के शुष्क क्षेत्र के उन प्रगतिशील किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने कम खर्चे की तकनीक से असाधारण परिणाम पाए।

'सिटा' के निदेशक, डॉ.बी.डी. पवार बैठक में मौजूद थे। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि 'सिटा' की स्थापना केन्द्रीय कृषि, मंत्री शरद पवार ने की। बैठक में आए प्रतिनिधियों ने मेरी उपलब्धि में गहरी रुचि दिखाई।

इस वर्ष अगस्त माह में खेतों के अग्रणी नवाचारी किसानों के सम्मान समारोह में 'सिटा' ने खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान करने के लिए मुझे आंमत्रित किया तो मुझे वह खुशी मिली जिसका मैं सपने में भी अहसास नहीं कर सकती थी। सम्मान प्रदान करते हुए शरद पवार, अशोक गहलोत, दिगम्बर कामत और हरजीराम बुरड़क के चेहरे पर और हाल में गूंजती तालियों में मेरे प्रति जो सम्मानभाव था, वह मेरे जीवन का सबसे यादगार क्षण रहेगा। यह सम्मान एक साधारण किसान महिला का न हो कर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और 'सिटा' द्वारा अन्नदाता किसानों की नवाचारी प्रवृत्तियों को सलाम था।

सम्पर्क कर सकते हैं :
भगवती देवी पत्नी सुंडाराम वर्मा, गांव दांता, तहसील दांता रामगढ़, जिला सीकर (राज.),
फोन.न. 01577-270074,
मो.: 09414901764

खुशहाली की 'सड़क' पर प्रदेश

रजनीश शर्मा

सुविचारित योजनाएं सुनिश्चित करेंगी विकास

तीन वर्ष के दौरान राज्य में सड़कों के विकास पर खर्च हुए 6644 करोड़ रुपये

राजस्थान का बदलता, दिन पर दिन मजबूत होता सड़क परिदृश्य इसे आने वाले वर्षों में विकास की ओर तेजी से अग्रसर करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ पिछले तीन वर्ष में सड़क निर्माण के क्षेत्र में न केवल उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, भावी सुविचारित योजनाओं से एक खुशहाल भविष्य की नींव भी रख दी है।

बीते तीन वर्ष में राज्यभर में सड़कों के विकास पर 6644 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। विकास की प्रक्रिया में दिन-प्रतिदिन बढ़ते यातायात और वाहनों के दबाव को देखते हुए कई राष्ट्रीय उच्च मार्गों को चौड़ा कराया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर-गुड़गांव खण्ड में राजस्थान में 161.3 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें व किशनगढ़-ब्यावर सड़क मार्ग को छह लेन का बनवाया जा रहा है। करीब 1200 करोड़ की लागत से 160.5 किलोमीटर लम्बाई के चितौड़गढ़-कोटा खण्ड को चार लेन का बनाकर प्रदेशवासियों को सौंप दिया गया है। एन.एच. 12 के जयपुर-टोंक-देवली खण्ड को दिसम्बर, 2012 तक चार लेन में बदलने का लक्ष्य है व आगे देवली-कोटा सड़क को जून, 2013 तक चार लेन में बदला जाना है। इसी प्रकार फरवरी, 2013 तक एन एच 11 के जयपुर से रींगस खण्ड को चार लेन में बदलने का लक्ष्य रखा गया है और अलवर-भिवाड़ी को भी चार लेन में विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश में 3 हजार 545 किलोमीटर लम्बाई में 16 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दिए जाने के अनुरूप प्रस्ताव भूतल परिवहन मंत्रालय को भिजवा दिए गए हैं। इनमें से 852 किलोमीटर लम्बाई में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिए गए हैं। शेष की स्वीकृति अपेक्षित है। इसके अलावा करीब 1378 किलोमीटर लम्बाई के राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 4306 करोड़ रुपये की लागत से निजी जनसहभागिता (भारत सरकार की बी.जी.एफ. योजना के तहत) से विकसित किए जाने के लिए 11 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है।

राष्ट्रीय उच्च मार्गों के साथ ही राज्य उच्च मार्गों को भी बढ़ते यातायात का दबाव सह सकने योग्य बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अनुरूप 16 मेगा हाईवे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इनकी कुल लम्बाई 2907.09 किलोमीटर में से 1728 किलोमीटर इन घोषणाओं में सम्मिलित है जो कुल परियोजना का 66 प्रतिशत है। राज्य में 750 करोड़ रुपये की लागत से राज्य उच्च मार्गों का सुदृढ़ीकरण व उन्नयन कराया जाएगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 517.12 करोड़ रुपये की लागत वाली 2420 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

राज्य उच्च मार्गों को पीपीपी आधार पर वीजीएफ के माध्यम से विकसित करने के लिए जयपुर-भीलवाड़ा व चौमूं-महलां का कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की सम्भावना है। इसके साथ ही आरएसआरडीसी द्वारा 1167 किलोमीटर लम्बाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों को 2745 करोड़ रुपये की लागत से 15 परियोजनाओं में बीओटी और एन्यूटी के माध्यम से पूर्ण कराने के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें 12 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ भी कर दिया गया है।

राजस्थान का बदलता, दिन पर दिन मजबूत होता सड़क परिदृश्य इसे आने वाले वर्षों में विकास की ओर तेजी से अग्रसर करेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपनी सहयोगी संस्थाओं के साथ पिछले तीन वर्ष में सड़क निर्माण के क्षेत्र में न केवल उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है, भावी सुविचारित योजनाओं से एक खुशहाल भविष्य की नींव भी रख दी है।

इसी प्रकार रिडकोर द्वारा भी 773 करोड़ रुपये की 273 किलोमीटर लम्बाई वाली 7 परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें से चार पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विद्यमान सड़क तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में केन्द्रीय सड़क निधि, अन्तर्राज्यीय सड़क, बारहवें वित्त आयोग एवं राज्य योजना के तहत करीब 4260 किलोमीटर लम्बाई में सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण तथा सीमेन्ट कंक्रीट का कार्य किया गया है। रिडकोर द्वारा 187 एवं आरएसआरडीसी द्वारा 258 किलोमीटर लम्बाई में चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण का काम पूरा किया गया।

मेगा हाईवे परियोजना के तहत 4 आरओबी यथा बालोतरा उपमार्ग व अलवर सिकन्द्रा सड़क पर रूपवास ग्राम के पास, मालाखेड़ा व राजगढ़ का निर्माण किया गया है। रतनगढ़ के पास रेलवे अण्डर ब्रिज का काम प्रगति पर है। सड़क विकास निधि के तहत भी 16 में से 2 आरओबी आबू-अम्बाजी, माण्डल-भीलवाड़ा का कार्य पूर्ण किया जा चुका है व शेष 14 आरओबी पर कार्य प्रगति पर है।

राज्य सरकार प्रदेश के हर गांव में सड़क सुविधा के लिए गम्भीर प्रयास कर रही है। पीएमजीएसवाई में 250 एवं इससे अधिक आबादी के 654 गावों तक कुल 2127 किलोमीटर लम्बी डामर की सड़कें बनाई गईं। 5749 ढाणियों एवं मजरों को सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार की सैद्धान्तिक सहमति मिलने के बाद 4100 करोड़ रुपये के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे गए। प्रथम चरण में 1076 कार्यों हेतु 885.82 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

महानरेगा के तहत सामान्य क्षेत्रों में 250 व इससे अधिक आबादी के बिना जुड़े 2776 में से 1369 गांवों को ग्रेवल सड़कों से जोड़ दिया गया है। राज्य के महत्त्वपूर्ण 610 धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने के लिए वर्ष 2011-12 में 1156 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। अभी तक 131 धार्मिक स्थलों को 299 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कर जोड़ा जा चुका है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग व कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 791 किलोमीटर लम्बाई में मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया गया है। सरकार और विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर काफी गम्भीर है। राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर मिलने वाली सभी विभागीय सड़कों पर कुल 1850 स्पीड ब्रेकर्स बनवाए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा चिन्हित किए गए 253 दुर्घटना सम्भाव्य स्थलों पर सड़क सुधार कार्य आरम्भ कराए गए हैं जिनमें से 180 पूरे भी हो चुके हैं। इनमें सड़कों की ज्यामिति में सुधार, क्रेश बेरियर, जंक्शन इम्प्रूवमेंट, वाइडनिंग के कार्य व रोड साइनेज लगवाने जैसे कार्य किए गए। विभाग ने सड़क सुरक्षा कार्यों पर एक निर्देशिका भी जारी की है।

विभाग ने इस वर्ष अच्छे मानसून के कारण क्षतिग्रस्त हुईं राज्यभर की सड़कों के पैच रिपेयर के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया और राष्ट्रीय उच्च मार्गों, राज्य उच्च मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों के पैच शत-प्रतिशत सुधार दिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ई-टेण्डरिंग की पहल की गई और प्रशासन में पारदर्शिता के लक्ष्य के साथ विभागीय सूचनाओं को विभाग की वेबसाइट pwd.rajasthan.gov.in पर समावेशित किया गया। राज्य में विभाग द्वारा 5 करोड़ रुपये व अधिक राशि से सम्पादित करवाए जाने वाले कार्यों में पहली बार 9 मार्च, 2009 को ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गई है। इसे अब 50 लाख से अधिक के टेण्डरों पर भी लागू कर दिया गया है। इससे न केवल टेण्डरिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शिता वाली हुई बल्कि प्रक्रिया का सरलीकरण भी हुआ है।

सभी छाया : सुजस

सभी छाया : रूपसिंह कविया

कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह ऊर्जा उत्पादन का सशक्त स्रोत

रूपसिंह कविया

हाड़ौती अंचल के कोटा सम्भागीय मुख्यालय स्थल पर स्थापित कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह राजस्थान को वर्तमान में 1240 मेगावाट विद्युत आपूर्ति करने वाला सशक्त ऊर्जा उत्पादन स्रोत बन गया हैं जिसमें कुल 7 इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता पर विद्युत का उत्पादन कर रही हैं। इसमें 110 मेगावाट की 2 तथा 210 मेगावाट की 3 एवं 195 मेगावाट की 2 इकाइयां कार्यरत हैं। विद्युत गृह में वर्ष 2008-09 से 2011-12 में अक्टूबर तक उक्त विद्युत उत्पादन इकाइयों में निरन्तर लगभग 90 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर उत्पादन किया गया है।

वर्ष 2011-12 में अक्टूबर तक सभी इकाइयों के वार्षिक रख-रखाव के कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिए गए हैं एवं सभी इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता पर विद्युत का उत्पादन कर रही है। विद्युत गृह द्वारा इस वित्तीय वर्ष में लगभग 92 प्रतिशत प्लाण्ट लोड फैक्टर अर्जित करने का अनुमान हैं। वर्ष 2009-10 में 1 जनवरी, 2010 को 195 मेगावाट की नव निर्मित इकाई संख्या 7 ने व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया एवं अपने प्रथम वर्ष के दौरान वर्ष 2010-11 में 96.27 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 1644 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जो एक उत्कृष्ट कीर्तिमान है।

वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में अक्टूबर तक ड्राई फ्लाई एश का उपयोग शत-प्रतिशत रहा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कदम है। वर्ष 2010-11 में 9891.471 मिलियन यूनिट उत्पादन किया जो विद्युत गृह की स्थापना से अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन है। इससे राज्य की विद्युत आपूर्ति में कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्ष 2010-11 के दौरान 91.06 प्रतिशत पी.एल.एफ. रखते हुए कुल उपलब्धता गुणांक 94.23 प्रतिशत उच्च स्तर पर रहा है। प्रतिवर्ष सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा 2500 नए पौधों को रोपित एवं विकसित किया गया है जो विद्युत गृह परिसर एवं आवासीय कॉलोनी के परिसर में हरितिमा विकसित कर पर्यावरण को शुद्ध रखने

का उत्कृष्ट प्रयास किया गया है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा कोटा सुपर तापीय विद्युत गृह को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2008-09 में रजत शील्ड एवं वर्ष 2009-10 में स्वर्ण शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। उक्त 3 वर्ष की अवधि में विद्युत गृह की कई इकाइयों द्वारा बिना ट्रिपिंग के अनवरत 100 दिन से अधिक अवधि में संचालित होने के कई कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। विद्युत गृह द्वारा उत्कृष्ट कार्य क्षमता का प्रदर्शन करते हुए 12 जनवरी, 2010 को 705 कोयले के वैगनों की अनलोडिंग एक ही दिन में की गई जो विद्युत गृह की स्थापना से अब तक की सर्वोच्च दैनिक उपलब्धि है। इसी प्रकार डेमरेज शुल्क में भी उल्लेखनीय बचत की गई।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा अभी हाल ही में सामाजिक उत्तरदायित्व नीति अपनाई गई जो जनोपयोगी एवं समाज के प्रति दायित्वों के निर्वहन के लिए सतत निष्ठा एवं प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समाज का समग्र उन्नयन ही इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस नीति की क्रियान्वयन करने हेतु कोटा सुपर विद्युत तापीय विद्युत गृह स्तर पर एक उच्च कमेटी का गठन किया गया हैं जो जनसाधारण के सामाजिक एवं आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्रियाशील है । सामुदायिक विकास के लिए भी इसके द्वारा बहुत ही पारदर्शी एवं सहभागिता निश्चित करते हुए प्रगतिशील कार्रवाई की जा रही है। ●

सभी छाया : देवीसिंह नरूका

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी

सिर पर छत और घर हो अपना, राज्य सरकार सच करेगी ये सपना

देवीसिंह नरूका

यह सर्व विदित है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही गांव उजड़ रहे हैं और शहरों की आबादी में इजाफा हो रहा है। लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं। शहरों में सबको किराए के मकान नहीं मिल पाते और सबकी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं होती कि किराए का मकान ले सकें। इस स्थिति में झुग्गी झोपड़ियां और कच्ची बस्तियां बन जाती हैं। इन कच्ची बस्तियों के कारण सेनीटेशन व सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से अन्य लोगों की भी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। शहरी क्षेत्रों के आसपास अवैध कॉलोनियां बस जाती हैं। इनमें पेयजल और विद्युत की भी समुचित व्यवस्था नहीं होती।

इस प्रकार से शहरों की बढ़ती आबादी और अनियोजित विस्तार को सुनियोजित विकास में बदलना राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कटिबद्ध है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

राज्य की राजधानी जयपुर के सम्बन्ध में ही विचार करें तो सड़कों की मरम्मत का कार्य नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने, सफाई, पेयजल और विद्युत वितरण आदि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात की सुविधा के लिए अण्डरब्रिज व ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया है। लो फ्लोर बसों की व्यवस्था की गई है। बीआरटीएस का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त जयपुर रीजन को मेट्रोपोलिटिन सिटी का दर्जा देकर मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य शुरु किया गया है। इस महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पहले चरण में मानसरोवर से चांदपोल तक कॉरीडोर के निर्माण पर 1250 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी

राज्य के लगभग 11 लाख आवासहीन परिवारों को उचित मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा 23 सितम्बर, 2009 को अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जारी की गई है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश वे परिवार हैं जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर व अल्प आय वर्ग के हैं। इस योजना के तहत निर्मित मकानों की लागत भी कम है। अनुमान है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 2.40 लाख, अल्प आय वर्ग को 3.75 लाख और मध्यम आय वर्ग के परिवारों को 7 लाख रुपये में आवास उपलब्ध हो सकेगा।

अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 के अन्तर्गत सहभागिता आवास योजना (पीपीपी)

के द्वितीय चरण में पंजीकरण का कार्य अगस्त माह से शुरू कर दिया गया है। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के तहत राज्य के 13 शहरों में 13,680 आवासों के लिए पंजीकरण किया जाएगा। इसमें से 7552 आर्थिक दृष्टि से कमजोर, 4,240 अल्प आय वर्ग एवं 1,888 आवास मध्यम आय वर्ग 'अ' श्रेणी के परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

कम लागत के इन मकानों का निर्माण राज्य के 13 शहरों में करवाया जाएगा। ये शहर हैं-कोटपूतली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, चूरू, सरदारशहर, झुन्झुनूं, भिवाड़ी, अलवर, पिण्डवाड़ा (सिरोही), देवली (टोंक), कुचामन सिटी और बालोतरा। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं, बीएसएफ सैनिक कार्रवाही के दौरान विकलांग हुए अथवा वीरगति प्राप्त हुए सैनिक परिवारों का कोटा क्रमशः 8, 6 और 3 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता सेनानी, नेत्रहीन, मूक-बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए एक-एक प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2009 की क्रियान्विति हेतु आवास विकास लि. को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में जयपुर, भिवाड़ी, अजमेर, कुचामन सिटी, चाकसू और दौसा में 10,264 मकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से 5,840 आर्थिक दृष्टि से कमजोर 3,112 अल्प आय वर्ग और 1,312 मध्यम आय वर्ग 'अ' के परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के प्रयासों से केन्द्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी राजीव आवास योजना भी राजस्थान से ही प्रारम्भ होगी। भारत सरकार के शहरी मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में सहमति प्रदान कर दी गई है।

हाल ही केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की संयुक्त निदेशक, श्रीमती अरुणा सुन्दर राजन और राजीव आवास योजना की निदेशक, श्रीमती दीप्ति गौड़ ने जयपुर में कीरो की ढांणी और संजय नगर भट्टा बस्ती आदि कच्ची बस्तियों का अवलोकन किया। इन बस्तियों का दौरा करने के बाद संयुक्त निदेशक, अरुणा सुन्दर राजन ने बताया कि केन्द्र सरकार की मंशा है कि इन बस्तियों में पानी, बिजली, ड्रेनेज एवं सीवरेज की व्यवस्था में सुधार के लिए मॉडल पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाए जो अन्य राज्यों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य कर सके। उन्होंने बताया कि राजीव आवास योजना के तहत कच्ची बस्तियों के सुधार के अलावा इस प्रकार की भी व्यवस्था की जाए जिससे कि भविष्य में कच्ची बस्तियां न बनें।

केन्द्र सरकार के अधिकारियों को नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, गुरुदयाल सिंह संधु व अन्य अधिकारियों ने राज्य में कच्ची बस्ती उन्मूलन के सम्बन्ध में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि राज्य के सभी 184 निकायों में सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। यहां 52 स्थानीय निकायों में कच्ची बस्तियां नहीं हैं। कच्ची बस्ती उन्मूलन का कार्य प्रथम चरण में राज्य के छह बड़े शहरों में शुरू करने की योजना है। सर्वेक्षण के अनुसार जयपुर में 239, जोधपुर में 215, कोटा में 98, अजमेर में 81, बीकानेर में 69 और उदयपुर में 40 कच्ची बस्तियां हैं। जयपुर में संजय नगर भट्टा बस्ती में केन्द्र सरकार के सहयोग से 12 हजार मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी प्रकार से राजीव आवास योजना के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि कच्ची बस्ती मुक्त शहरी योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 281.15 लाख रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस कार्य के लिए सलाहकारों और विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा रही है। ●

सभी छाया : सुजस

जोधपुर विद्युत वितरण निगम के बढ़ते चरण

डॉ. मोहनलाल गुप्ता

जोधपुर विद्युत वितरण निगम को जोधपुर डिस्कॉम भी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत वितरण कम्पनी है। इसके अंतर्गत राजस्थान का लगभग 60 प्रतिशत भू-भाग आता है जिसके अंतर्गत राज्य की 1 करोड़ 83 लाख से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इस कम्पनी के कार्यक्षेत्र में आने वाला भू-भाग, इंग्लैण्ड के कुल भू-भाग से काफी अधिक है। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जोधपुर विद्युत वितरण निगम का विद्युत तंत्र विश्व के बड़े विद्युत तंत्रों में से एक है।

इस विद्युत कम्पनी के पास 33 केवी की 18,312 किलोमीटर, 11 केवी की 1,18,830 किलोमीटर, एल.टी. की 65,180 किलोमीटर विद्युत लाइनें तथा 35,856 एबी केबल बिछी हुई है। इस प्रकार कुल 2,38,178 किलोमीटर विद्युत लाइनें बिछी हुई हैं। इन विद्युत लाइनों को धरती की भूमध्य रेखा पर धरती के चारों ओर छह बार तथा चंद्रमा पर चौबीस बार लपेटा जा सकता है। इतनी लम्बी विद्युत लाइनों को चौबीसों घण्टे चालू हालत में रखना बहुत बड़ी चुनौती है जिसे जोधपुर डिस्कॉम सफलतापूर्वक निभा रहा है।

यह कम्पनी मरुस्थल में रहने वाले 22.38 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति करता है जो कि कुवैत, मंगोलिया, ओमान तथा जमाइका जैसे देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है तथा मॉरीशस एवं बहरीन जैसे देशों की कुल जनसंख्या से लगभग दो गुनी है। जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 13.23 लाख घरों, 2.21 लाख खेतों, 2 लाख व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, 35 हजार उद्योगों एवं 10 हजार जल प्रदाय योजनाओं तक बिजली पहुंचाई जाती है जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

दिसम्बर, 2008 से अक्टूबर, 2011 तक की अवधि में लगभग तीन वर्षों में जोधपुर

डिस्कॉम ने विद्युत आपूर्ति की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस अवधि में जोधपुर डिस्कॉम ने 33/11 केवी के 346 सब स्टेशन स्थापित किए हैं तथा 33 केवी की 2,731 किलोमीटर विद्युत लाइनें बिछाई हैं। इस अवधि में 33/11 केवी के 1,307 एमवीए की क्षमता के 395 ट्रांसफार्मरों की तथा 11/0.4 केवी के 2,563 एमवीए की क्षमता के 62,902 ट्रांसफार्मरों की स्थापना की है। इस अवधि में 11 केवी की 26,622 किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाई हैं। 74 एमवीए क्षमता के 9,430 सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों की स्थापना की है। इस अवधि में 15,460 किलोमीटर लम्बी एबी केबल तथा 3,752 किलोमीटर लम्बी एल.टी. लाइनें बिछाई गई हैं। इस अवधि में 53,184 कृषि कनेक्शन, 4,54,143 घरेलू कनेक्शन, 25,169 अघरेलू कनेक्शन, 5,513 औद्योगिक कनेक्शन, 1897 जलदाय योजनाओं को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए हैं।

इस अवधि में 515 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। साथ ही 89 दलित बस्तियों तक बिजली पहुंचाई गई है। अनुसूचित जाति के 11,638 परिवारों को कृषि कनेक्शन एवं 70 परिवारों को औद्योगिक श्रेणी के कनेक्शन जारी किए गए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने में अर्जित की गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही कुटीर ज्योति योजना में जोधपुर डिस्कॉम ने इस अवधि में 1,47,124 परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। ●

विगत तीन वर्षों में जोधपुर डिस्कॉम द्वारा पिछली सरकार के तीन वर्षों की तुलना में किए गए कार्य का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार से है :

क्रम सं.	विवरण	इकाई	दिसम्बर, 03 से अक्टूबर, 2006 के बीच हुई प्रगति	दिसम्बर, 08 से अक्टूबर, 2011 के बीच हुई प्रगति	30.10.2011 तक की समग्र प्रगति
1	33/11 केवी सब स्टेशन	संख्या	183	346	1402
2	33/11 केवी लाइनें	किमी.	1821.16	2730.68	18312
3	33/11 केवी ट्रांसफार्मर एवं क्षमता एमवीए में	संख्या	219	395	1815
		एमवीए	824.55	1307.05	5641.00
4	11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर एवं क्षमता एमवीए में	संख्या	32334	62902	218041
		एमवीए	1085.43	2562.95	9006
5	11 केवी लाइनें	किमी.	12746.01	26622.1	118830
6	सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एवं क्षमता एमवीए में	संख्या	0	9430	34687
		एमवीए	0	74.641	505
7	एबी केबल	किमी.	10498.40	15459.7	35856
8	एल टी लाइनें	किमी.	7120.12	3752.48	65180
9	कृषि कनेक्शन (समस्त प्रकार)	संख्या	27513	53184	221638
10	घरेलू कनेक्शन	संख्या	169887	454143	1323050
11	अघरेलू कनेक्शन	संख्या	16259	25169	199461
12	औद्योगिक कनेक्शन	संख्या	4671	5513	34454
13	जलदाय योजनाओं को कनेक्शन	संख्या	1090	1897	9592
15	गांवों का विद्युतीकरण	संख्या	412	515	11664
16	अनुसूचित जाति परिवारों को कृषि कनेक्शन	संख्या	4500	11638	
17	अनुसूचित जनजाति परिवारों को कृषि कनेक्शन	संख्या	29	70	
18	कुटीर ज्योति योजना में बीपीएल परिवारों को घरेलू कनेक्शन	संख्या	33436	147124	348645
19	दलित बस्तियों का विद्युतीकरण	संख्या	109	89	6245

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के आधारभूत आंकड़ों को स्थापित करना, लेखांकन सुनिश्चित करना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, उप प्रसारण तन्त्र एवं विद्युत वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक छीजत को 15 प्रतिशत या उससे भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

छाया : सुजस

विद्युत क्षेत्र में नई राह

डॉ. मोहनलाल गुप्ता

तीन साल में 1,849 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को अब री-स्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डवलपमेन्ट एण्ड रिफॉर्म प्रोग्राम (आर-एपीडीआरपी) कहा जाता है। यह भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत क्षेत्र के आधारभूत आंकड़ों को स्थापित करना, लेखांकन सुनिश्चित करना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना, उप प्रसारण तन्त्र एवं विद्युत वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करना तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक छीजत को 15 प्रतिशत या उससे भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के व्यवसायिक उद्देश्यों में विद्युत तंत्र में रुकावट तथा व्यवधान को कम करने, उपभोक्ता सन्तुष्टि स्तर को बढ़ाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर पारदर्शिता लाने को भी सम्मिलित करने से यह एक बहुउद्देश्यीय योजना बन गई है।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के बहुआयामी लाभों को पहचानते हुए केन्द्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय से अनुरोध किया कि राजस्थान सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में प्रस्तुत समस्त योजनाओं को प्राथमिकता से स्वीकृति दी जाए। यही कारण है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसकी समस्त परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गईं। प्रथम चरण में राज्य के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं बीकानेर नगरों में तो यह योजना लागू होनी ही है। साथ ही द्वितीय चरण में उन नगरों तथा कस्बों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा जिनकी जनसंख्या 30,000 से अधिक है। इस प्रकार राजस्थान के 87 नगर एवं कस्बे इस योजना के लिए चुने गए हैं, जिनमें से 31 कस्बे जोधपुर विद्युत वितरण निगम के क्षेत्र में आते हैं। राज्य में आर-एपीडीआरपी में तीन वर्ष में कुल 1,849 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

(1) आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग-अ

इस भाग में सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धित कार्यों, तकनीकी एवं व्यवसायिक छीजत के स्तर का निर्धारण तथा एस.सी.ए.डी.ए. (स्काडा) के उपयोग को सम्मिलित किया गया है। जोधपुर डिस्कॉम में जोधपुर एवं बीकानेर नगर को स्काडा के लिए चुना गया है। यदि योजना के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदत्त आरम्भिक 100 प्रतिशत ऋण 100 प्रतिशत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। इस कार्य के लिए देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी मैसर्स इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, बेंगलोर को सलाहकार

नियुक्त किया गया है व मैसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड, नोएडा द्वारा यह कार्य किया रहा है व जोधपुर नगर को पायलट-टाउन के रूप में चुना गया है। निश्चित समयावधि में कार्य पूर्ण करने पर भारत सरकार द्वारा 31 कस्बों में लागू की गई इस योजना का पूर्ण खर्च पीएफसी द्वारा अनुदान दिया जाएगा जिसकी राशि लगभग 71 करोड़ रुपये हैं। राजस्थान के तीनों विद्युत वितरण निगमों को 294 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

इसके तहत लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कर राजस्थान वितरण तंत्र के कार्यालयों तथा 33/11 के. वी. उपकेन्द्र डाटा सेन्टर से जोड़ा जाएगा। निगम के समस्त कार्यालय कार्य, विद्युत लाइन नेटवर्क एवं उपभोक्ता से सम्बन्धित डाटा को पूर्णत: कम्प्यूटराइज्ड किया जा रहा है। विद्युत वितरण निगम के समस्त कार्यालय जयपुर स्थित डाटा सेंटर के केन्द्रीय सर्वर से जुड़कर उसी प्रकार ऑनलाइन कार्य करेंगे जैसे रेलवे, बैंक व बीमा कार्यालय में किए जा रहे हैं। भविष्य में विद्युत उपभोक्ताओं का घंटों का काम मिनटों में होगा, चाहे बिल जमा करवाने का काम हो, डुप्लीकेट बिल बनवाने का काम हो या शिकायत दर्ज करवाने का काम हो, समस्त कार्य ऑनलाइन कम्प्यूटराइजड सिस्टम पर किया जाएगा। समस्त प्रकार की सामान्य जानकारियां जैसे बिल के बारे में जानकारी, उपभोग की गई यूनिट की जानकारी, बिजली की दर, लोड शेडिंग का शिड्यूल आदि समस्त जानकारियां ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी। समस्त उपभोक्ताओं एवं विद्युत तंत्र को जीआईएस द्वारा डिजीटल मैप पर अंकित किया जा रहा है।

प्रत्येक डिस्कॉम मुख्यालय पर एक 30 सीटों वाला कस्टमर केयर सेन्टर विकसित किया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा ताकि डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को अधिकाधिक लाभ मिल सके। कस्टमर केयर सेन्टर में कार्यरत उपभोक्ता सेवा प्रतिनिधि, विद्युत उपभोक्ताओं की समस्त तरह की शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त कर उसे सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करेगा ताकि उसके निवारण हेतु समय पर उचित कदम उठाया जा सके। समस्त एच.टी. व एम.आई.पी.-द्वितीय औद्योगिक उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग मॉडम व सिम द्वारा ऑटोमेटिक विधि से ली जाएगी जो 24 घंटे कन्ट्रोल रूम से मॉनिटर की जा सकेगी।

जोधपुर मुख्यालय पर डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनाया जा रहा है। जयपुर स्थित डाटा सेंटर में व्यवधान आने पर राज्य की समस्त विद्युत प्रणाली स्वत: ही जोधपुर के डिजास्टर रिकवरी सेंटर द्वारा नियंत्रित हो जाएगी। इस कार्य हेतु 26.9 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिन नगरों की जनसंख्या 4 लाख से अधिक है एवं विद्युत आपूर्ति 350 मिलियन यूनिट से अधिक है, उन नगरों में स्काडा सिस्टम लगाने का प्रावधान है। इसके तहत राज्य में लगभग 151 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत हुई है जिसमें जोधपुर डिस्कॉम में लगभग 57 करोड़ रुपये की भागीदारी है। इसमें से जोधपुर नगर के लिए 32.77 करोड़ रुपये तथा बीकानेर नगर के लिए 23.96 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। स्काडा सिस्टम द्वारा विद्युत सब स्टेशनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग व कन्ट्रोल किया जा सकेगा, किसी सब स्टेशन में विद्युत व्यवधान उत्पन्न होने पर कन्ट्रोल रूम से उसकी सप्लाई दूसरे सब स्टेशन द्वारा तुरंत की जाएगी। इस योजना का पूर्ण भार केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में वहन किया जा रहा है।

आर-एपीडीआरपी में विद्युत उपभोक्ताओं को बहुत सारे लाभ हैं। साथ ही इससे कर्मचारियों को भी काम करने में सुविधा रहेगी। मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू करने का निर्णय किया है ताकि इस योजना का लाभ नगरीय क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण जनता को भी मिल सके। राजस्थान के लिए इस परियोजना की कुल लागत 529 करोड़ रुपये है जिसमें से 235 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस योजना के तहत जोधपुर डिस्कॉम के कार्यक्षेत्र में 168 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

(2) आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग -ब

इस भाग में विद्युत वितरण तन्त्र के सुधारीकरण पर बल दिया गया है। यदि तकनीकी एवं व्यवसायिक छीजतों को निरन्तर 5 वर्षों तक 15 प्रतिशत से कम बनाए रखा गया तो पी.एफ.सी. द्वारा प्रदत्त आरम्भिक ऋण का 50 प्रतिशत अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। इस भाग में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य होना है जिसमें नए सब स्टेशनों का निर्माण करना, नए विद्युत तंत्र की स्थापना करना, नए ट्रान्सफार्मर लगाना, रिंगमेन यूनिट लगाना, फाल्ट पेसेज इन्डीकेटर लगाना, आवश्यकतानुसार कन्डक्टर परिवर्तन करना, केबल बिछाना इत्यादि का कार्य शामिल है । इसके तहत पीएफसी द्वारा जोधपुर डिस्कॉम के 31 नगरों एवं कस्बों में 684.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। राजस्थान में जोधपुर डिस्कॉम पहला निगम है जिसकी समस्त योजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

(3) आर.ए.पी.डी.आर.पी. भाग -स

इस भाग में एस.आर.एस. टेम्पलेट तैयार करने, आधारभूत आंकड़ों को संग्रहीत करने, उनकी वैधता की जांच करने, परियोजना के क्रमिक विकास तथा क्षमता निधार्रण करने आदि कार्य सम्मिलित किए गए हैं। इस भाग के समस्त कार्य पी.एफ.सी. द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

आर-ए.पी.डी.आर.पी. में सम्मिलित 30 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर एवं कस्बे में भादरा, बीदासर, चूरू, लाडनूं, नोहर, फलौदी, पीपाड़, राजगढ़, सादुलपुर, सरदारशहर, सिरोही, सोजत सिटी, सुजानगढ़, बाड़मेर, भीनमाल, बिलाड़ा, श्री डूंगरगढ़, नोखा, बालोतरा, जैसलमेर, सूरतगढ़, सुमेरपुर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़, जालोर, सांगरिया , श्रीगंगानगर, जोधपुर, आबूरोड एवं पीलीबंगा शामिल है। ●

सभी छाया : डॉ. राजेश कुमार व्यास

पर्यावरण संरक्षण के कारगर प्रयास

डॉ. राजेश कुमार व्यास

यह वह समय हैं जब विश्वभर में जलवायु परिवर्तन की दस्तक सुनाई दे रही है। कहीं हिम ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं तो कहीं सूखे और बाढ़ की समस्या ने भयावह रूप धारण कर लिया है। विश्वभर में पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से गड़बड़ाता जा रहा है। जापान में सुनामी, आस्ट्रेलिया में बाढ़ के साथ ही विश्वभर के देशों में मौसम का मिजाज कहर ढा रहा है। स्टॉकहोम व एक्सेटर की यूनिवर्सिटी के हाल के अध्ययन में यह भी सामने आया है कि चिली में ग्लेशियर पिघलने की दर पिछले 350 सालों में सबसे तेज है। स्वाभाविक ही है कि इसका खामियाजा बाढ़ के रूप में चिली को भुगतना होगा। अब जबकि जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, यह जरूरी है कि ग्रीन पर्यावरण संरक्षण को व्यवहारिक रूप में अमलीजामा पहनाया जाए।

राजस्थान की बात करें तो यह सुखद है कि मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की पहल पर पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। राजस्थान वह राज्य है जहां की अपनी पर्यावरण नीति बनाकर उसे लागू किया गया है। यही नहीं यह मुख्यमंत्री गहलोत की दूरगामी सोच ही रही है कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों को भांपते हुए अपने पहले बजट भाषण में ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल के तहत पृथक से जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ गठित करने की घोषणा कर दी थी। यही नहीं 20 अप्रैल, 2010 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य पर्यावरण मिशन की बैठक में राजस्थान पर्यावरण मिशन डॉक्यूमेंट का अनुमोदन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना की पहल की गई है। प्रदूषण नियंत्रण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है, इसी के अंतर्गत जिला पर्यावरण समितियों के माध्यम से प्रदेश में पर्यावरण जागरुकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं के साथ ही विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को जागरूक किए जाने की दिशा में भी विशेष पहल की गई है।

पर्यावरण मंत्री, श्रीमती बीना काक ने कुछ समय पहले ही पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के सम्बन्ध में ली गई एक बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण प्रयासों से जोड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा प्रदूषण नियंत्रण मंडल की गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किए जाने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के खतरों से अवगत कराने और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है।

बहरहाल, राज्य में विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होने वाली गैसेज की मात्रा में कमी लाने और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने को प्रोत्साहित करने के लिए ही राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधीन पृथक से एक क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म सेल की स्थापना की गई है। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर 21 जुलाई, 2010 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत एक अगस्त, 2010 से ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे बड़े स्तर पर प्रदूषण को रोका

जाना सम्भव हो सका है। प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक से आम जन को असुविधा नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए ही प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़ा, सेलूलोज एवं कागज के बने कैरी बैग के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त विभाग (कर) की 26 मई, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत करों में छूट प्रदान की गई है। प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबन्ध की अधिसूचना के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार की 10 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत न्यायालय में इस्तगासा दाखिल करने हेतु प्राधिकृत भी किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को सभी स्तरों पर नियंत्रित किया जाए। इसी के तहत राज्य सरकार ने उद्योगों को इको फ्रेण्डली किए जाने के लिए विषेष प्रोत्साहन देने की पहल की है। संयुक्त उपचार संयंत्र मांडिया एवं पुनायता रोड, पाली की स्थापना के लिए प्रत्येक संयंत्र से सम्बन्धित न्यास को राज्यांश की प्रथम किस्त के रूप में एक-एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए है। इसके अलावा माउंट आबू इको सेंसेटिव जोन में भवन और निर्माण सामग्री के विक्रय और परिवहन के विनियमन के संबंध में भी 29 जून, 2010 को अधिसूचना जारी की गई है। राज्य में 15 दिसम्बर, 2009 से ध्वनि प्रदूषण (नियामक एवं नियंत्रण) नियम 2000 के अंतर्गत विभिन्न अधिकारियों को प्राधिकारी घोषित करते हुए उनका दायित्व निर्धारित किया गया है। इससे पहले बहुत कम प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों को त्वरित गति से सम्मति जारी करने के उद्देश्य से राज्य मंडल के सहायक पर्यावरण अभियंताओं को 'अन्य श्रेणी' के उद्योगों की स्थापना एवं संचालन सम्मति प्रदान करने के लिए भी 18 दिसम्बर, 2008 द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं । राज्य में वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयां भी कम नहीं हैं । इन्हें देखते हुए ऐसी वस्त्र प्रसंस्करण इकाइयां जो कम प्रदूषणकारी हैं उन्हें राज्य मंडल के सम्मति प्रबन्धन हेतु लाल श्रेणी से नारंगी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है ताकि इनसे संबंधित सम्मति आवेदन पत्रों का निस्तारण 18 दिसम्बर, 2008 के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर ही किया जा सके।

स्टोन क्रेशर की स्थापना और इनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के सम्बन्ध में भी 15 मार्च, 2010 को संशोधित मार्ग निर्देशिका जारी की गई है। इसके अलावा होटल इकाइयों को उनकी बिस्तर क्षमता के अनुसार श्रेणियों में वर्गीकृत करके सम्भावित प्रदूषण के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था सम्बन्धी आदेश भी 17 अगस्त, 2009 को विशेष रूप से जारी किए गए हैं। इसके अलावा जो महत्त्वपूर्ण पहल प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने की है, वह यह है कि अब जल उपकर सम्बन्धित कार्य एवं प्रयोगशाला से प्राप्त नमूनों के विश्लेषण का कार्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर दिया गया है। मंडल द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु वेस्ट ट्रेकिंग प्रारम्भ की गई है। इसके अलावा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन के लिए झालावाड़ में सामूहिक सुविधा की स्थापना की गई है। जसोल संयुक्त उपचार संयंत्र की क्षमता 2.5 से 6.5 एम.एल.डी. करने हेतु और संयुक्त उपचार संयंत्र से उपचारित जल का पुन: उपयोग में लाने हेतु 2.5 एम.एल.डी. क्षमता का एक रीसाइक्लिंग प्लांट स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भिजवाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए इन प्रयासों के साथ ही साथ आम जन की सहभागिता को सभी स्तरों पर सुनिश्चित करने की दिशा में भी विशेष पहल की गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी प्रतिबद्ध होकर कार्य करें। इसे प्रोत्साहित करने के लिए ही वर्ष, 2012 से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था, संगठन, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिका मंडल और पर्यावरण संरक्षण में विशिष्ट कार्य के लिए व्यक्ति विशेष को 'राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार' प्रदान किए जाने का भी महती निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की पहल पर राज्य में प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सुदृढ़ीकरण के लिए पहली बार मंडल में एक साथ 135 नवीन पदों का सृजन किया गया है और 65 पदों पर नियुक्ति भी दी जा चुकी है । जिस तरह से पर्यावरण सुधार के लिए राज्य में प्रयास किए जा रहे हैं उनसे पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान के सुनहरे भविष्य को देखा जा सकता है।

धौलपुर-भरतपुर चम्बल पेयजल परियोजना

मीठे जल का सपना होने को है साकार

जगदीश गोठड़िया

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के प्रथम शासनकाल में प्रारम्भ हुई धौलपुर-भरतपुर चम्बल पेयजल परियोजना उनके दूसरे शासनकाल में नए सिरे से किए गए प्रयासों एवं क्रियान्वयन में लाई गई तेजी के कारण साकार रूप ले रही है। परिणामस्वरूप चम्बल का चिरप्रतीक्षित मीठा जल जहां केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर में पहुंचने लगा है वहीं जनवरी के प्रारम्भ तक चम्बल का मीठा जल भरतपुर शहर के साथ ही आसपास के गांवों में पहुंचाने का सपना भी अब पूरा होने को है। इस 166 करोड़ की इस परियोजना की लागत अब 213.76 करोड़ हो गई।

जून, 1999 में 166.50 करोड़ रुपये लागत की स्वीकृत इस परियोजना के प्रथम चरण में भरतपुर जिले के पांच शहरी क्षेत्रों भरतपुर, कुम्हेर, नगर, डीग व कामां और धौलपुर जिले के 69 गांवों व भरतपुर जिले के 930 गांवों में चम्बल जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। अक्टूबर, 2007 में इस परियोजना के शेष कार्य हेतु लगभग 214 करोड़ रुपये के कार्यादेश दिए गए और कार्यों में तेजी लाने के संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप केवलादेव उद्यान में गत दो माह पूर्व से चम्बल जल की आवक होने लगी।

परियोजना के अगले पांच वर्ष तक संधारण हेतु भी लगभग 14 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। परियोजना के तहत चम्बल नदी की धौलपुर से सैपउ, रूपवास होते हुए मलाह-भरतपुर तक मुख्य पाइप लाइन एवं फिल्टर प्लांट, चम्बल नदी पर इन्टेक वैल व पुल निर्माण, 33 केवी/415 वो. विद्युत सब स्टेशन, पम्प व मशीनरी की स्थापना, सागरपाड़ा हैडवर्क्स धौलपुर में 25.60 मिलियन लीटर क्षमता के रॉ-वाटर टैंक निर्माण व रॉ-वाटर पम्प हाउस निर्माण एवं 33 केवी/415 वो. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं।

इसी प्रकार भरतपुर के निकट मलाह हैडवर्क्स पर भी 220 मिलियन लीटर क्षमता के रॉ-वाटर रिजर्वायर व रॉ-वाटर पम्प हाउस, 112 मिलियन लीटर क्षमता के जल संशोधन संयंत्र, 5-5 मिलियन लीटर क्षमता के दो स्वच्छ जलाशयों का निर्माण एवं 33 केवी/415 वो. विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण होने को हैं। मलाह हैडवर्क्स से शहर में स्वच्छ जल वितरण हेतु पम्प हाउस का निर्माण एवं पेयजल लाइनों को बदलने का कार्य भी आरयूआईडीपी के तहत प्रगति पर है। चम्बल हैडवर्क्स धौलपुर से मलाह हैडवर्क्स भरतपुर तक डाली गई 85.175 किलोमीटर पाइप लाइन में पानी का फ्लो टेस्ट कर रॉ-वाटर जलाशय मलाह पर पानी लिया जा चुका है वहीं केवलादेव उद्यान में लगातार पानी उपलब्ध हो रहा है।

परियोजना के प्रथम चरण, प्रथम भाग में भरतपुर, कुम्हेर व रूपवास तहसील के 146 गांवों एवं धौलपुर व सैपउ तहसील के 102 गांवों में चम्बल का जल पहुंचने लगेगा। प्रथम चरण के द्वितीय भाग तक भरतपुर के कुल 157, कुम्हेर के 117, रूपवास के 142, नगर के 164, डीग के 119, कामां के 114 एवं पहाड़ी तहसील के 132 गांवों और धौलपुर तहसील के 62 व सैपउ के कुल 40 गांवों में चम्बल जल की आपूर्ति होने लगेगी। इससे निश्चय ही लम्बे समय से पानी की कमी एवं खारे पानी की समस्या से जूझ रहे भरतपुर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मीठे जल की आपूर्ति हो सकेगी। •

सभी छाया : जगदीश गोठड़िया

उदयपुर बना भारत का सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

छाया : गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र झीलों की नगरी, उदयपुर को भारत के सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल के रूप में चुना गया है। राजस्थान की पर्यटन मंत्री, श्रीमती बीना काक ने 2 दिसम्बर को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में यह पुरस्कार केन्द्रीय पर्यटन मंत्री, सुबोध कांत सहाय से प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, रणदीप धनकड़ भी उपस्थित थे।

श्रीमती काक ने इस अवसर पर कहा कि मुझे सर्वश्रेष्ठ अवकाश स्थल का यह कोन्डे नास्ट ट्रेवलर इण्डिया रीडर्स ट्रेवल अवार्ड प्राप्त करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि गत कुछ वर्षों से राजस्थान न केवल एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है बल्कि यहां पर सरकार द्वारा निरन्तर नए टूरिस्ट सर्किट, नए पर्यटन उत्पादों का विकास और बुनियादी ढांचों के उन्नयन का प्रयास किया जा रहा है।

रॉयल राजस्थान की लोकप्रियता बढ़ी

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के नव नियुक्त अध्यक्ष, रणदीप धनकड़ ने गत दिनों नई दिल्ली में बीकानेर हाउस स्थित राज्य सरकार के पर्यटन कार्यालय का अवलोकन किया और पर्यटन से जुड़ी विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक, प्रमोद शर्मा ने बताया कि दुनिया की सबसे सफल शाही रेलगाड़ी 'पैलेस ऑन व्हील्स' की अपार सफलता को देखते हुए इसकी तर्ज पर शुरू की गई रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स गाड़ी अब काफी लोकप्रिय हो रही है।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए धनकड़ ने शाही रेलगाड़ी के परिचालन और पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के संदर्भ में सुझाव दिए। धनकड़ ने आर.टी.डी.सी. अधिकारियों एवं पर्यटन एजेंटों के सुझावों को भी ध्यान से सुना और इस संबंध में एक विस्तृत नोट तैयार कर भेजने के निर्देश दिए।

धनकड़ ने इस संदर्भ में रेलगाड़ी के परिचालन में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बारे में रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर समुचित समाधान का आश्वासन दिया। धनकड़ ने कहा कि वे मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत द्वारा दी गई नई जिम्मेवारियों का वे पूर्ण रूप से निर्वाह करेंगे एवं पर्यटन, मंत्री श्रीमती बीना काक के मार्गदर्शन में विकास निगम को आगामी वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे।

बड़े रूट की बसों में जी.पी.एस. प्रणाली

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. मंजीत सिंह ने 2 दिसम्बर को नई दिल्ली में रोडवेज के सराय काले खां एवं बीकानेर हाउस स्थित आरक्षण कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं एवं कार्यालय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने यात्रियों से व्यक्तिगत रूप से बात कर यात्रियों को और अधिक बेहतर सेवाएं देने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने इन्टरनेट प्रणाली की भी जांच की और संतोष व्यक्त किया।

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए बड़े रूट पर चलने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों को जनवरी से जी.पी.एस. प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इससे जहां यात्रियों को बस के आने-जाने और उसकी स्थिति के बारे में सही जानकारियां समय पर मिल सकेंगी वहीं रोडवेज के अधिकारियों को भी गाड़ी की समय पर सही स्थिति की जानकारी मिल सकेगी तथा इससे रवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अभी तक गत वर्ष की तुलना में 120 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व प्राप्त हो चुका है और इससे रोडवेज के घाटे में 55 करोड़ की कमी आई है। डॉ. सिंह ने बताया कि रोडवेज की सेवाओं को और अधिक बेहतर बनाने के लिये अभी तक लगभग 1500 चालक-परिचालकों एवं तकनीकी अधिकारियों की भर्ती कर ली गई है और अन्य अधिकारियों की भर्ती का कार्य 31 मार्च, 2012 तक पूरा कर लिया जाएगा। डॉ. सिंह ने बताया कि यात्रियों को रोडवेज की सस्ती सुविधा मुहैया कराने के लिए सभी जिलों को गांधी जंयती 2 अक्टूबर से ''गांधी रथ'' नाम से रोडवेज की बसों से जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में वोल्वो बसों की संख्या बढ़ाने के लिए और बसें किराए पर ले रही है।

उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यात्रियों से कुछ शिकायतें मिलीं हैं जिनके समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि रोडवेज की बसों में यात्रियों को ऑनलाइन से आरक्षण कराने पर प्रिंट साथ लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल पी.एन.आर नम्बर देने पर ही उन्हें टिकट प्रदान कर दी जाएगी।

खजूर से पाई ऊंचाई

कल्पना डिण्डोर

पूरे वागड़ क्षेत्र में खजूर के पेड़ प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं और यही वजह है कि यहां खजूर के झाडुओं का लोक जीवन में विशेष प्रयोग होता रहा है। खजूर की डालियों से बनने वाले साधारण झाडू का उपयोग सभी तरफ किया जाता है। इस दृष्टि से यह वागड़ अंचल का बहुप्रचलित स्थानीय उत्पाद है।

खजूर से ही फूल झाडू बनाया जाता है। इसका उपयोग मंदिरों, दुकानों, आटे की चक्कियों आदि में बारीक साफ-सफाई में किया जाता हैं। खजूर के फूल झाडू को स्थानीय वागड़ी बोली में 'लोटवाणिया' कहते हैं। नए जमाने की मांग और शहरी गृहिणियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बांसवाड़ा के जानामेड़ी गांव के शंकर सहायता समूह द्वारा आधुनिक किस्म के झाडू भी बनाए जा रहे हैं।

साधारण फूल झाडू हर परिवार के दैनिक उपयोग की वस्तु होने से इसका उत्पादन काफी संख्या में होता है। हर अमीर-गरीब, घर-दफ्तर-दुकान आदि के लिए यह उपयोगी है। इसे घास के सहयोग से बनाते हैं । निर्धारित वजन के अनुसार छोटा-बड़ा झाडू बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन पर जोर होने की वजह से इसका कच्चा माल कभी-कभार बाहर से भी मंगवाना पड़ता है।

समूह की महिलाओं का मानना है कि इस अकेले उत्पाद के बूते पूरे घर की आजीविका अच्छे ढंग से चल सकती है। घरेलू उद्योग के रूप में इसे अपनाना फायदेमंद है। ये महिलाएं केप वाले फूल झाडू का निर्माण भी करती हैं। साधारण झाडू के मुकाबले इसकी लम्बाई व मोटाई ज्यादा होती है। इसकी केप पर हत्था लगाया जाता है जिससे सफाई करने में सुविधा रहती है तथा हाथ को किसी भी प्रकार से भार भी नहीं लगता।

समूह द्वारा सलियों वाले झाडू का निर्माण भी किया जाता है। इस किस्म का झाडू फर्श धोने व जमा पानी निकालने आदि के साथ ही पशुओं के रहने के स्थानों की सफाई में आसान रहता है। इसकी कीमत वजन के आधार पर तय की जाती है।

ग्राम्य उद्योग के रूप में व्यापक सम्भावनाएं

जनजाति बहुल वागड़ अंचल में हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खजूर के पेड़ होने की वजह से झाडू बनाने के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए तो यहां के सैंकड़ों परिवारों की जिंदगी में बदलाव लाया जा सकता है।

खजूर की बहुतायत को देखकर वर्तमान में गुजरात, मध्यप्रदेश और आस-पास के प्रदेशों व क्षेत्रों के झाडू उद्यमी बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में डेरा जमाकर झाडू निर्माण से जुटे हुए हैं। यहां बनाए जाने वाले झाडुओं को हर माह ट्रकों में भर कर गुजरात, मध्यप्रदेश व अन्य इलाकों में ले जाया जाता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खजूर के इन झाडुओं की खूब मांग रहती है। ●

छाया : सुजस

साहस व जज्बे की अनूठी छाप

मोतीलाल वर्मा

पुलिसकर्मियों को कर्तव्यपरायणता और सेवाधर्म निभाते हुए कई तनाव भरी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। ऐसे में खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से कुछ क्षण आमोद-प्रमोद कर गुजारे जाएं तो अविस्मरणीय बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ क्षण पिछले दिनों जोधपुर में 38 वीं जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में पुलिस कर्मियों ने बिताए।

राजस्थान पुलिस का गौरवशाली इतिहास रहा है। पुलिसकर्मियों के शौर्य व साहस को मान्यता मिले। इस हेतु अनेक आयोजन राजस्थान पुलिस की पहल पर प्रारम्भ हुए हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतिवर्ष रेंज व राज्य स्तरीय खेलों व अन्य स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में 38वीं जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर, 2011 तक पुलिस लाइन जालोर में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक, जोधपुर (ग्रामीण), नवज्योति गोगोई ने किया। इस कार्यक्रम में जालोर के विधायक, रामलाल मेघवाल, रानीवाड़ा के विधायक, रतन देवासी सहित पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य कई गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। जालोर जिला पुलिस अधीक्षक, राहुल बारहट ने अतिथियों का स्वागत किया।

उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ियों ने सधे हुए कदमों से मार्च पास्ट किया। खेल को खेल भावना से खेलने की शपथ के साथ ही इस तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबाल, वॉलीबाल, हॉकी, बास्केटबाल तथा एथलेटिक्स के मुकाबले हुए। तीन दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में करीब 800 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शुभारम्भ मौके पर मुख्य अतिथि जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, उमेश मिश्रा ने सभी 10 टीमों के खिलाड़ियों को 'खेल भावना से खेलने की शपथ' दिलाई।

समारोह के पश्चात महानिरीक्षक पुलिस ने ग्राम आड़वाड़ा में नवनिर्मित पुलिस फायरिंग रेंज तथा पुलिस थाना भवन रामसीन का भी उद्घाटन किया।

कबड्डी में जोधपुर ग्रामीण बनाम जैसलमेर तथा पाली बनाम जोधपुर शहर के बीच दो मुकाबले खेले गए। हॉकी में भी दो मैच जी.आर.पी. बनाम पी.टी.एस. जोधपुर तथा जोधपुर ग्रामीण बनाम जोधपुर शहर के बीच खेले गए। बास्केटबाल पुरुषों में पी.टी.एस. जोधपुर बनाम आर.पी.टी.सी. जोधपुर तथा जैसलमेर बनाम बाड़मेर के बीच मैच खेले गए। फुटबाल में पी.टी.एस. बनाम जालोर तथा जैसलमेर बनाम सिरोही के बीच मैच खेले गए। वॉलीबाल में सिरोही बनाम जोधपुर ग्रामीण तथा बाड़मेर बनाम पी.टी.एस. जोधपुर के मुकाबले हुए। इसी बीच स्टेडियम ग्राउण्ड में एथलेटिक्स के मुकाबलों में रिले दौड़ में भी पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ऊंची कूद, तश्तरी फेंक, बांस कूद व गोला फेंक में भी मुकाबले हुए।

समापन समारोह से पहले फुटबाल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबाल एवं बास्केटबाल स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए जिनमें फुटबाल में सिरोही ने पाली को 3-0 से, हॉकी में जोधपुर शहर ने जालोर को 2-1 से, कबड्डी में बाड़मेर ने जालोर को, वॉलीबाल में जालोर ने बाड़मेर को तथा बास्केटबाल में जोधपुर शहर ने पाली को हराया। ऑल आवर परफोर्मेंस के आधार पर दी जाने वाली जनरल चैम्पियनशिप का अवार्ड जालोर को मिला।

प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता जोधपुर रेन्ज के पुलिस महानिरीक्षक, उमेश मिश्रा ने की। उन्होंने खिलाड़ियों से अपने प्रदर्शन को ओर बेहतर बनाने का आह्वान किया। अगले वर्ष होने वाली 39वीं जोधपुर रेंज पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता व ड्यूटी मीट-2012 की मेजबानी पाली को सौंपी गई तथा अगली प्रतियोगिता के लिए ध्वज पुलिस अधीक्षक पाली को सुपुर्द किया।

जालोर जिला पुलिस अधीक्षक, राहुल बारहठ ने इस खेल आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। समापन के बाद सभी खिलाड़ी अगली बार और बेहतर प्रदर्शन के संकल्प के साथ आयोजन की मधुर स्मृतियां लेकर विदा हुए। ●

वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण में अग्रणी हुआ प्रदेश

डॉ. राजेश कुमार व्यास

राजस्थान में वन विभाग ने पिछले तीन वर्षों में ऐतिहासिक उपलब्धियों का अर्जन किया है। मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की दूरदर्शी सोच, तीव्रतम विकास की ठोस और आम जन के सीधे सरोकारों से जुड़ी नीतियों का ही परिणाम है कि वन विभाग में कदम-दर-कदम विकास के सोपान तय किए गए हैं। मसलन आजादी के बाद पहली बार जहां राज्य की वन नीति बनाकर उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं पहली बार राज्य की पारिस्थितिकी पर्यटन नीति बनाई गई और उससे पारिस्थितिकी संतुलन की दिशा में सार्थक कदम उठाए गए हैं। ऐसे ही जैव विविधता संरक्षण की दिशा में भी पहली बार प्रदेश में जैव विविधता नियम, समृद्ध जैव विविधता और धरोहर संरक्षण की दिशा में कार्य हुआ है। साझा वन प्रबंधन की दिशा में तो राजस्थान पूरे देश में प्रथम रहा है। इसी की मिसाल है, राज्य को साझा वन प्रबंधन के तहत पिछले तीन वर्षों से लगातार भारत सरकार का इन्दिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड मिलता आ रहा है।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत के प्रयासों की ही परिणति है कि जापान सरकार से वित्त पोषित राज्य की महत्त्वाकांक्षी 'राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता' परियोजना के दूसरे चरण को कुछ समय पहले ही मंजूरी प्रदान की गई है। 1152.53 करोड़ की इस परियोजना से वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण की दिशा में आने वाले समय में महती कार्य होगा, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस दौरान हरियाली के संवाहक के रूप में 'हरित राजस्थान' देशभर का अनूठा अभियान रहा है। इस अभियान के तहत पिछले तीन वर्षों में हरे-भरे राजस्थान को व्यवहार में साकार किया जा रहा है। तीन वर्षों में इस अभियान के तहत प्रदेश में अब तक वन विभाग द्वारा 9 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में अब तक राज्य के 50 हजार 573 हैक्टेयर क्षेत्र में 276 लाख से अधिक पौधे इस अभियान के तहत लगाए जा चुके हैं। यही नहीं रोड साइट के अंतर्गत भी 594 रोड किलोमीटर को कवर करते हुए 0.84 लाख पौधे लगाने की महती पहल इस अभियान के तहत की गई है। खास बात 'हरित राजस्थान' की यह रही है कि राज्य में इससे पौधे लगाने, पेड़ों के संरक्षण के प्रति आम व्यक्ति को जागरूक किया गया है। आज यह अभियान सरकारी नहीं रहकर आम जन का अभियान हो गया है। यही इस अभियान की बड़ी सफलता है।

राज्य में वनों के संरक्षण के साथ ही वनों की सुरक्षा की दृष्टि से भी महती कदम उठाए गए हैं। पहली बार यह भी तय किया गया कि मनरेगा के तहत पक्की दीवार निर्माण के कार्य भी किए जाएं। इसी के तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 में अब तक 975 किलोमीटर पक्की दीवारों के लक्ष्य के मुकाबले 464 किलोमीटर में पक्की दीवार का निर्माण कार्य किया गया है। जापान सरकार की एजेन्सी 'जाईका' के सहयोग से राज्य में राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 1152.53 करोड़ की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से प्रदेश में वानिकी संरक्षण के साथ ही साथ जैव विविधता संरक्षण की दिशा में भी महती पहल की जानी है।

राज्य की वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्रीमती बीना काक ने 'जाईका' पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के तहत गांवों में महिला एवं बाल विकास के बने स्वयंसेवी समूहों को जोड़कर गांवों में आजीविका वृद्धि के सतत प्रयास किए जाने पर विशेष रूप से जोर दिया है। श्रीमती काक प्रदेश के मौजूदा 9 प्रतिशत वन क्षेत्र को 20 प्रतिशत तक किए जाने के लिए व्यवहारिक प्रयास किए जाने पर जोर देती है। इस संदर्भ में हाल की एक बैठक में उन्होंने कहा भी, 'राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि के लिए गम्भीर प्रयास किए जाने चाहिए परन्तु वन क्षेत्र में रहने वालों की कीमत पर यह कार्य नहीं होना चाहिए।' वन मंत्री यह कहती हैं तो सहज ही इसके निहितार्थ को समझा जा सकता है। निहितार्थ यह है कि वनों में रहने वाले यदि सुरक्षित हैं तो वनों का संरक्षण भी सभी स्तरों पर सुनिश्चित किया जा

सकता है, चूंकि वनों की रक्षा के लिए वास्तविक रूप से कार्य तो वनों में रहने वाले ही करते हैं।

बहरहाल, प्रदेश में साझा वन प्रबन्धन के तहत पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है बल्कि कहें कि पूरे देश में साझा वन प्रबन्धन के तहत राजस्थान ने मिसाल कायम की है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के साझा वन प्रबन्धन प्रयासों को भारत सरकार द्वारा लगातार तीन वर्षों से सम्मानित किया जा रहा है। यह गौरव की बात है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य हो गया है, जिसकी साझा वन प्रबन्धन समितियों को लगातार तीन वर्षो से भारत सरकार का प्रतिष्ठित इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से नवाजा गया है। पहले पालिया खेड़ा को, दूसरी बार करेल को और फिर धानी तलाई साझा वन प्रबन्धन समिति को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यहां यह गौरतलब है कि राज्य में वृक्षारोपण प्रबन्धन, वनों के संरक्षण के लिए साझा वन प्रबन्धन के तहत 1745 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं जिनमें से 822 महिला समूह है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रतिबद्ध 266 इको डवलपमेंट समितियां अलग से कार्य कर रही हैं। इन समितियों द्वारा गांवों में रोजगार की दिशा में भी बेहद महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। मसलन एलोवेरा जूस, अगरबत्ती निर्माण, स्टिक निर्माण, हर्बल गुलाल, दाल मिल, अदरक से सोंठ निर्माण आदि के कार्यों से रोजगार के साथ ही आय वृद्धि के कारगर प्रयास किए जा रहे हैं अर्थात् वन प्रबन्धन के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आय का भी सृजन। अकेले उदयपुर संभाग की ही बात करें तो साझा वन प्रबन्धन गतिविधियों से इस वर्ष अब तक 14 समितियों को 12.25 लाख की हिस्सा राशि मिल चुकी है।

वन विभाग द्वारा राज्य के इतिहास में पहली बार महिला वन रक्षकों की भर्ती करके भी मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की महिला विकास के लिए प्रतिबद्ध मंशा के अनुरूप आजादी के बाद पहली बार वन रक्षकों की भर्ती में महिलाओं को अवसर देना इसी बात का सबूत है। वन विभाग द्वारा बाकायदा एक इसके लिए जयपुर, जोधपुर और अलवर स्थित वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ ही पृथक से स्थापित 12 सेटेलाइट केन्द्रों पर भी इन्हें प्रशिक्षित किया गया। महिला वन रक्षकों की नियुक्ति का लाभ राज्य सरकार को यह रहेगा कि वन क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं से सीधे संवाद कर उनकी वन संरक्षण में सीधे तौर पर सहभागिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की पहल पर वन क्षेत्रों को पुन: हरा-भरा करने के लिए एक 'विजन डॉक्यूमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फोरेस्ट्स' भी इस दौरान तैयार किया गया। इसके तहत आने वाले वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वृक्षारोपण के साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नरेगा आदि के तहत चरागाह विकास कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया गया है।

वनारोपण के साथ ही साथ वनों में रहने वाले वन्यजीवों की सुरक्षा और संरक्षा की दृष्टि से भी राजस्थान में तीन वर्ष उपलब्धियों से भरे रहे हैं। वन विभाग के अंतर्गत प्रदेश में पहली बार बाघ संरक्षण के लिए भी प्रभावी प्रयास किए गए हैं। रणथम्भौर बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या में इस दौरान पहले से वृद्धि हुई है। मसलन वर्ष 2005 में राजस्थान में बाघों की संख्या मात्र 26 ही थी, जो अब बढ़कर 44 हो गई है। इनमें रणथम्भौर में 39 और सरिस्का में पुनर्वास किए 5 बाघ सम्मिलित हैं। राज्य सरकार की पहल पर ही सरिस्का में एक बाघ और एक बाघिन का पुनर्वास किया गया। बाघ विहीन हो चुके सरिस्का को बाघों से आबाद किया गया। यही नहीं राज्य सरकार ने सरिस्का एवं रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में वन्य जीव प्रबन्धन हेतु 'बाघ संरक्षण फाउण्डेशन' का पृथक-पृथक गठन भी किया है। इस पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ 72 लाख रुपये व्यय कर बाघों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। टाइगर रिजर्व में जल स्त्रोतों को विकसित करने हेतु नाबार्ड के सहयोग से 40.99 करोड़ रुपये की लागत परियोजना भी विशेष रूप से स्वीकृत करवाई गई है जिसके तहत 85 जल संरचनाओं का निर्माण करवाया जा रहा है।

वन विभाग द्वारा जोधपुर में माचिया क्षेत्र को 'सेन्ट्रल जू-ऑथोरिटी' के मापदंडों के अनुसार 'बायोलॉजिकल पार्क' के रूप में विकसित किया जा रहा है, वहीं जालोर जिले की भीनमाल तहसील के रक्षित वन खंड जसवंतपुरा, पूरण-पसेरी एवं डोरडा तथा सिरोही जिले की रेवदर तहसील के रक्षित वन खंड राउवा बड़वज के रक्षित वन खंड को पारिस्थितिकीय एवं प्राणी जातीय, वनस्पति भू-संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए 'सुन्धामाता कन्जरवेशन रिजर्व' घोषित किया है।

वन्यजीव संरक्षण के अंतर्गत खास बात यह भी है कि राज्य में गोडावण और चौसिंगा के प्रजनन, प्रबन्धन एवं संरक्षण के लिए पृथक से कार्य योजना बनाई गई है। इसके तहत गोडावण संरक्षण, प्रजनन एवं प्रबन्धन के लिए 278 लाख रुपये और चौसिंगा के लिए 458 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इको टूरिज्म नीति के तहत मेनाल, हमीरगढ़, सीतामाता, बस्सी व पंचकुड क्षेत्रों के विकास के लिए 100 लाख की राशि जहां स्वीकृत की गई है, वहीं सुंधामाता वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के लिए 95 लाख और गूढ़ा विश्नोईयान के लिए 28.30 लाख के साथ कुल 123.30 लाख की योजना की प्रशासनिक स्वीकृत प्रदान की गई है।

तीन वर्षों की सीमित अवधि में सुनियोजित विकास के तहत वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए राजस्थान में बेहद महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित ही इन कदमों से आने वाले समय में राजस्थान वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा की दृष्टि से देशभर का अग्रणी राज्य कहलायेगा, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। बहरहाल, राज्य की वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्रीमती बीना काक स्वयं वन एवं वन्यजीव प्रेमी हैं। वनों एवं वन्यजीवों के विकास के सम्बन्ध में वह कहती भी है, 'वन है तो हम सब हैं। वन्यजीवों से ही पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। वनों का संरक्षण और वन्यजीवों की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत की पहल पर प्रारंभ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के कदमों में जन सहभागिता से भविष्य में और अधिक विकास होगा।' ●

हस्तशिल्प खजाना

गोपेन्द्र नाथ भट्ट

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 31वें अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पवेलियन की शान देश-विदेश के विभिन्न मण्डपों से अनूठी रही। गत माह आयोजित इस व्यापार महाकुम्भ में प्रदेश की बहुरंगी कला एवं संस्कृति के साथ ही राज्य की बहुआयामी प्रगति के विभिन्न पक्षों को बहुत ही जीवंतता के साथ उजागर किया गया। मण्डप में राज्य की गौरवशाली परम्परा के साथ ही वर्तमान उपलब्धियों की झलक भी देखने को मिली।

प्रगति मैदान में राजस्थान मण्डप की संरचना एक भव्य हवेलीनुमा भवन के रूप में की गई जो कि पूरी तरह से प्रदेश की स्थापत्य कला को प्रतिबिम्बित कर रही थी। मण्डप के राजपूताना शैली में बने चोकोर गुम्बद, सुन्दर झरोखे, जालीनुमा कारीगरी और शिल्प कला दर्शकों को आकर्षित करने वाली थी।

मण्डप के मुख्य प्रवेश द्वार को इस बार जयपुर शैली की चित्रकला से सुसज्जित किया गया था। वहीं पिछले द्वार को भी राजस्थान की परम्परागत चित्र शैली में सजाया गया। मण्डप की जालीनुमा खिड़कियां इस भव्य एवं आकर्षक मण्डप की शान बढ़ा रही थीं। दर्शकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्र 'राजस्थान मण्डप' में इस वर्ष राजस्थानी हस्तशिल्प का खजाना समाया हुआ था।

भारतीय व्यापार सम्वर्धन प्राधिकरण (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा इस वर्ष व्यापार मेले की थीम ''भारत का हस्तशिल्प-करिश्माई हाथों की जादूगरी'' रखी गई थी।

राजस्थान मण्डप की मुख्य थीम में मेहरानगढ़ किले की अनूठी छटा दिखाई गई। इस क्षेत्र में राजस्थान के समृद्ध ''टेक्सटाइल उद्योग की झलक देखी गई। राजस्थानी प्रिंट डिजाइन्स की टाई-डाई, हेंड ब्लॉक्स, एम्ब्रोयडरी, कांच वर्क, बातिक एवं पेचवर्क के कपड़े परम्परागत एवं आधुनिक रेडीमेड कपड़े, जयपुर की सांगानेरी, बगरू, कोटा डोरिया, लहरिया, मोठड़ा, अमोला, अजरक, बाड़मेरी व बालोतरा प्रिंट की साड़ियां, रेडीमेड गारमेंट्स और चादरें आदि जन आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। इसके अलावा प्रदेश के हस्तशिल्प के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए गए थे। इसी प्रकार ''राजस्थानी पेंटिंग्स'' में 16वीं शताब्दी की मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़, ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावाटी और बूंदी स्कूलों की चित्ताकर्षक लघु चित्रकला खास कर फड़, पिछवाई व फ्रेस्को पेंटिंग्स को देखने दर्शकों की भीड़ उमड़ रही थी।

इसके अलावा 'राजस्थानी फर्नीचर' का आकर्षण भी कम नहीं था। खासकर राज्य का विशिष्ट फर्नीचर जिसमें किशनगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी, पतरा फर्नीचर, मेटल प्लेटिंग एवं ब्रास पर महीन कलाकारी व हस्तशिल्प युक्त फर्नीचर और तिलोनिया (अजमेर) का लेदर पर कशीदाकारी युक्त फर्नीचर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प कला में ''संगमरमर पर सुनहरी कलमकारी और लघु चित्रकला'' देशी-विदेशी ग्राहकों को सबसे अधिक आकर्षित कर रही थी। ''राजस्थानी आभूषणों'' का अपना अलग ही आकर्षण है जिसमें बेशकीमती सेमी-प्रेशियस व बहुमूल्य पत्थरों से निर्मित आभूषण, कुंदन, थेवा, कांच एवं चांदी के आभूषण, नाथद्वारा की थ्रेड ज्वैलरी और चांदी व कुंदन से बनी शृंगार सामग्री सभी को आकर्षित कर रही थी। जयपुर की ब्ल्यू पॉटरी, मोलेला (नाथद्वारा) का टेराकोटा और अलवर की कागजी पॉटरी के सामान, मूर्तियां

सभी छाया : गोपेन्द्रनाथ भट्ट

और अन्य सजावटी चीजें आदि भी दर्शकों को आकर्षित कर रही थीं।

इसके अलावा राजस्थान की तिल पापड़ी, गजक, बीकानेर के मशहूर पापड़, नमकीन–भुजिया, डिब्बा बंद मिष्ठान, चूर्ण, मसाले, सूखी सब्जियां, कैर सांगरी और राजस्थानी व्यंजनों जैसे दाल, बाटी, चूरमा, बेसन–गट्टे, मूंग की दाल और मीठी मावा कचौड़ियों आदि की खूब बिक्री हो रही थी।

मण्डप में राजस्थानी गीत–संगीत की सुमधुर धुनें, राजस्थानी व्यंजन और हल्के वजन की सूती एवं मखमली जयपुरी रजाइयां दर्शकों की प्रथम पसन्द बनी हुई थीं।

मण्डप में बनाए गए शिल्प आंगन में प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध व सिद्धहस्त शिल्पी एवं बुनकर आकर्षण का केन्द्र बने हुए थे । ये हस्तशिल्पी मण्डप में विशेष रूप से बनाए गए 'शिल्प–आंगन' में अपनी बेजोड़ कला की जादूगरी दिखा रहे थे। टोंक के नमदे–गलीचे, अजमेर की बेमिसाल किशनगढ़ की चित्रशैली और लाख की चूड़ियां बनाने की कला का सजीव प्रदर्शन करते कलाकार, लघु चित्रकारी में माहिर जयपुर, किशनगढ़ व उदयपुर स्कूल के चित्रकार, ढाई लाख लघु चित्रों से संजोया ताजमहल बनाने वाला कलाकार, टोंक से पहली बार व्यापार मेले में आए पीतल के खिलौने और अन्य सजावटी सामान बनाने वाले कारीगर और श्रीनाथजी की आध्यात्मिक नगरी नाथद्वारा की थ्रेड ज्वैलरी लेकर मेवाड़ क्षेत्र से आए कलाकार अपनी बेमिसाल कारीगरी के अद्‌भुत नमूने मंडप में पेश कर रहे थे। ●

Postal Regd. No. RJ/JPC/M-41/2011-13
Registered with Registrar of Newspapers of India under R. No. 56175/91

अनमोल

मगरमंडी माता नीमाज

पाली जिले के नीमाज से दक्षिण–पूर्व में करीब दो किलोमीटर दूर सुरम्य प्राकृतिक परिवेश में स्थित मगरमंडी माता का मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। अलंकृत मंच एवं आयताकार जगती पर स्थित यह पंचरथ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है।

लगभग नवीं शताब्दी के इस सांधार मंदिर में देवी–देवताओं और दिक्पालों की कलात्मक प्रतिमाएं बनी हुई हैं तथा इसके अलंकरण युक्त स्तम्भ तत्कालीन मंदिर स्थापत्य एवं तक्षण कला के परिचायक हैं।

आलेख व छाया : डॉ देवदत्त शर्मा

राजस्थान सरकार की ओर से मै. प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर में मुद्रित तथा आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान द्वारा जयपुर– 302 005 से प्रकाशित/25,000 प्रतियां